दशम माला, खंड 30, अंक 21

मंगलवार, 19 अप्रैल, 1994

29 चैत्र, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 30 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 30, नवां सत्र, 1994/1915-1916 (शक)

अंक 21, मंगलवार, 19 अप्रैल, 1994/29 चैत्र, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		**1–2**
	*तारांकित प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**2–235**
	तारांकित प्रश्न संख्या : 341–360	2–26
	अतारांकित प्रश्न संख्या : 3813–3845, 3847–3867,	27–137 और
	3869–3931 तथा 3933–4044	138–235

लोक सभा

मंगलवार, 19 अप्रैल 1994/चैत्र 29, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.00 म०पू०

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, इस 15 तारीख को भारत सरकार ने गैट संधि पर हस्ताक्षर करके किस प्रकार का ...**(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, यह प्रश्न काल है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे मालूम है। ...**(व्यवधान)** ...

11.04 म०पू०

इस समय श्री सुदर्शन रायचौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य और सभा पटल के निकट आकर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : सभा एक घंटे पश्चात पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

11.05 म०पू०

लोक सभा 12.05 म०प० तक के लिए स्थगित हुई

लोक सभा 12.05 म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

...**(व्यवधान)** ...

12.07 म०प०

इस समय श्री छेदी पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य

सभा पटल के निकट आकर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

... **(व्यवधान)** ...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जायें।

... **(व्यवधान)** ...

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 21 अप्रैल, 1994 के 11.00 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मात्स्यिकी विकास

[हिन्दी]

*341. **श्री वी०एस० विजयराघवन:**

श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुवैत की सहायता से राज्य में मात्स्यिकी के विकास से संबंधित कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि अन्य राज्यों से भी विदेशी सहायता से मात्स्यिकी के विकास संबंधी ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना को अरब आर्थिक विकास की कुवैत निधि द्वारा सात मिलियन कुवैती दिनार की ऋण सहायता के लिए पहले ही मंजूर किया गया है। इसमें श्रिम्प फार्मों हैचरियों, फीड मिल आदि सहित श्रिम्प पालन का विकास परिकलित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	प्रस्तावित परियोजना का नाम	प्रस्तावित सहायता देने वाला देश	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
हरियाणा	1. मछली पकड़ने वाले धागे तथा जाल बनाने वाले संयंत्र लगाना	जापान	प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और राज्य सरकार से कुछ और स्पष्टीकरण मांगा गया है।
	2. झींगा और मच्छली हैचरी स्थापित करना	–तदैव–	–तदैव–
	3. महासीर मछली अभयताल (सैकचुरी) तथा मछली पकड़ने की बंसी का विकास	–तदैव–	–तदैव–
	4. झींगा तथा मछली के लिए प्रशीतन संयंत्र स्थापित करना	–तदैव–	–तदैव–
	5. सिरसा में मात्स्यिकी का विकास	नार्वे/डेनमार्क स्वीडन/जापान	प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और उसे डोनर देशों को भेजने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के अग्रेषित कर दिया है।
हिमाचल	1. कुल्लु में वाणिज्यिक प्रदेश ट्राउट फार्मिंग के लिए पाइलट परियोजना	नार्वे	परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है।
	2. हिमाचल प्रदेश में जलाशयों में केज फिश फार्मिंग	नार्वे	प्रस्ताव, नार्वे के अधिकारियों को भेजने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया है।
कर्नाटक	टाडरी में मात्स्यिकी विकास का भारत-डेनिस परियोजना	डेनमार्क	परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है।

1	2	3	4
केरल	1. केरल में कुवैत की सहायता से झींगा पालन	कुवैत	परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है।
	2. केरल के जलाशयों में पिंजड़ों में मछली पालन	जर्मनी	–तदैव–
	3. चोम्बल परियोजना में एकीकृत मात्स्यिकी	डेनमार्क	केरल सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
मध्य प्रदेश	1. मध्य प्रदेश में जलाश्य मात्स्यिकी का विकास	उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है
उड़ीसा	1. चूडामणि, बालासोर जिलों में एकीकृत मात्स्यिकी विकास परियोजना	जापान	प्रस्ताव की जांच करने के बाद राज्य सरकार से प्रस्ताव पर कुछेक संशोधनों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।
	2. सहाना, पुरी जिलों में एकीकृत मात्स्यिकी विकास परियोजना	–तदैव–	–तदैव–
पंजाब	1. पंजाब में मछली पालन की परियोजना	नार्वे/डेनमार्क स्वीडन/जापान	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश	1. गढ़वाल मण्डल में शीतलजल मात्स्यिकी	स्वीडन/डेनमार्क	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उत्पादों की गुणवत्ता

[हिन्दी]

*342. **श्री नवल किशोर :**

डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक ब्यूरो को उत्पादों की घटिया किस्म के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में आई० एस० आई० चिह्नित उत्पादों के स्तर में गिरावट को रोकने हेतु कुछ विशेष उपाय करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एन्टनी) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो को समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। 1993-94 के दौरान, 209 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तथा 144 का निपटान कर दिया गया था। इन शिकायतों पर कार्रवाई प्रमाणन चिह्न योजना के अनुसार की जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो विनिर्माता के माध्यम से शिकायतकर्ता के संतोष के अनुरूप उत्पादों को बदलने/उनकी मरम्मत करने की व्यवस्था की जाती है। विनिर्माता के विरुद्ध भी यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाती है। कि उनकी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक सुधार कर लिया जाए, ताकि ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, प्रमाणन चिह्न योजना के उल्लंघन के आधार पर लगभग 500 लाइसेंस रद्द/आस्थगित कर दिए गए। कुछ मामलों में परीक्षण के दौरान नमूनों के खरा न उतरने के कारण चिह्नांकन रोकने के लिए अस्थाई आदेश जारी किए गए।

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई० एस० आई० चिह्नित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) लाइसेंसधारियों के कार्य के बारे में निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है।

(ii) बाजार से नमूने लेने के लिए सम्मिलित नियमित अभियान शुरू किए गए हैं।

(iii) लाइसेंसधारियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने में बाजार के नमूनों की जांच करने पर अधिक बल दिया जा रहा है।

(iv) गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने तथा भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के उन्नयन के जरिए भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में परीक्षण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

नई शिक्षा नीति

[अनुवाद]

*343. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति में डिग्रियों को रोजगार से अलग करने की बात सोची गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे कार्य रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) इसमें अत्यधिक विलम्ब के कया कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दिसम्बर, 1991 में कोई संगठन पंजीकृत किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संगठन ने क्या प्रगति की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) (i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्रीय सरकार में ग्रुप "ग" के पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक अर्हता के तौर पर +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से भर्ती नियमावली की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

(ii) रोजगारों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता समाप्त करने को सुकर बनाने के लिए दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन के नाम से एक संगठन पंजीकृत किया गया था।

(iii) राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन के कार्यकरण को शुरू करने के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

महिला समृद्धि योजना

344. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री के० प्रधानी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में सूचना मांगी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में इस योजना के शुरू होने के बाद से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(घ) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) यह स्कीम डाक विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकखानों के नेटवर्क के माध्यम से कर्यान्वित की जा रही है। महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है। 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, 7.29 लाख लाभ प्राप्तकर्ताओं ने खाते खुलवाए, जिनमें 9.15 करोड़ की राशि जमा कराई गई। लाभ प्राप्तकर्ताओं की राज्य-वार स्थिति सलंग्न विवरण में दी गई है।

(घ) स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए वीडियो स्पॉट्स, लघु चित्रों, भाषाई समाचार पत्रों में प्रदर्शन विज्ञापनों, पोस्टरों और फोल्डरों। पोस्टल स्टेशनरी और बस पैनलों पर संदेशों जैसे सरकारी और गैर सरकारी प्रचार माध्यमों के जरिए प्रभावी प्रचार अभियान चलाया गया है। सरकारी प्रचार माध्यम इन संदेशों का रेडियो और टेलीविजन से प्राइम टाइम पर प्रसारण कर रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को भी इस स्कीम को लोकप्रिय

बनाने के कार्य में शामिल किया गया है। सभी स्तरों के समेकित बाल विकास सेवा कार्यकर्ताओं को, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हैं, इस संबंध में लिखा गया है। सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और अधिकारियों के माध्यम से इस स्कीम को लोकप्रिय बनाएं।

विवरण

02-10-1993 से 31-03-1994 तक

क्र.सं.	राज्य/के० शा० प्र० का नाम	लाभ प्राप्तकर्ताओं/खोले गए खातों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2,18,349
2.	अरुणाचल प्रदेश	19
3.	असम	8,071
4.	बिहार	3,406
5.	दिल्ली	763
6.	गोवा	11,180
7.	गुजरात	22,873
8.	हरियाणा	32,251
9.	हिमाचल प्रदेश	16,561
10.	जम्मू और काश्मीर	452
11.	कर्नाटक	19,899
12.	केरल	13,243
13.	मध्य प्रदेश	73,671
14.	मणिपुर	13
15.	मेघालय	17
16.	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैंड	7
18.	महाराष्ट्र	63.543
19.	उड़ीसा	27,419

1	2	3
20.	पंजाब	54,371
21.	राजस्थान	34,691
22.	सिक्किम	4
23.	तमिलनाडु	56,697
24.	त्रिपुरा	714
25.	उत्तर प्रदेश	55,203
26.	पश्चिम बंगाल	14,563
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	214
28.	चण्डीगढ़	420
29.	दादर और नगर हवेली	– –
30.	दमन और दिव	– –
31.	लक्षद्वीप	– –
32.	पांडिचेरी	427
	जोड़	729041

परीक्षा प्रणाली

[हिन्दी]

*345. **श्री काशीराम राणा :**

श्री छेदी पासवान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक आयोगों ने विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार किया है;

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा 1970 में नियुक्त कोठारी आयोग, परीक्षा सम्बन्धी समिति और शिक्षा विभाग द्वारा 1971 में

नियुक्त कार्य दल ने परीक्षा सम्बन्धी सुधारों के बारे में कुछ सिफारिशें कीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तैयार करते समय, जिसे 1992 में संशोधित किया गया इन सिफारिशों पर विचार किया गया था।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तनों के लिए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को यह सुझाव दिया है कि वे लगातार मूल्यांकन और क्रेडिट पद्धतियों ग्रेडिंग पद्धति और सेमेस्टर पद्धति जैसे परीक्षा सम्बन्धी सुधारों के कतिपय विशिष्ट उपायों को कार्यान्वित करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन

[अनुवाद]

*346. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन के लिए आधारभूत ढांचें को सुदृढ करने हेतु 1992-93 के दौरान शुरू की गई केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) इस योजना में अब तक राज्य-वार कितने एककों को शामिल किया गया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से विशेष रूप से महाराष्ट्र से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) मछलियों को लाने ले जाने के लिए ताप अवरोधी वाहन तथा ताप अवरोधी डिब्बे युक्त साइकिलों के अलावा कोल्ड स्टोरेज, वर्फ संयंत्र, मछली रखने के लिए शेड, खुदरा बिक्री केन्द्र आदि सुविधाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश में पांच यूनिटें, केरल में 4, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 2 यूनिटें, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड तथा तमिलनाडु में एक-एक यूनिट, इस प्रकार अब तक कुल 33 यूनिटें मंजूर की जा चुकी हैं।

(ग) मध्य प्रदेश से 5 यूनिटों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। महाराष्ट्र में दो यूनिटों के प्रस्ताव भी विचाराधीन है। महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में मांगी गई जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

मसालों की फसलों के लिए समर्थन मूल्य

[हिन्दी]

*347. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मसालों की फसलों के लिए समर्थन मूल्य तय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों को उनके उत्पादन के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) मसालों के उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने उन्हें (मसालों को) मण्डी हस्तक्षेप योजना में शामिल किया है। इस योजना के अंतर्गत, जब किसी विशिष्ट जिंस के मूल्य अलाभकारी स्तर से नीचे गिर जाते हैं तो राज्य सरकार से प्राप्त विशेष अनुरोध पर एक निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट मात्रा में निर्धारित मूल्य पर मण्डी हस्तक्षेप कार्य किए जाते हैं। केन्द्रीय नोडल एजेंसी, अर्थात् राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राज्य द्वारा नामित एजेंसियां सामान्यतया बराबर अनुपात में खरीद करती हैं और यदि कोई हानि हो, तो उसी अनुपात में वे उसका वहन भी करती हैं।

कोचिंग कॉम्पलेक्स

[अनुवाद]

*348. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण रेलवे में कोचिंग कॉम्पलेक्स की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) मद्रास, तिरुवनन्तपुरम, एर्णाकुलम तथा बेंगलूरू में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के विकास/विस्तार से संबंधित कार्य प्रगति पर है/तत्संबंधी योजना बनाई गई है।

बीजों की सप्लाई

[हिन्दी]

*349. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को तिलहनों सहित विभिन्न बीजों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने बीजों की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1990-91 से 1992-93 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को तिलहन सहित सप्लाई की गई विभिन्न बीजों की मात्रा प्रदर्शित रहने वाला एक विवरण सलंग्न है। राज्य सरकारों द्वारा की गई बीजों की मांग की पूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा की गई।

विवरण

(मात्रा क्विंटल में)

क्रमांक	राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4721	2263	2674
2.	अरुणाचल प्रदेश	685	450	509
3.	असम	25294	24423	17412
4.	बिहार	55203	21083	38784
5.	दिल्ली	7522	4285	3678
6.	गुजरात	6262	698	2827.
7.	हरियाणा	2352	3915	4397
8.	हिमाचल प्रदेश	1339	1878	1307
9.	जम्मू और कश्मीर	10123	9308	5838
10.	कर्नाटक	9388	7650	46876
11.	केरल	10927	9941	9814
12.	मध्य प्रदेश	8887	11215	6145
13.	महाराष्ट्र	27319	16164	21898
14.	मणिपुर	912	4753	2602
15.	मेघालय	3614	4957	3572
16.	मिजोरम	375	1801	2146
17.	नागालैण्ड	2674	1424	2306
18.	उड़ीसा	15668	13378	6037
19.	पंजाब	14564	1717	19008
20.	राजस्थान	29802	11748	10399
21.	सिक्किम	3175	2513	3368
22.	तमिलनाडु	21698	32012	27272
23.	त्रिपुरा	12143	10513	9599

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	29111	12929	7359
25.	पश्चिम बंगाल	47659	25637	33388
	योग	351417	236655	289215

नकली उत्पाद

[अनुवाद]

*350. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली और जाली उत्पादों के निर्माण को कठोर दंड के प्रावधान वाला एक संज्ञेय अपराध माने जाने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण न होने देने के लिए कानून में समुचित परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नकली तथा जाली उत्पादों से संबंधित विषय-वस्तु कई अधिनियमों जैसे औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, व्यापार तथा पण्य वस्तु चिह्न अधिनिमय, 1958, इत्यादि की परिधि के भीतर आती है। ये कानून कई मंत्रालयों, जैसे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय इत्यादि द्वारा प्रशासित होते हैं। उद्योग मंत्रालय ने लोक सभा में 19-4-1993 को व्यापार तथा पण्य वस्तु चिह्न (संशोधन) विधेयक, 1993 पेश किया है, जिसमें गलत व्यापार चिह्न लगाने, गलत व्यापार विवरण देने इत्यादि के वास्ते दंडों में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।

दालों के बीज

[हिन्दी]

*351. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दालों के बीजों की विकसित की गई नई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बीजों के प्रयोग से प्रति एकड़ अनुमानतः कितना उत्पादन प्राप्त किया गया है/किये जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर ये बीज मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान विकसित दलहनों की नयी किस्मों की अनुमानित प्रति एकड़ पैदावार सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य बीज निगमों तथा राष्ट्रीय बीज निगम आदि जैसे बीज संवर्धन अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा किसानों को वाजिब दामों पर उन्नत किस्मों के बीच उपलब्ध कराये जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान विकसित दलहन की नयी किस्में

फल	किस्म	वर्ष जिसमें जारी किया	पैदावार क्वि./प्रति है.	अपनाया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5
चना (चिकपी)	बी० जी० -372	1992	25-30	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र।
	सदाबहार	1992	25-30	उत्तर प्रदेश।
	आई० सी० सी० वी० -10	1992	20	पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल।
	उदय (के० पी० जी-59)	1992	22-25	हरियाणा, पंजाब उत्तरी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार।
अरहर	आई० सी० पी० एल०-87119	1992	20-25	पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र।
	पूसा-9	1992	25	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल।
	पारस (एच 82-1)	1993	15-20	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान।

1	2	3	4	5
मूंगबीन	बी० एम-4	1992	10-11	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात।
	एम० यू० एम-2	1992	12-13	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब।
	एम० एच० 88-111	1993	12-15	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
उड़दबीन	टी० पी० यू-4	1992	9-10	मध्य प्रदेश, गुजरात, महराष्ट्र।
	एल० बी० जी-402	1992	10	पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक।
फील्डपी	जे० पी-885	1992	20-22	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड इलाका।
	के० एफ० पी-103	1992	18-20	उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश।
मसूर	पन्त मसूर-4	1993	17	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल।
	शिवालिक	1993	14-15	हिमाचल प्रदेश की पहाडियां, पंजाब, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भारत का मध्य क्षेत्र।
राजमा	एच० पी० आर-35	1992	14	महाराष्ट्र।

छात्रों में नशे की लत

[अनुवाद]

*352. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में नशे की लत के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा छात्रों में मादक पदार्थों के सेवन की बुराई को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच नशे की लत का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 1975-76 में विद्यार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में एक बहुकेन्द्रित अध्ययन और एक दशक (1985-86) के पश्चात दोबारा अध्ययन किया था। वर्ष 1975-76 के अध्ययन में सात केन्द्र शामिल किए गए थे जिनमें बंबई, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, मद्रास और वाराणसी शामिल थे। वर्ष 1985-86 के अध्ययन में दो और केन्द्रों अर्थात बंगलोर और कलकत्ता क़ो भी शामिल किया गया था।

इन दोनों अध्ययनों के जांच परिणाम इस प्रकार हैं :

(I) विधि सम्मत दवाइयों, विशेषकर शराब, तंबाकू और दर्द निवारक गोलियों की लत सर्वाधिक पाई गई।

(II) वर्ष 1985-86 का अध्ययन यह दर्शाता है कि गैर कानूनी दवाइयों की लत लगभग 2% थी। यह वर्ष 1975-76 के अध्ययन परिणामों की तुलना में बिल्कुल अलग है जिसमें यह दर्शाया गया था कि गैर-कानूनी दवाइयों की लत न के बराबर थी।

(III) नशीली दवाइयों की लत लड़कियों के मुकाबले लड़कों में अधिक थी। लड़कियां मुख्यतः दर्दनिवारक गोलियों का इस्तेमाल करती थी। और उनके बीच अवैध गौलियों का इस्तेमाल लगभग न के बराबर था।

(IV) शहरी पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के बीच नशे की लत अधिक पाई गई थी, विशेषकर उन विद्यार्थियों के बीच जो केन्द्रीय, पब्लिक अथवा कॉन्वेन्ट स्कूलों में पढ़ रहे थे और केन्द्रक परिवारों से थे और कॉलेज के छात्रावास में रह रहे थे अथवा अपने परिवारों से दूर रह रहे थे।

(V) नशे की लत के कारण मुख्यतः मनोवैज्ञानिक थे जैसे जिज्ञासा शांत करना, तनाव दूर करना और दबाव की स्थिति से बचना।

नशा करने वालों के उपचार और पुनर्वास के लिए परामर्श देने, नशा निवारण और अनुरक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए तथा जनता के बीच नशे और शराब की लत के विरुद्ध जागृति लाने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कल्याण मंत्रालय नशे पर रोक लगाने और उसके निवारण के लिए स्वेच्छिक संगठनों की सहायता की एक योजना चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित वार्षिक व्यय का 90% कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष 10% व्यय का वहन स्वयं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है। हालांकि, विश्वविद्यालयों/सामाजिक कार्य संस्थानों/उच्च अध्ययन संस्थानों को इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। इस समय 152 परामर्श, 104 नशा-निवारण और 15 अनुरक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में अप्रैल 1986 से सितम्बर, 1993 तक 10.50 लाख विद्यार्थियों ने लाभ प्राप्त किया है।

भारतीय रेल का आंशिक निजीकरण

*353. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है, जिन्हें बेहतर कार्यानिष्पादन के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड से तीर्थ यात्री केन्द्रों सहित उन पर्यटन सर्किटों का पता लगाने का अनुरोध किया गया है कि जिनके लिए निजी क्षेत्र को विशेष पर्यटन रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य योजना को कब तक कार्यान्वित कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) कार्यकलापों के जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना की गई है, वे इस प्रकार हैं :

(i) माल डिब्बे जैसे चल स्टाक का आंशिक स्वामित्व;

(ii) पर्यटक गाड़ियों का स्वामित्व तथा परिचालन;

(iii) स्टेशनों का रख-रखाव तथा उनकी सफाई;

(iv) चल तथा अचल दोनों किस्म की सभी नयी खान-पान यूनिटें;

(v) सवारी डिब्बों, की सफाई तथा उनका रख-रखाव;

(vi) बिस्तरों की सप्लाई;

(vii) स्टेशनों पर आमानती सामान घर की सुविधाएं;

(viii) पेय जल की आपूर्ति;

(ix) ब्रेक ब्लाकों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों तथा रेल इंजन के पुर्जों जैसे आफ लाइन निर्माण कार्यकलाप;

(x) भूमि तथा आकाशी क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग;

(xi) विश्राम कक्ष, यात्री निवास तथा प्रस्तावित बजट होटल;

(xii) अलाभप्रद शाखा लाइनों का परिचालन; और

(xiii) नयी अचल परिसम्पत्तियों की सुरक्षा;

(i) कार्यकलापों के उपर्युक्त क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना इस दृष्टि से की जा रही है कि संगठन यात्री तथा माल की ढुलाई के अपने मुख्य कार्य पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकें; (ii) ग्राहकों को मुहैया की जाने वाली सेवा में सुधार लाया जा सके तथा (iii) रेलवे क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जा सके।

बेहतर सौन्दर्यकरण/रख-रखाव करने तथा वाणिज्यिक विज्ञापन से राजस्व बढ़ाने के प्रयोजन के लिए, पश्चिम रेलवे ने प्रारंभ में एक निजी पार्टी के साथ एक अनुबंध किया है जिसके तहत बान्द्रा स्टेशन के विशिष्ट स्थलों पर उसे विज्ञापन के एकमात्र अधिकार दिए गए हैं, सभी रेलों से कहा गया है कि वे कुछ स्टेशनों पर यह प्रयोग करें।

इसी प्रकार, अधिक पैसा खर्च कर सकने वाले विदेशी पर्यटक ग्रुपों को आकर्षित करने की दृष्टि से, रेलों ने निम्नलिखित आठ पर्यटक सर्किटों पर पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व तथा परिचालन के लिए एक योजना शुरू की है:

1. दिल्ली कैंट-जयपुर-जैसलमेर-भरतपुर-आगरा-सवाई माधोपुर-दिल्ली कैंट।
2. हवड़ा-गया-वाराणसी-गोरखपुर-भुवनेश्वर-पुरी' हवड़ा।
3. बम्बई-पुणे-औरंगाबाद-नान्देड़-सिकन्दराबाद-हैदराबाद-बम्बई।
4. गौवा (मडगांव)-मंगलौर-मैसर-हासपेट-बेंगलूरू-गौवा (मडगांव)।
5. दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी-वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली।
6. बेंगलूरू-मैसूर-मद्रास-कोडाई रोड-कन्या कुमारी-तिरुवनन्तपुरम-कोचिन-मेट्टुपालेयम-बेंगलूर।
7. दिल्ली कैंट-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद-वेरावल-पालीताना-दिल्ली कैंट।
8. मद्रास एषम्बूर-पांडिचेरी-करैइकल/वेलांकिनी-चित्राी-मदुरै-रामेश्वरम तंजावूर-चिदम्बरम-मद्रास एवम्बूरू।

उक्त योजना को वर्ष 1994-95 के दौरान कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

उपेक्षित बच्चों संबंधी राष्ट्रीय नीति

*354. **डा० आर० मल्लू** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1993 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'नेशनल पॉलिसी ऑन नेगलेक्टेड चिल्ड्रेन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बच्चों के लिये, विशेष रूप से पर्याप्त पोषाहार विषयक विभिन्न कानूनों को किसी एक व्यापक कानून में समाहित करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या गैर सरकारी संगठनों और लोगों से विचार-विमर्श करके कोई ठोस समय बद्ध कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल नीति, 1964 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 अपनाई हैं, जो निराश्रित, विकलांग और कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों सहित सभी बच्चों के कल्याण और विकास के लिए बनाई गई हैं। राष्ट्रीय पोषाहार नीति, 1993 का उद्देश्य भी कमजोर बच्चों और माताओं की पोषाहारीय आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालया ने अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। अतः बाल कल्याण और विकास से संबंधित सभी मामलों, जिनमें विधि और विकास कार्यक्रम और उनका कार्यान्वयन शामिल है, को एक व्यापक छत्र के अन्तर्गत लाना व्यवहार्य नहीं है। फिर भी, विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 1992 में अपनाई गई है। इस योजना में वर्ष 1995 और 2000 ई० के लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य नीतियां अभिनिर्धारित की गई हैं।

कार्य योजना में बाल और मात्र स्वास्थ्य पोषाहार, जल और स्वच्छता, शिक्षा, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, बालिकाओं, किशोरियों और पर्यावरण के क्षेत्रों के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय कार्य योजना, सभी संबंधित मंत्रालयों और गैर-सरकारी संगठनों के परामर्श से तैयार की गई हैं। बच्चों के कल्याण और विकास हेतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

ग्रामीण युवा

*355. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय समाज सेवा तथा अन्य स्वयं सेवी संगठनों की सहायता से ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उस पर कुल कितना व्यय करने का विचार है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण युवा कहां तक लाभान्वित होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती है जिनका उद्देश्य देश के युवाओं विशेषकर ग्रामीण युवाओं का विकास करना है :

(1) राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के लिये योजना

(2) युवाओं के प्रशिक्षण के लिये योजना

(3) स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

(4) युवाओं के लिये प्रर्दशनी योजना

(5) पिछड़ी जनजातियों के युवाओं में युवा कार्यकलापों के प्रोत्साहन के लिये विशेष योजना

(6) सहासिक कार्य के प्रोत्साहन के लिये योजना

ये कार्यक्रम चालू वर्ष में भी कार्यान्वित किये जायेंगे। प्रत्येक योजना में व्यवस्थित पद्धति के अन्तर्गत स्वयं सेवी एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन का युवा क्लबों और अन्य कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिये काम जारी रखने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कालेजों और +2 स्तर के स्कूलों के छात्र स्वयंसेवक नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए सामुदायिक कार्यों में भाग लेते हैं। ग्रामीण पर्यावरण पहलुओं के बारे में युवाओं को जागरूक करने और फिर उन्हें वाटर-शेड प्रबंध कार्यक्रमों में शामिल करने का प्रस्ताव है। छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करने के अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम उनमें सामुदायिक सेवा हेतु उत्साह का संचार करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

मूंगफली का उत्पादन

*356. **डा० असीम बाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मूंगफली और मूंगफली के तेल का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या देश ने मूंगफली के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूंगफली तथा मूंगफली के तेल के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	मूंगफली का उत्पादन	मूंगफली के तेल का उत्पादन
1991-92	70.94	16.53
1992-93	88.54	20.36
1993-94 (अनुमानित)	76.00	17.50

(ख) और (ग) मूंगफली के उत्पादन की मात्रा मानसून के रुख के आधार पर समय-समय पर बदलती रहती है, क्योंकि यह मुख्यतया वर्षा-पोषित दशाओं में उगाई जाती है और मूंगफली उपजाई

जाने वाले क्षेत्र के केवल लगभग 17 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है। वर्ष 1992-93 के दौरान मूंगफली का उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ। तथापि, 1993-94 के दौरान गुजरात में जो कि एक प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य है, मानसून की असफलता के कारण इसके उत्पादन में कमी आई है। केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, जिसके मुख्य घटक बीज, प्रदर्शन, छिड़काव यंत्र, पोध रक्षण उपाय और सूक्ष्मपोषक तत्व आदि हैं, के माध्यम से आठवीं योजना के अंत तक अर्थात् 1996-97 तक मूंगफली के मामले में निर्धारित 90 लाख मीटरी टन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

समेकित कीटनाशक प्रबंध योजनाएं

*357. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित कीटनाशक प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में अनेक जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन जिलों की पहचान की गई है;

(ग) इन जिलों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में जैविक कृषि अपनाने और कीटनाशक के न्यूनतम प्रयोग के लिए सर्वोत्तम गांव को नकद पुरस्कार देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां। सरकार ने देश में 1994-95 के दौरान समेकित कीट प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के लिए अस्थायी रूप से 250 जिलों की पहचान की है।

(ख) एक विवरण सलंग्न है।

(ग) जिलों का चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है:

(1) गहन फसल पद्धति के तहत आने वाले क्षेत्र;

(2) कीटनाशकों की अत्यधिक खपत; और

(3) कीटों तथा रोगों का बार-बार प्रकोप।

(घ) और (ङ) समेकित कीट प्रबंध योजना के तहत नकद पुरस्कार का कोई प्रावधान नहीं है। जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सर्वोत्तम पंचायतों तथा कृषकों को नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है।

विवरण

1994-95 के दौरान चावल, कपास व गन्ने की फसलों के लिये समेकित कीट प्रबन्ध योजना के कार्यान्वयन के लिये अभिज्ञात किये गये राज्यवार जिले

क्र.सं.	राज्यों का नाम	फसलों का नाम					
		चावल जिले		कपास जिले		गन्ना जिले	
		सं०	नाम	सं०	नाम	सं०	नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14	श्रीकाकूलम, विजयनगरम, विशाखापतनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, नैलूर, निजामाबाद, मेडक, महबूबनगर, नालगोंडा, वारंगल, खमाम, करीमनगर।	04	गुनटूर, प्रकाशम, कुरनूल, आदिलाबाद	01	निजामाबाद
2.	असम	14	कछार, गोलपाड़ा, करीमगंज, दुबरी, कोकराझार, कामरूप, नालबारी, बारपेटा, दारंग, सोनीतपुर, नागांव, जोरहाट, शिबसागर, डिबरूगढ़	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	24	पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, ओरंगाबाद, सिदान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, चम्पारण (पूर्वी), चम्पारण (पश्चिमी) रांची, दरभंगा, मधुबनी, मूंगेर, भागलपुर, दुमका, सहरसा, गुमलाह, साहेबगंज, पूर्णिया, हजारीबाग, सिंहभूम, सीतामढी	—	—	01	चम्पारण (पश्चिमी)
4.	गोवा	03	बारडेज, पोंडा, सतारी	—	—	—	—
5.	गुजरात	06	वलसाद, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, बड़ौदा, अहमदाबाद,	06	बड़ौदा, सुरेन्द्र नगर, भड़ौच, सबरकांठा अहमदाबाद, राजकौट	01	सूरत
6.	हरियाणा	07	सोनीपत, करनाल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत	02	हिसार, सिरसा	01	यमुनानगर
7.	हिमाचल प्रदेश	02	कांगड़ा, मंडी		—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	07	श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामुला, बुदगम, पुलवामा, जम्मू, कतुबा		—	—	—
9.	कर्नाटक	11	बंगलौर, चिकमंगलूर, साउथ, कन्नड़, धारवाड़, कोलार, मंड्या, मैसूर, शिमोगा, टुमकुर, नार्थ कन्नड़, कोडाग (कूर्ग)	04	रायचूर, बेलगांव, कैलरी बीजापुर. धारवाड़, मैसूर	01	मंड्या

10.	केरल	06	अल्हापूझा, अरनाकूलम, त्रिचूर, पल्लकड़, मालापुरम, वायनाड		—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	11	जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सेवनी, दुर्ग, राजनंदगांव, रायपुर, बिलासपुर, शाहडौल, सतना, सिद्धी	03	धार, थारगांव, खंदवा	—	—
12.	महाराष्ट्र	08	रायगढ़, रतनगिरी, सिंधुदुर्ग, पूणे, कोल्हापुर, भंडारा, चन्द्रपुर, गडचिरौली	10	अकोला, धूले, यवतमाल, अमरावती, परभानी, जलगांव, जालना, ओरंगाबाद, वरधा, नागपुर	01	अहमदनगर
13.	मिजोरम	02	ऐजवाल, लुंगली	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड	02	कोहिमा, वोहका	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	13	बालासूर, बोलनगीर, कटक, डहनकानल, गांजम, कालाहांडी, कोंझार, कोरापुट, मयूर भंज, फूलबनी, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़	—	—	—	—
16.	पंजाब	05	जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, पटियाला	04	फिरोजपुर, संगरूर, फरीदकोट, भंटिडा	01	जालंधर
17.	राजस्थान	04	बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, गंगानगर	01	श्रीगंगानगर	—	—
18.	सिक्किम	02	पूर्वी, उत्तरी जिले	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	तमिलनाडु	11	चेंगलपट्टू–एम० जी० आर०, एस० आरकोट, एन० आरकोट, अम्बेडकर, पेरीयार, त्रिची, मुदुकोट्टई, थंजवू, मदुरई, रामनाथपुरम, पी० एम० थेवर, तिरूनेलवेली	04	मदुरई, कामराजर, तिरूनेलवेली, चिदम्बरम	01	त्रिची
20.	अंडमान व निकोबार	02	अंडमान, निकोबार	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	32	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, मिरजापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बालिया, रामपुर, महाराजगंज, इलाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अल्मोड़ा, आजमगढ़, नैनीताल, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, खिरी, फैजाबाद, गौंडा बहराईच, सहारनपुर, फतेहपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, बाराबंकी, देहरादून।	—	—	02	मेरठ, गोरखपुर
22.	पश्चिमी बंगाल	14	जलपाईगुडी, पश्चिम दिनाजपुर, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना (उत्तरी), 24 परगना (दक्षिणी), हुगनी, वर्द्धमान, वीरभूम, बांकुरा, पिरूलिया, मिदनापुर (पश्चिमी), मिदनापुर (उत्तरी)	—	—	—	—
	कुल		200		40		10

राज्य स्तरीय संगोष्ठियों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा परिवर्तन के अधीन।

शहरी अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन

*358. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

डा० सुधीर राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन संबंधी उप-दल ने देश के महानगरों में ठोस और तरल अपशिष्ट-पदार्थों की समस्याओं के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन-रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उप-दल के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपशिष्ट पदार्थों के संसाधन और उन्हें पुनः प्रयोग में लाये जाने योग्य बनाने हेतु तैयार की गई कार्य-योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) शहरी नगरीय अपशिष्ट प्रबन्धन के संबंध में हाल में ऐसा कोई उप-दल गठित नहीं किया गया और न-ही कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है ।तथापि, शहरी विकास मंत्रालय के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में अप्रैल, 1990 में गठित एक उप-दल ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं :

(1) शहरी अपशिष्टों के एकत्रीकरण, परिवहन, उपयोग और निपटान के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर पद्धतियां अपनाना जिनमें इसके लिए प्रोत्साहन भी शामिल हैं;

(2) ठोस, तरल और मानवीय अपशिष्ट के निपटान के लिए "क्लीन-अप-फण्ड" और प्रायोगिक परियोजनाओं की स्थापना;

(3) शहरी अपशिष्टों के संबंध में आंकड़ों का संकलन;

(4) अस्पतालों के अपशिष्टों का उचित निपटान;

(5) अपशिष्ट प्रबन्ध के बारे में अधिक जागरूकता;

(6) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(ग) शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न अपशिष्टों के प्रबन्धन का कार्य प्राथमिक रूप से स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य क्षेत्र में आता है। तथापि, केन्द्र सरकार कार्य योजनाएं तैयार करने, मॉडल विकसित करने, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए राज्यों को तकनीकी सहायता और सलाह देती है। केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध प्रदर्शन परियोजना, पणजी, गोआ में शुरू की गई है। कचरे को ऊर्जा पैलेटों में बदलने के लिए प्रायोगिक संयंत्र बम्बई में पहले ही कार्य कर रहा है।
2. अपशिष्टों के उत्पादन, उपयोग और निपटान के बारे में चुनिन्दा शहरों में सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं ताकि इस संबंध में प्रायोगिक परियोजनाएं तैयार की जा सकें।
3. जैसा रसायनिक अपशिष्ट संबंधी नियम तैयार किए जा रहे हैं।

4. राख के उपयोग के लिए उत्पाद और सीमा शुल्क में राहत जैसे वित्तीय प्रोत्साहन अधिसूचित किए गए हैं।

5. अपशिष्ट प्रबन्धन पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

6. अपशिष्ट प्रबन्ध प्रोत्साहन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

7. सड़क निर्माण के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रयोग करने के लिए अनुसंधान परियोजना हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

8. अपशिष्ट जल के शोधन के लिए अपक्लो अनेरोबिक स्लज ब्लैकेट रिएक्टर (यू० ए० एस० बी) तथा शहरी अपशिष्ट को कम्पोस्ट में बदलने के लिए वर्मिकल्चर के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है।

कृत्रिम प्रवाल-भित्ति और समुद्री उत्पाद

*359. **श्री जी० माडे गौड़ा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में समुद्री तटों के साथ-साथ कृत्रिम प्रवाल-भित्तियों (रीफों) और समुद्री उत्पादों संबंधी परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना में कर्नाटक के समुद्र तटीय क्षेत्र को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान इस परियोजना के लिए प्रत्येक राज्य में परियोजना-वार कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) तटवर्ती जल में कृत्रिम प्रवाल भित्ति और पर्ल ओइस्टर्स, खाद्य ओइस्टर्स, मसेल, समुद्री खरपतवार आदि समुद्री उत्पाद शुरू करने के लिए मार्च, 1994 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अनुमोदित की गई। आठवीं योजनावधि के दौरान इस योजना हेतु कुल केन्द्रीय परिव्यय 500 लाख रुपए है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। देश में कृत्रिम प्रवाल भित्ति और समुद्री उत्पादन शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 1994-95 के लिए 100 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

दखलकृत वन-भूमि पर स्वामित्व अधिकार

[हिन्दी]

*360. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान तथा अन्य राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने पिछले 15 वर्षों से वन-भूमि पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने इसे कृषि योग्य भूमि में बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आदिवासियों को इस भूमि का स्वामित्व अधिकार देने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें यह स्वामित्व अधिकर कब तक दिया जायेगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विगत में इस वन भूमि पर खेती करने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देने का निर्णय लिया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राजस्थान सहित कुछ राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में वन भूमि पर अवैध कब्जों के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च) वन भूमि पर 25-10-1980 से पहले किए गए अवैध कब्जों के मामलों पर कार्रवाई भारत सरकार द्वारा ऐसे अवैध कब्जों के नियमितीकरण के बारे में 18-9-1990 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इसके बाद वाले मामलों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के तहत निर्णय लिया जाएगा।

महिलाएं और कानून पर कार्यशाला

[अनुवाद]

3813. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में "वीमेन एंड लॉ" संबंधी कार्यशाला आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (ग) "महिलाएं और कानून" विषय पर 7-8 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर द्वारा अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम, 1956, स्त्री अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेण) अधिनियम, 1986 तथा बलात्संग संबंधी कानूनी प्रावधानों के सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु किया गया। सरकार को कार्यशाला में की गई सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

जम्मू और कश्मीर के निवासियों को उपलब्ध करायी गई वस्तुएं

[हिन्दी]

3814. **श्री ललित उरांव** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जम्मू और कश्मीर के निवासियों को रियायती दरों/नियंत्रित दरों पर कौन-कौन सी वस्तुएं उपलब्ध करायी गयी और इन वस्तुओं की कीमतें क्या थीं;

(ख) क्या उक्त व्यवस्था का कार्यान्वयन कश्मीर, जम्मू और जम्मू-कश्मीर के अंतर्गत लद्दाख के सभी क्षेत्रों में समान रूप से किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल तथा आयातित खाद्य तेल आवंटित किए जाते हैं। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं समान केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी की जाती हैं, जिनमें आमतौर पर केंद्रीय सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राजसहायता शामिल होती है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं के केंद्रीय निर्गम मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) समूचे जम्मू व कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। जम्मू व कश्मीर राज्य में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले कुल 34 ब्लाक संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए नियत खाद्यान्न, विशेष रूप से राजसहायतायुक्त केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर वितरित किए जाते हैं, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए नियत केंद्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रु० प्रति क्विंटल कम हैं। जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के अनुरोध का पूंछ, रजौरी, गुरेज (बारामूला जिला) करनाह तथा माचल (कुपवाड़ा जिला) के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी केंद्रीय सरकार द्वारा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना को लागू करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के केंद्रीय निर्गम मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

वस्तु	निम्नलिखित तारीख से लागू	कॉमन	फाइन	सुपर फाइन
1	2	3	4	5
क. चावल	28-12-1991	377	437	458
	11-01-1993	437	497	518
	01-02-1994	537	617	648

(रु० प्रति क्विंटल)

1	2	3	4	5
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली		
ख. गेहूं	28-12-1991	280		
	11-01-1993	330		
	01-02-1994	402		
				(रु० प्रति मी० टन)
		थोक		15 कि० ग्रा० प्रति टीन
ग. आयातित	26-01-1991	16500	19000	
खाद्य तेल	04-01-1992	22000	25000	
घ. मिट्टी का तेल	25-07-1991	रु० 2201.54 प्रति कि० ली०		
ङ लेवी चीनी	24-07-1991	रु० 6.10 प्रति कि० ग्रा०		
(खुदरा)	21-01-1992	रु० 6.90 प्रति कि० ग्रा०		
	17-02-1993	रु० 8.30 प्रति कि० ग्रा०		
	01-02-1994	रु० 9.05 प्रति कि० ग्रा०		

दुग्ध निविदाएं दिया जाना

[अनुवाद]

3815. **श्री मोतीलाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्वेषण और पंजीकरण महानिदेशक दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 1993-94 के दौरान निविदाएं स्वीकृत करने के मामले में हुई वित्तीय/प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो जांच किस स्तर पर है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) अन्वेषण और पंजीकरण महानिदेशक (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग) ने मार्च, 1993 से जुलाई, 1993 के दौरान, टिप्पणी के लिए कुछ शिकायतें दिल्ली दुग्ध योजना को भेजी थीं। दिल्ली दुग्ध योजना ने इन शिकायतों की जांच की और सितम्बर, 1993 में आवश्यक टिप्पणियां/तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए जिसके पश्चात अन्वेषण तथा पंजीकरण महानिदेशालय ने न तो कोई आगे की जानकारी मांगी है और न ही उन्होंने शिकायतों पर लिए गए निर्णय की कोई सूचना दी है।

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति

3816. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अपेक्षित संख्या में आरक्षित पदों को गत तीन वर्षों के दौरान विधिवत् भर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे प्राधिकरण पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को खपाने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पदोन्नति और भर्ती की दोनों ही कोटियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षित पद इस प्रयोजन के लिए आयोजित चयनों/भर्तियों में निम्नलिखित को छोड़कर पूर्णतः भर दिए गए थे:

(i) जहां पदोन्नति कोटियों के ग्रुप क और ख कोटियों के लिए विचारार्थ क्षेत्र/विस्तरित विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे और ग्रुप ग और घ के लिए, जहां तत्काल निचले ग्रेड, जिसमें से पदोन्नतियां की जाती थी, में 2 वर्ष/एक वर्ष की सेवा वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।

(ii) जहां वर्ष के दौरान केवल एक ही पद रिक्त हुआ हो जिसके कारण इसे सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरा जाना अनिवार्य था।

(iii) जहां कमी थी परन्तु भाप रेल इंजन शेडों के बंद होने/कार्य में कमी होने के कारण रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं।

(iv) जहां भर्ती कोटि में भर्ती की एजेंसी द्वारा अपेक्षित अर्हता रखने वाले उम्मीदवार नहीं पाए जा सके।

1991-92 और 1992-93 के दौरान भरे गए पदों की संख्या नीचे दी गई है:

भर्ती कोटि

वर्ष	ग्रुप			
	"ग"		"घ"	
	अनु० जा०	अनु० ज० जा०	अनु० जा०	अनु० ज० जा०
1991-92	45	30	09	19
1992-93	7	22	8	26

31-3-93 से 31-3-94 तक शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियान के परिणामस्वरूप, भर्ती में जो कमियां पूरी की गयी थी, वे इस प्रकार थी :

अ० जा० / अ० ज० जा०	ग्रुप	31-3-93 को मौजूद कमी	31-3-94 को मौजूद कमी
अनु० जाति	"ग"	30	2
	"घ"	109	कोई नहीं
अनु० ज० जाति	"ग"	83	1
	"घ"	336	241

(ग) जहां तक अनु० जन जातियों की ग्रुप "घ" के बकाया 241 पदों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि विशेष अभियान जारी रखा जा रहा है ताकि नैमित्तिक श्रमिकों को बिना बारी नियमित करके फालतू कर्मचारियों को पुनः नियोजित करके, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करके इस कमी को पूरा किया जा सके। इस अभियान के परिणामों के आधार पर, उन कोटियों में आवश्यकता पड़ने पर सीधी भर्ती करने के बारे में विचार किया जाएगा जिनमें फालतू कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री सुविधा समिति

3817. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री सुविधा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने इन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं– पीने का पानी, छतदार शेडों, बेंचों, पंखों, छायादार वृक्षों आदि की व्यवस्था करना। उनकी सिफारिशों के आधार पर रेलों द्वारा स्टेशनों और गाड़ियों में यात्री सुविधाओं में सुधार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनमें यात्री सुविधाओं के लिए धन का आबंटन 1988-89 के 18.11 करोड़ रु० से उतरोत्तर बढ़ाकर 1994-95 में 60 करोड़ रु० करना शामिल है। यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए आबंटित धन को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बिना वारी के नये कार्यों के लिए खर्च स्वीकृत करने की महाप्रबंधक की शक्तियां 5 लाख रु० से बढ़ाकर 15 लाख रु० कर दी गई है। इसके अलावा, स्टेशनों को साफ-सुथरा रखने तथा वहां बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए स्टेशन प्रबंधकों को जिम्मेवार बनाया गया है। कई स्टेशनों पर सवारी डिब्बों की सफाई के लिए जेट क्लीनिंग मशीनें लगा दी गयी हैं और कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों पर चल सफाई वालों की व्यवस्था की गई है। सुलभ शौचालय तथा भुगतान करने पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले शौचालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत स्टेशनों पर कंम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाना

3818. **श्री हाराधन राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि पूर्व रेल के आसनसोल मंडल के अंतर्गत अनेक रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म निचले स्तर के हैं उन्हें ऊंचा करना एक सतत् प्रक्रिया है। जहां कहीं भी यातायात की आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षित होता है इस कार्य को शुरू किया जाता है जो धन की उपलब्धता और स्टेशनों के सापेक्ष महत्व पर निर्भर करता है। तदनुसार, आसनसोल खंड के कुमारदुबी, गलसी, सीतारामपुर, मधुपुर, अंडाल, रूपनारायणपुर और कुलटी रेलवे स्टेशनों पर इस संबंध में कार्य शुरू कर दिया गया है।

ब्लाक रेक

3819. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग अब ब्लाक रेक बुक करने को प्राथमिकता देता है और फुटकर माल ढुलाई से इनकार करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ब्लाक रेक से कम माल की ढुलाई कराने वाले व्यापारियों/निर्माताओं के लिये कोई प्रबंध किया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) रेलें परिचालनिक अपेक्षाओं के कारण ब्लाक रैकों में माल के संचलन को तरजीह देती है। यह नीति कुछ समय से लागू रही है। बहरहाल, विभिन्न गंतव्य के लिए एकल माल डिब्बों की मांगों को भी स्वीकार किया जाता है और इस प्रकार के चल स्टाक की उपलब्धता और किसी विशिष्ट समय पर प्रचलित परिचालन स्थिति के अध्यधीन इन्हें पूरा किया जाता है।

कृषि उत्पादन हेतु धनराशि का आवंटन

3820. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान

एस० एफ० पी० पी० आई०, पी० आर० डी०, एन० डी० पी० डी०, ओ० पी० पी०, आई० सी० डी० पी० और एस० जे० डी० पी० के अंतर्गत वर्षवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त परिमाणात्मक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों हेतु राज्यों की वार्षिक आबंटन में से दी गई धनराशि का वर्षवार, कार्यक्रमवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित मात्स्यिकी परियोजना

3821. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित मात्स्यिकी परियोजना के लिए 1993-94 और 1994-95 के दौरान किए गए कुल आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत धनराशि के सदुपयोग की निगरानी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन के लिए 1993-94 के वास्ते योजना परिव्यय 2454 लाख रुपए और 1994-95 के लिए 594 लाख रुपए है।

(ख) और (ग) जी, हां। परियोजना द्वारा निधियों की उपयोगिता के संबंध में प्रगति की मानिटरिंग तिमाही समीक्षा बैठकों में और विभाग में आयोजित कार्यक्रम अधिकारियों की बैठकों में की जाती है।

बर्द्धमान यार्ड का नवीकरण

3822. **श्री पूर्ण चन्द्र मल्लिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बर्द्धमान यार्ड का नवीकरण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की ताजा स्थिति क्या है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फेज-1 का कार्य प्रगति पर है। वास्तविक प्रगति 55 प्रतिशत हुई है और इस कार्य को वर्ष 1994-95 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

विदेशी सहायता

[हिन्दी]

3823. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 21 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2854 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता के संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसमें विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करना होता है, जिसमें काफी समय लगता है। आश्वासन को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सोयाबीन का उत्पादन

[अनुवाद]

3824. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार किन-किन स्थानों पर सोयाबीन की खेती होती है;

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में सोयाबीन का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार सोयाबीन की खेती और अधिक क्षेत्र पर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) विवरण-1 पर संलग्न है।

(ख) विवरण-2 पर संलग्न है।

(ग) और (घ) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना-तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित नीतियां अपनाई जा रही हैं :

(1) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खरीफ परती भूमि में सोयाबीन खेती का विस्तार।

(2) बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में सोयाबीन के तहत क्षेत्र का विस्तार।

(3) महाराष्ट्र और गुजरात में कपास के साथ सोयाबीन का अन्तः पसलन।

(4) उड़ीसा में गौण कदन्नों के स्थान पर सोयाबीन की खेती करना।

(5) गैर-पारम्परिक राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सोयाबीन की खेती शुरू करना।

विवरण-I

क्रमांक	सोयाबीन उगाने वाले प्रमुख राज्यों/जिलों के नाम
1.	**आंध्र प्रदेश**
	1. प्रकासम
2.	**गुजरात**
	1. बडोडरा
	2. भरूच
	3. डंग्स
3.	**कर्नाटक**
	1. बेलगाम
	2. बाजीपुर
4.	**मध्य प्रदेश**
	1. सागर
	2. दमोह
	3. जबलपुर
	4. मांडला
	5. होशंगाबाद
	6. नरसिंहपुर
	7. खण्डवा
	8. बैतूल
	9. छिंदवाड़ा
	10. सिवनी
	11. मुरैना
	12. ग्वालियर
	13. शिवपुरी
	14. गुना

15. विदिशा
16. राजगढ़
17. शाजापुर
18. उज्जैन
19. रतलाम
20. मंदसौर
21. देवास
22. इन्दौर
23. धार
24. झबुआ
25. रीवा
26. सतना
27. टीकमगढ़
28. छतरपुर
29. साहोर
30. भोपाल
31. रायसेन

5. महाराष्ट्र

1. जलगांव
2. सातारा
3. सांगली
4. कोल्हापुर
5. औरंगाबाद
6. पुणे
7. अकोला
8. अमरावती
9. यवतमाल
10. वर्धा
11. नागपुर
12. भण्डारा
13. चन्द्रपुर

6. राजस्थान

1. बांसवाड़ा
2. बूंदी
3. चित्तौड़गढ़
4. झालावाड़
5. कोटा

7. उत्तर प्रदेश

1. ललित पुर
2. झांसी
3. जालौन
4. हमीरपुर
5. बांदा
6. नैनीताल
7. पिथौरागढ़

विवरण-II

(उत्पादन हजार मीटरी टन में)

राज्य		1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2.1	3.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.2	*
3.	गुजरात	11.7	11.0
4.	हिमाचल प्रदेश	0.3	*
5.	कर्नाटक	28.2	36.0
6.	मध्य प्रदेश	2322.1	3480.0
7.	महाराष्ट्र	361.4	671.0
8.	मेघालय	0.9	*
9.	मिजोरम	1.8	*
10.	नागालैंड	4.2	*

1	2	3	4
11.	उड़ीसा	0.1	*
12.	राजस्थान	333.4	465.0
13.	सिक्किम	3.0	*
14.	उत्तर प्रदेश	32.9	*
15.	पश्चिम बंगाल	0.3	*
	*अन्य	—	14.0
	अखिल भारत	3105.6	4717.0

खाद्यानों की खरीद

3825. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार चावल, गेहूं और चीनी की कुल कितनी-कितनी मात्रा खरीदी गई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : चावल और गेहूं के संबंध में अपेक्षित सूचना क्रमशः विवरण-1 और 2 में दी गई है।

केन्द्रीय पूल के लिए चीनी की कोई वसूली नहीं की जाती है।

विपणन मौसम 1990-91 से चावल की वसूली (विपणन मौसम अक्तूबर, सितम्बर)

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अ) 16-4-94 तक
1	2	3	4	5
		क. जो केन्द्रीय पूल में अंशदान कर रहे हैं		
आंध्र प्रदेश	3335	2262	3296	2900
अरुणाचल प्रदेश	नग०	नग०	नग०	—
असम	7	6	9	4
बिहार	—	—	—	3
हरियाणा	1063	921	909	1241
कर्नाटक	146	116	116	132
मध्य प्रदेश	632	404	689	771
महाराष्ट्र	23	52	70	74

1	2	3	4	5
उड़ीसा	214	266	380	317
पंजाब	4814	4248	4905	5452
राजस्थान	29	20	22	20
उत्तर प्रदेश	1348	831	1186	1295
पश्चिम बंगाल	103	80	170	133
चण्डीगढ़	21	24	30	25
दिल्ली	5	5	5	5
पांडिचेरी	5	5	6	2
जोड़ (क) :	11745	9240	11793	12377
		ख. जो केन्द्रीय पूल में अंशदान नहीं कर रहे हैं		
गुजरात	20	14	28	15
जम्मू और कश्मीर	7	3	—	—
तमिलनाडु	899	997	1232	563
जोड़ (ख) :	926	1014	1260	578
जोड़ (क + ख) :	12671	10254	13053	12955

(अ) आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है।

नग : 500 मीटरी टन से कम।

विवरण-2

गेहूं की वसूली को बताने वाला विवरण

(विपणन मौसम के अनुसार)

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93 (अ)	1993-94 (अ)
1	2	3	4	5
गुजरात	—	—	—	नग०
हरियाणा	2595	1834	1372	3454

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	1	—	—	1
जम्मू और कश्मीर	नग०	—	—	—
मध्य प्रदेश	नग०	—	नग०	242
पंजाब	6749	5543	4489	6494
राजस्थान	135	8	22	496
तमिलनाडु	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	1584	368	497	2128
चण्डीगढ़	2	—	—	नग०
दिल्ली	—	—	—	20
अखिल भारत	11066	7753	6380	12835

विपणन मौसम: अप्रैल-मार्च

(अ) अनन्तिम

नग० : 500 मीटरी टन से कम

चैनपुर स्टेशन पर उपरिपुल

[हिन्दी]

3826. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और टाटा के पास बिहार में बरकाकानन और गोमोह रेलवे स्टेशनों के बीच चैनपुर स्टेशन पर कोयला साइडिंग है;

(ख) क्या यह रेलवे लाइन कोल-इंडिया साइडिंग पर चौबीसों घंटे कार्य चलते रहने के कारण बहुत व्यस्त रहती है और इससे यातायात के आवागमन में असुविधा होती है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्टेशन पर उपरिपुल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू हो जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) सड़क यातायात के प्रबंधन का विषय राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण का है।

(ग) रेलें व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के प्रस्तावों पर लागत में हिस्सेदारी के आधार पर विचार करती हैं बशर्ते ऐसी योजनाएं मौजूदा नियमों के अनुसार अपने हिस्से की लागत वहन करने की सहमति सहित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की जाएं।

चैनपुर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत-हालैंड समझौता

[अनुवाद]

3827. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संरक्षित कृषि तकनीक के लिए पुष्प कृषि के क्षेत्र में हालैंड सरकार के सहयोग से संयुक्त उद्यम लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता का रख-रखाव

3828. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24-3-1994 के/बिजिनेस स्टैन्डर्ड, में "ए लोंग केटेलोग ऑफ नेगलेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस ग्रंथालय के उच्च शैक्षिक स्तर को बरकरार रखने के लिए न केवल दुर्लभ पुस्तकों, बल्कि नयी पुस्तकों के रख-रखाव के लिए क्या कारगर उपाय किये गये अथवा किये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रंथालय में दुर्लभ पुस्तकों को दुर्लभ पुस्तक प्रभाग में समुचित रूप से परिरक्षित किया जाता है, जो कि विशेष रूप से वातानुकूलित और आद्रता-नियंत्रित है। जहां तक नई पुस्तकों का संबंध है, पर्याप्त स्थान का अभाव इस ग्रंथालय की एक विशिष्ट समस्या है और इसलिए समुचित रूप से उनके रखरखाव में कुछ कठिनाइयां होती हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित सावधानी बरती जाती है कि पुस्तकों का अधिग्रहण करके उनको यथा-समय शेल्फ में रखा

जाए। यह सच है कि विगत समय में दीमक और वर्षा के पानी से पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, किन्तु अधिकांश क्षतिग्रस्त पुस्तकों का ग्रंथालय के परिरक्षण और संरक्षण प्रभागों द्वारा उपचार करके पुनरुद्धार किया गया। समाचार -पत्रों और पत्रिकाओं के संबंध में विस्तृत जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अधिकांश खंड पूर्व इम्पीरियल लाइब्रेरी संग्रह से प्राप्त नहीं हुए।

काजू की खेती हेतु केरल को धनराशि का उपलब्ध किया जाना

3829. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को काजू की खेती के लिए कोई वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को वर्ष-वार कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या केरल सरकार ने 1994-95 के लिए काजू की खेती हेतु वित्तीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) गत दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यों, जिनमें काजू संबंधी योजना चलाई जा रही है, को निर्मुक्त की गई निधि प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

भारत में काजू के समेकित विकास के लिए राज्यों को मुहैया की गई वित्तीय सहायता प्रदर्शित करने वाला विवरण

	राज्य का नाम	निर्मुक्त की गई निधि (लाख रुपए में)	
		1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	25.45	84.87
2.	आंध्र प्रदेश	55.30	83.52
3.	केरल	32.46	73.45
4.	कर्नाटक	28.86	74.98
5.	अंडमान और निकोबार	3.11	1.13

1	2	3	4
6.	मध्य प्रदेश	11.86	17.51
7.	महाराष्ट्र	70.55	99.77
8.	गोवा	29.16	77.94
9.	उड़ीसा	15.21	69.41
10.	पश्चिम बंगाल	3.11	9.00
11.	मणिपुर	5.28	2.25

रेलवे परियोजनाएं

[हिन्दी]

3830. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेल विकास संबंधी कई परियोजनाएं स्थगित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं और उन्हें स्थगित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि अन्य राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश की इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा और उन पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान-कृषि के लिए कार्य योजना

3831. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्यान-कृषि उत्पादों के लिए आधारभूत संरचना और प्रबंध प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से कोई समय-बद्ध कार्य योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी, सरकार आठवीं योजना के दौर निम्नलिखित प्रमुख स्कीमों के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है :

(1) बागवानी फसलों के लिए कटाई-पश्चात ढांचे के प्रबंध पर एकीकृत कार्यक्रम;

(2) साफ्ट लोन के रूप में सहभागिता के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास करना;

(3) बागवानी फसलों के लिए बाजार आसूचना सेवा;

(4) फलों का रस/फलों पर आधारित पेय पदार्थों के विपणन के लिए वैकल्पिक ढांचा।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

3832. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वर्ष-वार और विश्वविद्यालय-वार कुल कितना सहायता अनुदान दिया गया;

(ख) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को मिली सहायता विश्वविद्यालय की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्ष 1992-93 तथा वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किये गये गैर-योजनागत अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्षों से विश्विद्यालयों को जारी किये गये अनुदानों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1992-93 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को जारी किये गये 5238.23 लाख रुपए के योजनेत्तर अनुदान में वृद्धि करके वर्ष 1993-94 में 6023.18 लाख रु० कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपने आन्तरिक संसाधनों का सृजन करने के लिए तथा यथा सम्भव टालने योग्य खर्च को कम करने के लिए प्रयास करने की भी सलाह दी गई थी।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए योजनेतर अनुदान

(आंकड़े लाखों में)

	विश्वविद्यालय का नाम	1992-93	1993-94
	1	2	3
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	4119.47 रु०	5728.09 रु०
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	5238.23 रु०	6023.18 रु०
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	2853.05 रु०	3209.78 रु०

1	2	3
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय	849.77 रु०	994.21 रु०
5. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	888..32 रु०	103.78 रु०
6. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1583.27 रु०	1925.29 रु०
7. उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1249.86 रु०	1439.02 रु०
8. पांडिचेरी विश्वविद्यालय	300.21 रु०	444.82 रु०
9. विश्व भारती	1211.58 रु०	1489.39 रु०

नलगोंडा स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

[अनुवाद]

3833. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत नए स्टेशनों के विकास के लिए उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेष रूप से नलगोंडा जिले, अलेर, मोंजीर, बीबीनगर, चित्याल, नलगोंडा, रामनपेट, मिरयालगुडा में बैंचों, जल सुविधिओं और आरक्षण प्रणाली में सुधार करने संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह तब किया जाता है जब यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित समझा जाता है, बशर्ते धन उपलब्ध हो। अलेर, भोंगीर, बीबीनगर, चित्याल, नलगोंडा, रमन्नापेट और मिरयालगुडा स्टेशनों पर यहां सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं पहले ही मुहैया कर दी गयी हैं जिनमें आरक्षण की सुविधाएं भी शामिल हैं। अतिरिक्त विकास के उपाय के रूप में, अलेर में प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है।

सरदार सरोवर परियोजना

3834. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंत्रालय में गुजरात में इसके द्वारा निर्धारित पर्यावरण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरदार सरोवर परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किये गये उपायों का मूल्यांकन करने हेतु एक दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या दल ने परियोजना स्थल एवं इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों को दौरा कि... अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो दल के क्या निष्कर्ष निकले और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) तथ्यों का पता लगाने तथा जलमार्ग को बन्द करने की स्थिति में पुनर्वास कार्यों एवं पर्यावरणीय कार्य योजनाओं के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए परियोजना क्षेत्र का दौरा करने हेतु एक दल गठित किया गया था जिसमें सर्वश्री एस० पी० मुद्गल (सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय), कुशलप्पा (क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक) बिट्टू सहगल और श्याम चैनानी पर्यावरणविद) शामिल थे।

(ग) और (घ) दल ने अभी तक स्थल का अपना दौरा पूरा नहीं किया है।

केन्द्रीय माध्यमकि शिक्षा बोर्ड परीक्षा का गणित का पर्चा

3835. **श्री शशि प्रकाश** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "मैथ्स पेपर पजल्स स्टूडेंट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं कक्षा की परीक्षा में लंबे हल वाले प्रश्नों के संबंध में तथाकथित विवाद की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो बारहवीं कक्षा की उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित विभिन्न पर्चों में रखे गए विभिन्न प्रश्नों के सही होने, इन्हें हल करने में होने वाली कठिनाई तथा उत्तर देने के लिए अपेक्षित समय के संबंध में विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) द्वारा इस वर्ष संचालित कक्षा XII की परीक्षा में गणित के पेपर से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर बोर्ड ने प्रश्न-पत्र की जांच करने के लिए विषय विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।

(ग) प्रश्न-पत्र की जांच करने के बाद समिति ने यह सुझाव दिया है कि कक्षा XII के गणित के पेपर में कुछ प्रश्न लम्बे हल वाले थे जिससे परीक्षार्थियों को नुकसान हो सकता है।

(घ) उपर्युक्त समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा XII के गणित के पेपर के लिए उदारता से अंक देने की स्कीम अपनाने का निर्णय किया है जिससे परीक्षार्थियों के नुकसान की पर्याप्त रूप से भरपाई होगी।

गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज

3836. **डा० के०वी०आर० चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में गन्ने की प्रति हैक्टेयर कितनी पैदावार होती है; और

(ख) सरकार ने पैदावार बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1992-93 के दौरान गन्ने का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज निम्नानुसार है :

	(किलोग्राम में)		(किलोग्राम में)
आंध्र प्रदेश	— 72142	असम	— 38789
बिहार	— 45384	गुजरात	— 85472
हरियाणा	— 48881	कर्नाटक	— 86014
केरल	— 69293	मध्य प्रदेश	— 33442
महाराष्ट्र	— 76408	उड़ीसा	— 64579
पंजाब	— 56866	राजस्थान	— 46453
तमिलनाडु	— 104005	उत्तर प्रदेश	— 55428
पश्चिम बंगाल	— 57708	अखिल भारत	— 63810

(ख) चीनी मिलों को अपने प्रचालन क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए चीनी विकास निधि में से ऋण मुहैया किए जाते हैं ताकि ताप उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा सके, नर्सरियों की देखभाल की जा सके, कीट नियंत्रण उपाय अपनाए जा सकें, गन्ने की उन्नत किस्मों को लगाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन दिया जा सके और सिंचाई योजनाओं को अपनाया जा सके आदि।

कृषि संबंधी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी

3837. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दो दशकों से कृषि संबंधी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश स्थिर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के कुल आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस खर्च में वह खर्च शामिल नहीं है जो राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान एककों पर उनके द्वारा किए जाते हैं। चूंकि कृषि राज्य का मामला है इसलिए ऐसे खर्च अत्यन्त ही महत्व के हैं। कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में किया जाने वाला निवेश भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के

आधार पर संसद द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय और गैर-योजना बजट के द्वारा किया जाता है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

कृषि भवन : नई दिल्ली-110001.

वर्ष	भा० कृ० अ० प० / डेयर पर कुल आबंटन (रु० करोड़ में)	कृषि से जी० डी० पी० (रु० करोड़ में)	कृषि जी० डी० पी० के आवंटन का प्रतिशत
1	2	3	4
1970-71	18.48	16776	0.110
1971-72	25.90	17380	0.149
1972-73	32.80	19169	0.171
1973-74	34.42	25879	0.133
1974-75	35.04	28029	0.125
1975-76	39.33	26793	0.148
1976-77	45.75	27258	0.167
1977-78	56.31	31372	0.179
1978-79	71.36	32095	0.222
1979-80	87-85	32990	0.266
1980-81	93.84	42466	0.220
1981-82	100.88	47736	0.211
1982-83	111.24	50527	0.220
1983-84	116.13	61318	0.189
1984-85	131.09	65118	0.199
1985-86	147.14	69964	0.210
1986-87	157.37	74405	0.211
1987-88	169.91	83515	0.203
1988-89	198.90	104103	0.191
1989-90	230.60	115447	0.199

टिप्पणी : सभी मूल्य चालू कीमतों में हैं।

स्रोत: 1. इण्डिया डाटाबेस, द इकॉनिम, एन्युएल टाईम सीरीज डाटा, खण्ड-I-1990.

2. कृषि सांख्यिकी एक नजर में, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, मार्च-1993.

पशुओं पर क्रूरता

[हिन्दी]

3838. **श्रीमती सरोज दुबे :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1994 के जनसत्ता में "चीता के नाखून तक निकाल लिये फिल्म बनाने के लिए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि फिल्म की शूटिंग के समय कोई क्रूरता नहीं की गई है जैसा कि समाचार पत्र में उल्लेख किया गया है।

(ग) फिल्म प्रमाणन के केन्द्रीय बोर्ड को फिल्म की शूटिंग के लिए दिशानिर्देश मुहैया करा दिये गये थे ताकि पशुओं के प्रति कोई क्रूरता न हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सलाह दी गई है कि वह फिल्म एसोसिएशनों को अनुदेश जारी करें कि पशुओं, विशेषकर वन्य पशुओं से संबंधित फिल्मांकन भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड को पूर्व सूचना दिए जाने के बाद ही किया जाए ताकि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो सके कि फिल्मांकन क्रूरता के बिना किया गया है। इसके अलावा, जीव-जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अनुसार जीव-जन्तु क्रूरता निवारण सोसायटी तथा प्राधिकृत अधिकारी पशुओं के प्रति की गई क्रूरता के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।

पैलेसे आन व्हील्स

3839. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में वर्तमान रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदले जाने के बाद "पैलेस आन व्हील्स" अनुपयोगी हो जायेगी;

(ख) क्या इस गाड़ी को बड़ी लाइन पर चलाने योग्य बनाने के लिए इसमें सुधार करने की कोई विशेष योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसे बरास्ता अजमेर और पुष्कर होते हुए भी चलाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो अजमेर में इस रेलगाड़ी को न रोकने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) मीटर लाइन को "पैलेस आन व्हील्स" गाड़ी के मौजूदा मार्ग को 1995 में बड़ी लाइन में बदल दिए जाने के बाद इस गाड़ी को राजस्थान और गुजरात के नये मीटर लाइन सर्किट में चलाया जायेगा।

(ख) से (ङ) यह विनिश्चय किया गया है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहायोग से बड़ी लाइन की "पैलेस आन व्हीलस" गाड़ी बनायी जाए, यह अपने मौजूदा मार्ग में परिचालित होगी लेकिन इसमें उदयपुर के स्थान पर रणथम्भौर वन्य प्राणी अभयारण्य को शामिल किया जा रहा है क्योंकि उदयपुर बड़ी लाइन पर नहीं है। अजमेर और पुष्कर को मूल मार्ग में शामिल नहीं किया गया था।

पक्षियों की हत्या

3840. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में काफी अधिक संख्या में मोरों को ज़हर खिला कर मार दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अपराध के दोषियों को सज़ा दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो पक्षियों की हत्या के कितने मामलों की जानकारी पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को मिली; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) बिहार राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

काजीरंगा नेशनल पार्क

[अनुवाद]

3841. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने काजीरंगा नेशनल पार्क के विकास के संबंध में एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केवल पार्क के विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(घ) इस संबंध में भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय को वर्ष 1993-94 के लिए "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकासनात्मक स्कीम के तहत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में शिकार-रोधी ढांचा मजबूत बनाने, वास-स्थलों की सुरक्षा और उद्यान क्षेत्र का विस्तार आते हैं।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 88.58 लाख रुपये की राशि दी गई है।

इससे पूर्व, राज्य सरकार को "असम में गैंडों के संरक्षण" को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत सहायता दी जा रही थी। स्कीम के अन्तर्गत दिए गए परिव्यय का अधिकांश हिस्सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर खर्च किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार इस स्कीम को अब संसाधनों सहित राज्य सरकार को अंतरित कर दिया गया है। 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार को क्रमशः 169.20 लाख रुपए तथा 75.00 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी।

(घ) चूंकि गैंडा संरक्षण स्कीम को राज्य सरकार को अंतरित कर दिया गया है, अतः काजीरंगा में गैंडों के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग की निधियां राज्य की योजना स्कीम से मुहैया करानी होंगी और उन्हें इस मामले में राज्य आयोजना बोर्ड से सम्पर्क करना होगा और जरूरत पड़ने पर इस मामले के संबंध में योजना आयोग से अनुरोध करना होगा।

रासायनिक उर्वरकों का मूल्य

3842. **श्री एस०एम० लालजान बाशा** :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री हरिन पाठक :
श्री विजय एन० पाटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, आयातित तथा स्वदेशी दोनों प्रकार के उर्वरकों के वर्तमान मूल्य क्या हैं और उन पर कितनी राजसहायता दी जाती है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के दुष्प्रभावों के बारे में अध्ययन किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी वितरण लागत में कमी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इनके मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) नियंत्रित उर्वरकों के मूल्य और राजसहायता सहित विनियंत्रित उर्वरकों के प्रचलित मूल्य प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, यूरिया के मूल्य 10% तक घटा दिए गए हैं और फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक को सांविधिक मूल्य नियंत्रण से हटा दिया गया है जिससे उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है।

उसके बाद सरकार ने किसानों को विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक रियायत के साथ बिक्री के लिए 92-93 में 340 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की। 1993-94 के दौरान भी सरकार ने 632 करोड़ रुपए की राशि मुहैया की है और स्वदेशी डी० ए० पी० की बिक्री के लिए 1000 रुपए प्रति मीटरी टन की रियायत उपलब्ध कराई है और स्वदेश में उत्पादित मिश्रणों के लिए आनुपातिक रूप में एस० एस० पी० के लिए 340 रुपए प्रति मीटरी टन और एम० ओ० पी० (जो पूर्णतया आयातित है) पर 1000 रुपए प्रति मीटरी टन की रियायत उपलब्ध कराई है। वर्तमान में वितरण लागत को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि केवल यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरक सांविधिक नियंत्रण के अधीन हैं तथा उनके मूल्य घटा दिए गए हैं।

विवरण

(मूल्य प्रति मीटरी टन)

क्रमांक	उर्वरक का नाम	सांविधिक नियंत्रण के अधीन 25-8-1992 से मूल्य	1993-94 के दौरान विनियंत्रित उर्वरकों के (रियायत के बाद) मूल्य
1	2	3	4
1.	यूरिया (46% एन)	2760	
2.	अमोनिया सल्फेट (20.6% एन)	1920	
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25% एन)	2000	
4.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (26% एन)	2080	
5.	म्यूरिएट आफ पोटाश (62% के)	*	3600-4000 (सभी आयातित 1000 रुपए की रियायत सहित)
6.	सल्फेट आफ पोटाश (50% के)	*	—

1	2	3	4
7.	डाई अमोनियम फास्फेट (18:46:0)	*	6200-7000 (स्वदेशी डी० ए० पी० 1000 रुपए प्रति मीटरी टन की रियायत सहित) 6200-7000) आयातित डी० ए० पी० बिना रियायत)
8.	एन० पी० के० (17 : 17 : 17)	*	
9.	एन० पी० के० (15 : 15 : 15)	*	
10.	एन० पी० के० (19 : 19 :19)	*	4120-6850 सभी स्वदेशी 435 से
11.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20 : 20 : 20)	*	999 रुपए के बीच रियायत सहित
12.	नाइट्रो फास्फेट (20 : 20 : 0)	*	
13.	नाइट्रो फास्फेट (23 : 23 : 0)	*	
14.	एन० पी० के० (14 : 28 : 14)	*	
15.	एन० पी० के० (14 : 35 : 14)	*	
16.	एन० पी० के० (10 : 26 : 26)	*	
17.	(12 : 32 : 16) एन० पी० के०	*	
18.	सिंगल सुपर फास्फेट (चूर्ण) (16% पी $_2$ ओ $_5$)	*	1800-2760 (स्वदेशी 340 रुपए
19.	सिंगल सुपर फास्फेट (दानेदार) (16% पी $_2$ ओ $_5$)	*	प्रति मीटरी टन की रियायत के साथ
20.	अमोनियम क्लोराइड (25% एन) 2000		

*25-8-92 से सांविधिक मूल्य नियंत्रण से बाहर कर दिया गया।

कम्प्यूटर का विकास

[हिन्दी]

3843. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **मानव संसाधान विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत वैयाकरण पाणिनी द्वारा बताई गई तकनीक के आधार पर आई० आई० टी० कानपुर ने एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने वाला एक कम्पयूटर विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तकनीक का आगे और विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने पाणिनि के व्याकरण पर आधारित धारणाओं और सिद्धान्तों के आधार पर अनुसारक नामक कम्पयूटर साफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की व्यवस्था है। अच्छी कोटि के अनुवाद के लिए अनुसारक द्वारा किए गए अनुवाद का सम्पादन मानवों द्वारा शीघ्रता से किया जा सकता है जिसके लिए प्रयोक्ता को द्विभाषी होना जरूरी नहीं है।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार, कम्पयूटर विज्ञान, के क्षेत्र में विशेषज्ञों, पाणिनी के सिद्धान्तों के अध्येताओं और भाषा विशेषज्ञों में गहन विचार-विमर्शों जैसे प्रयासों के साथ-साथ कोर अनुसंधान जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ऐसे कार्यकलापों के विकास पर बड़े पैमाने पर विचार करने की दृष्टि से अपेक्षा है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उल्लंघन

3844. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री लाल बाबू राय :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उल्लघंन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को इस अधिनियम के उपबंधों का कड़ाई से पालन करने के वास्ते निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1994 के दौरान 1-1-1994 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	अभियोजित व्यक्तियों की सं०	दोष सिद्ध व्यक्तियों की सं०	जब्त माल का मूल्य (लाख रु० में)	निम्नांकित अवधि तक सूचना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1044	130	5	–	8.47	जनवरी
2.	असम	129	–	–	–	0.01	फरवरी
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	शून्य	—	—	फरवरी
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–
5.	गुजरात	550	3	41	–	14.62	जनवरी
6.	गोवा	16	–	–	–	–	फरवरी
7.	हरियाणा	77	11	–	–	–	फरवरी
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	450	2	–	5	1.46	फरवरी
11.	केरल	6550	4	29	1	0.33	फरवरी
12.	मध्य प्रदेश	506	2	1		1.72	जनवरी
13.	महाराष्ट्र	1243	54	24	12	7.88	फरवरी
14.	मणिपुर	–	–	शून्य	–	–	फरवरी
15.	मेघालय	15	–	–	–	–	फरवरी
16.	मिजोरम	39	–	–	–	–	फरवरी
17.	नागालैण्ड	–	–	शून्य	–	–	जनवरी
18.	उड़ीसा	33	–	–	–	–	जनवरी

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	6266	2		—	0.12	फरवरी
20.	राजस्थान	140	5	55	29	1.01	जनवरी
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	4	—	—	—	0.01	फरवरी
24.	उत्तर प्रदेश	910	5	—	200	—	फरवरी
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	शून्य	—	—	फरवरी
27.	चंडीगढ़	—	—	शून्य	—	—	फरवरा
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	शून्य	—	—	फरवरी
29.	दिल्ली	131	3	22	1	—	फरवरी
30.	दमण व दीव	33	—	—	—	—	जनवरी
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	53	5	—	3		फरवरी
योग:		18199	226	177	251	35.63	

31-3-94 तक प्राप्त सूचना दर्शाने वाला विवरण।

ड्रिप सिंचाई योजना

[अनुवाद]

3845. **श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री शांताराम पोत दुखे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर सूखा प्रवण क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) योजना के अंतर्गत राज्य-वार कौन-कौन से जिलों को शामिल किया जायेगा और इसके अंतर्गत अनुमानतः कितना क्षेत्रफल आयेगा;

(ग) उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) सरकार ने पूरे देश में सभी बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए उपाय शुरू किए हैं। इसमें कृषकों को सब्सीडी देने, 12000 हेक्टेयर को ड्रिप प्रदर्शन के अन्तर्गत लाने, कृषकों के प्रशिक्षण तथा अप्लाइड रिसर्च के माध्यम से 1.39 लाख हैक्टयर क्षेत्र को ड्रिप सिंचाई में शामिल करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 208 करोड़ रुपये को परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ख) यह योजना सभी जिलों में कार्यान्वित की जा सकती है कवर किए गए राज्यवार क्षेत्र के लक्ष्य सलंग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) विस्तृत विवरण सलंग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान लगभग 30.000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर कर लिए जाने की आशा है। तथापि, इससे भी अधिक क्षेत्र कवर किया जा सकता है, क्योंकि इस योजना ने कृषकों के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध की है और कई राज्यों से इस योजना के तहत विस्तृत क्षेत्र कवर किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

विवरण-I

(क्षेत्र हैक्ट० में)

क्र.सं.	राज्य	ड्रिप सिंचाई	ड्रिप प्रदर्शन
1	2	3	4
1.	अन्डमान व निकोबार	200	40
2.	आन्ध्र प्रदेश	20000	1200
3.	अरुणाचल प्रदेश	200	40
4.	असम	720	140
5.	बिहार	3200	640
6.	चण्डीगढ़	200	40
7.	दादर एवं नगर हवेली	200	40
8.	दमन व दीव	200	40
9.	दिल्ली	200	40
10.	गोवा	250	60
11.	गुजरात	8000	480

1	2	3	4
12.	हरियाणा	1800	100
13.	हिमाचल प्रदेश	2000	200
14.	जम्मू व कश्मीर	1400	280
15.	कर्नाटक	20700	1240
16.	केरल	7300	700
17.	लक्षद्वीप	200	40
18.	मध्य प्रदेश	4700	460
19.	महाराष्ट्र	27000	1620
20.	मणिपुर	200	40
21.	मेघालय	200	40
22.	मिजोरम	200	40
23.	नागालैण्ड	200	40
24.	उड़ीसा	10300	1000
25.	पाणिडचेरी	200	40
26.	पंजाब	1500	160
27.	राजस्थान	3000	300
28.	सिक्किम	200	40
29.	तमिलनाडु	14300	860
30.	त्रिपुरा	300	60
31.	उत्तर प्रदेश	7815	1400
32.	पश्चिम बंगाल	2300	500
	योग	139185	12000

विवरण-II

ड्रिप सिंचाई योजना के अन्तर्गत निर्मुक्त निधि

क्र.सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-93
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	150	525.0

1	2	3	4
2.	तमिलनाडु	200	275.0
3.	कर्नाटक	300	450.0
4.	राजस्थान	120	30.19
5.	आन्ध्र प्रदेश	160	350.0
6.	गुजरात	400	103.12
7.	हरियाणा	50	31.31
8.	पश्चिम बंगाल	5	32.81
9.	उड़ीसा	25	112.5
10.	पंजाब	80	25.88
11.	केरल	80	93.0
12.	हिमाचल प्रदेश	80	49.12
13.	उत्तर प्रदेश	125	93.19
14.	मध्य प्रदेश	150	68.63
15.	बिहार	20	43.72
16.	जम्मू व कश्मीर	30	29.44
17.	सिक्किम	5	8.59
18.	गोवा	5	9.82
19.	त्रिपुरा	5	9.71
20.	मणिपुर	5	8.59
21.	असम	5	16.76
22.	मेघालय	5	8.59
23.	मिजोरम	5	8.59
24.	अरुणाचल प्रदेश	5	8.59
25.	नागालैण्ड	5	8.59
26.	पाण्डिचेरी	5	8.59
27.	अन्डमान व निकोबार द्वीव समूह	5	8.59
28.	दिल्ली प्रशासन	5	8.59

1	2	3	4
29.	चण्डीगढ़	—	9.7
30.	लक्षद्वीप	5	8.59
31.	दमन व दीव	5	8.59
32.	दादरा व नगर हवेली	5	8.59

स्वयंसेवी संगठनो को अनुदान

3847. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वीकृत अनुदान की पचास प्रतिशत शेष राशि अभी तक कितने स्वयंसेवी संगठनों को नहीं मिली है;

(ख) राशि को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं :

(ग) सरकार के पास वितरण हेतु कुल कितनी धनराशि पड़ी है; और

(घ) सरकार ने इन संगठनो को शेष अनुदान राशि अविलंब जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला तथा बाल विकास विभाग) राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह, कामकाजी महिला होस्टल, (रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान) तथा परिवार परामर्श केन्द्र की स्कीमों के अन्तर्गत, स्वीकृति के साथ केवल 50 प्रतिशत अनुदान निर्मुक्त किया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि लेखा-परीक्षित लेखे आदि प्राप्त होने के पश्चात निर्मुक्त की जाती है। ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या (कार्यक्रम-वार) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है, जिन्हें अभी शेष 50 प्रतिशत राशि निर्मुक्त की जानी है।

(ख) बकाया अनुदान अभी निर्मुक्त नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ सूचना जैसे-लेखा परीक्षित लेखे, संगठनों से अनुपालन संबंधी रिपोर्ट तथा राज्य बोर्डों से निरीक्षण रिपोर्टें और टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) इस समय, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले वित्तीय वर्षों की कोई अवितरित राशि सरकार के पास बकाया नहीं पड़ी है।

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य बोर्डों को निदेश दिये गए हैं कि वे संबंधित स्वैच्छिक संगठनों से कहें कि वे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया राशि निर्मुक्त कराने हेतु अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करें।

विवरण

ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की कार्यक्रम-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण, जिन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पहले से निर्मुक्त किए गए अनुदान की शेष 50 प्रतिशत राशि अभी निर्मुक्त की जानी है

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह	12	20	100
2.	कामकाजी महिला होस्टल	3	41	32
3.	परिवार परामर्श केन्द्र	–	97	18

केले का उत्पादन

[हिन्दी]

3848. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में केले का वर्ष-वार एवं राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) राज्य-वार कुल कितनी भूमि पर केले की खेती की जाती है;

(ग) केले के उत्पादन तथा केले की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करने हेतु इस समय लागू की जा रही "केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना" का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और 1994-95 के दौरान कितनी सहायता दी जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) उष्णकटिबंधीय, शुष्क एवं समशीतोष्ण क्षेत्र के फलों की एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें केले के बागवानों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता, प्रदर्शन तथा क्षेत्र विस्तार शामिल हैं। इसके अलावा रोपण सामग्री की सप्लाई तथा अन्य फलों की फसलों के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1992-93 तथा 1993-94 के दौरान विशेष रूप से केले के लिए दी गई वित्तीय सहायता तथा 1994-95 के प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान केले का क्षेत्र तथा उत्पादन

(क्षेत्र हजार हेक्टेयर)

(उत्पादन हजार मीटरी टन)

क्षेत्र	क्षेत्र			उत्पादन		
	1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93
आन्ध्र प्रदेश	33.9	33.7	37.9	475.2	532.6	551.5
अरुणाचल प्रदेश	1.5	1.7	1.8	7.4	7.8	8.0
असम	35.4	39.5	40.4	457.6	518.1	538.4
बिहार	12.7	12.1	12.1	69.7	68.7	68.7
गुजरात	15.9	18.1	23.3	857.1	1061.0	1330.4
कर्नाटक	20.1	19.9	20.6	421.7	502.7	519.9
केरल	65.6	65.5	65.1	491.9	502.0	497.3
मध्य प्रदेश	20.1	18.1	14.2	406.2	451.4	511.0
महाराष्ट्र	56.8	58.3	57.7	1604.2	1614.0	1601.5
मणिपुर	3.1	3.1	3.1	39.5	39.4	39.4
मेघालय	4.8	4.8	4.9	60.4	60.7	61.8
मिजोरम	1.9	2.4	2.5	8.3	9.9	9.4
उड़ीसा	25.5	28.0	31.1	235.0	275.0	292.0
सिक्किम	1.0	0.0	0.0	1.5	1.3	1.3
तमिलनाडु	60.3	66.4	59.1	1958.5	2153.5	1674.0
त्रिपुरा	3.5	3.5	3.5	23.9	23.9	23.9
उत्तर प्रदेश	1.2	1.0	1.2	26.5	21.6	29.3
अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	1.4	1.4	1.2	4.4	4.4	14.0
पाण्डिचेरी	0.2	0.2	0.2	4.4	4.9	5.8
लक्षद्वीप	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
अखिल भारत	365.0	378.6	380.8	7153.6	7853.1	7777.8

विवरण-II

केले के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	जारी धनराशि		आवंटन	
	1992-93 (पुनरुद्धार)	1993-94 (प्रदर्शन)	1994-95	
			प्रदर्शन	क्षेत्र विस्तार
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	2.0	0.36	0.15	20.4
अरुणाचल प्रदेश	1.0	0.36	0.15	5.1
असम	2.0	0.48	0.20	5.1
बिहार	1.0	0.48	0.20	20.4
गुजरात	2.0	0.36	0.15	20.4
गोवा	1.0	–	–	5.1
हरियाणा	–	0.12	0.05	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	5.1
कर्नाटक	2.0	0.6	0.25	20.4
केरल	2.0	0.6	0.25	15.3
मध्य प्रदेश	2.00	0.48	0.20	15.3
महाराष्ट्र	2.0	0.6	0.25	25.5
मिजोरम	1.0	0.18	0.07	5.1
मणिपुर	1.0	–	–	5.1
मेघालय	2.0	0.12	0.05	9.59
नागालैण्ड	1.0	0.12	0.05	5.1
उड़ीसा	2.0	0.36	0.15	15.3
राजस्थान	–	–	–	15.3
सिक्किम	–	–	–	2.55
त्रिपुरा	2.0	0.12	0.05	5.1

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	6.0	0.3	0.12	20.4
उत्तर प्रदेश	1.0	0.24	0.10	17.85
पश्चिम बंगाल	1.0	0.36	0.15	20.4
अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	–	0.3	0.15	1.28
दादर नगर हवेली	—	0.12	0.05	–
दमन दीव	–	0.24	0.1	–
लक्षद्वीप	–	0.24	0.1	3.06
पाण्डिचेरी	–	0.24	0.1	1.275
कुल	34.0	7.38	3.09	285.49

काली मिर्च पर उपकर

[अनुवाद]

3849. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काली मिर्च के मूल्य में भारी कमी को देखते हुए इस पर लगे विद्यमान उपकर को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अधीन टैरिफ मूल्य के 1/2 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर लगाए गए उपकर को हटाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मसाला उपकर अधिनियम, 1986 के अधीन लगाया गया अन्य उपकर 30-9-94 तक के लिए पहले ही हटा लिया गया है।

यात्री सुविधाएं

3850. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में चलने वाली रेल गाड़ियों में यात्रियों को उपलब्ध की गई सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक शिक्षा

3851. **श्री बृशिण पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान राज्यों को व्यावसायिक शिक्षा के विकास हेतु कोई विशेष सहायतानुदान दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 84.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	(रु० लाखों में) राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	640.58
2.	अरूणाचल प्रदेश	—
3.	असम	294.84
4.	बिहार	416.93
5.	गोवा	56.93
6.	गुजरात	781.73
7.	हरियाणा	228.18
8.	हिमाचल प्रदेश	–
9.	जम्मू और कश्मीर	22.55
10.	कर्नाटक	1030.89
11.	केरल	357.28
12.	मध्य प्रदेश	51.09
13.	महाराष्ट्र	2035.74
14.	मणिपुर	9.70
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	21.92

1	2	3
17.	नागालैंड	1.40
18.	उड़ीसा	650.00
19.	पंजाब	265.87
20.	राजस्थान	392.97
21.	सिक्किम	8.04
22.	तमिलनाडु	700.16
23.	त्रिपुरा	4.12
24.	उत्तर प्रदेश	307.20
25.	पश्चिम बंगाल	8.31
26.	अण्डमान तथा निकोबार	–
27.	चण्डीगढ़	22.76
28.	दादरा और नागर हवेली	2.79
29.	दमन और दीव	3.09
30.	दिल्ली	115.62
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पांण्डिचेरी	17.44
	कुल :	8447.95

नव युग स्कूलों में शिक्षक

[हिन्दी]

3852. **डा० लाल बहादुर राक्षल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाये जा रहे नवयुग स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को चटोपाध्याय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 12 वर्षों से भी अधिक समय तक अनवरत सेवा करने के पश्चात् भी समयबद्ध उच्च वेतनमान नहीं दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षकों को इस लाभ के मिलने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। नई दिल्ली नगर पालिक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नवयुग स्कूल

शैक्षिक सोसाइटी (पंजीकृत) द्वारा चलाए जाने वाले नवयुग विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों और नई दिल्ली नगर पालिका के अन्य विद्यालयों को लागू सीनियर वेतनमानों के समान वेतनमानों में पहले ही नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

3853. **डा० अमृतलाल कालीदास पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद-गांधी नगर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनसे अहमदाबाद/नाडियाड अथवा बड़ौदा से गांधी नगर बरास्ता मानीनगर कालूपुर-साबरमती रेल लाइनों में से किसी एक का विद्युतीकरण करने का अनुरोध भी प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वडोदरा-नडियाद-मणिनगर-अहमदाबाद-साबरमती-गांधी नगर खंड का विद्युतीकरण हो गया है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

[हिन्दी]

3854. **श्री राम विलास पासवान** :

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 से 1992 के दौरान सेवाकाल के दौरान कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई और उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कितने आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई है;

(ग) क्या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिये भी पात्रता परीक्षा ली जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) अनुकम्पा के आधर पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन एक समुचित परीक्षण के माध्यम से किया जाता है और इसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नियुक्त किए जाने के बाद ये उम्मीदवार अपनी ड्यूटी संतोषजनक रूप से निष्पादित कर सकें।

माल डिब्बों की बुकिंग

[अनुवाद]

3855. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बराक घाटी से माल डिब्बों की बुकिंग लुमडिंग में वाहनान्तरण के तर्क पर रोक दी गई है;

(ख) क्या माल डिब्बों की बुकिंग न होने से रेल द्वारा निर्यात पर असर पड़ा है जिससे संबंधित व्यक्तियों को वित्तीय हानि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार माल डिब्बों को अविलम्ब बुकिंग के लिए तत्काल आदेश जारी करने का है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में प्राइवेट आपरेटर्स

3856. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने प्राइवेट आपरेटरों को रेल लाइनों तथा इसके रोलिंग स्टॉक का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इच्छुक प्राइवेट आपरेटरों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं;

(ग) क्या रेलवे का सभी रेल जोनों को धारक कम्पनियों के रूप में तथा उत्पादक इकाइयों को सहायक कंपनियों के रूप में परिवर्तित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर रेलवे अपनी रेल लाइनों तथा रोलिंग स्टॉक को देने का विचार कर रही है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाम ऑयल

3857. **श्री श्रीकान्त जेना :**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष मलेशिया से बड़ी मात्रा में आयात किया गया पाम ऑयल बिना बिक्री के भंडारों में पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) इससे सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) सरकार ने पाम ऑयल के वर्तमान आयातित भंडार को बेचने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) मलेशिया से 50.88 करोड़ रुपए मूल्य पर प्राप्त कुल 42,000 मी० टन के लगभग आयातित तेल में से लगभग 22,000 मी० टन मात्रा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले ही उठाई जा चुकी है तथा शेष मात्रा 15 कि० ग्रा० के टीनों में और बहुत थोड़ी मात्रा थोक में विभिन्न केंद्रों पर उपलब्ध है।

(घ) पामोलीन के आयात पर सरकार को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है।

(ङ) राज्यों को पामोलीन की बिक्री में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं : राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खुले (थोक), 15 कि० ग्रा० के टीनों में, 1 कि० ग्रा० की थैलियों में आवंटन के जरिए आवंटन के तरीके को लचीला बनाना, पूर्व आवंटित तेल का आगे के महीनों के लिए पुनर्वैधीकरण, राज्य व्यापार निगम द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक माह के उधार की सुविधा देना तथा तेल के शेल्फ जीवन में बढ़ोतरी लाने के लिए 15 कि० ग्रा० के टीनों में डिब्बाबंदी शुरू करना। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वे पामोलीन की मात्रा को शीघ्र उठाएं।

यात्रियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

3858. **श्री नरेश कुमार बालियान :**

श्रीमती कुष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेल बजट में घोषित यात्रा किराये और माल-भाड़े में वृद्धि के अनुरूप यात्रियों की सुविधाओं में भी वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेल यात्रियों के लिए सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है। यात्री किरायों और माल भाड़ा प्रभारों में संशोधन, साधन-सामग्रियों की लागत में वृद्धि को संतुलित करने के लिए किया जाता है।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन

[अनुवाद]

3859. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत कितने स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन पंजीकृत हैं; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों स्वैच्छिक संगठनों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा रखी जाने वाली स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की निर्देशिका के अनुसार, इनकी संख्या 500 के लगभग है। तथापि, पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या अधिक हो सकती है।

(ख) केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपभोक्ता संगठन बनाने को बढ़ावा देती है। उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना के तहत ग्रामीण आधार वाले उपभोक्ता संगठन को तरजीह दी जाती है? यह मंत्रालय ऐसे संगठनों को मुद्रित प्रचार सामग्री भी निःशुल्क भेजता है।

उपभोक्ता उत्पादों के विज्ञापन पर व्यय

3860. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, प्रोक्टर एंड गैम्बल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दूरदर्शन, आकाशवाणी, वी टेलीविजन आदि पर विज्ञापन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विज्ञापनों पर कितनी धनराशि व्यय की है;

(ग) क्या इस व्यय के कारण इन कम्पनियों द्वारा निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये कम्पनियां अपने विज्ञापन पर व्यय करने के लिए बाध्य हैं जिससे इनके उत्पादों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन कम्पनियों की फिजूलखर्ची रोकने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (छ) केंद्र सरकार में नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यह सूचना संकलित नहीं करता है।

केरल में आग की दुर्घटना

[हिन्दी]

3861. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बोराही और चालकुडी स्टेशनों के बीच डीजल और पैट्रोल ले जाने वाली एक मालगाड़ी के डिब्बे विध्वंसकारी आग की चपेट में आ गए;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इस दुर्घटना के कारण जान-माल की कितनी क्षति हुई?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। 2-3-1994 को दक्षिण रेलवे पर कारूकुट्टी और चालकुड़ी स्टेशनों के बीच पेट्रोल और डीजल ले जाने वाली माल गाडी के 27 तेल टंकी माल डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गए थे और उनको आग लग गई थी।

(ख) यह घटना माल डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण घटी थी और अन्तर्वस्तु अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण उनमें तत्काल आग लग गई थी।

(ग) इस दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। रेल संपत्ति को 62.50 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़-भाड़ को नियंत्रित करना

3862. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री राजेश कुमार :

श्री शीला गौतम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में नई दिल्ली स्टेशन और देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई यात्री भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने और इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक मास्टर योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त मास्टर योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़-भाड़ को नियंत्रित किया गया है; और

(ग) अन्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़-भाड़ पर नियंत्रण कब तक हो जाएगा ?

रेलवे मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) बढ़ते हुए यात्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान अवसरंचना का संवर्धन और परिशोधन एक सतत् प्रक्रिया है और अपेक्षित समझे जाने पर इस संबंध में उपयुक्त कार्य रेलों के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किए जाते हैं। अतः इस संबंध में अलग से कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है।

सुपर बाजारों का खोला जाना

3863. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव चालू वर्ष में राज्यों में सुपर बाजार की नई शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कब तक खुलने की आशा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी नहीं। चालू वर्ष के दौरान राज्यों में सुपर बाजार की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तिलहनों पर अनुसंधान कार्य

3864. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से अनुसंधान संस्थान तिलहनों, विशेषकर सरसों और रेपसीड के बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न अनुसंधान कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार द्वारा इन संस्थानों को संस्थान-वार क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई; और

(ग) अब तक इन संस्थानों द्वारा विकसित बीजों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप ओसत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तिलहनों, खासकर सरसों और तोरिया के तेल की गुणवता में सुधार के लिए अनुसंधान कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थानों के नाम ये हैं :

(I) तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद (अ० प्र०)।

(II) राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर (राज०)

(III) राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़ (गुजरात)।

(IV) राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर (म० प्र०)

(ख) आठवीं योजना के दौरान प्रत्येक संस्थान को मानवशक्ति, धन और उपस्कर उपलब्ध करा कर गुणवता सुधार कार्य के लिए सुदृढ़ किया गया है।

(ग) गुणवता के लिए विकसित सामग्री की अभी भी जांच की जा रही है।

नवोदय विद्यालय

3865. **डा० परशुराम गंगवार :**
श्री पीटर जी० मरबनिआंग :
श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री साक्षी जी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने नवोदय विद्यालय काम कर रहे हैं।

(ख) सरकार का देश में 1994-95 के दौरान किन-किन स्थानों पर नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं और 1993-94 के दौरान कितने विद्यार्थियों को दाखिला मिला ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) नवोदय विद्यालय योजना, में देश के प्रत्येक जिलों में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई। फिलहाल नवोदय विद्यालय योजना द्वारा लगभग 100 जिले अभी शामिल किए जाने हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा अपने भवन निर्मित किए जाने तक विद्यालय चलाने हेतु सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयुक्त निःशुल्क

भूमि तथा अस्थायी आवास प्रदान करने पर निर्भर करते हुए उन जिलों को शामिल करने के लिए प्रत्येक वर्ष 50 नए स्कूल संस्वीकृत करने की योजना बनाई है जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

(ग) नवोदय विद्यालयों में दाखिला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर कक्षा 6 में प्रवेश स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 1993-94 के सत्र के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में 24,242 छात्र दाखिले के लिए चुने गए।

विवरण

खोले गए/चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों के संबंध में स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	12-4-1994 तक स्वीकृत ज.न.वि. की कुल संख्या	12-4-1994 की स्थिति के अनुसार चल रहे ज.न. वि. की कुल संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	आंध्र प्रदेश	22	21
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	5
3.	बिहार	30	27
4.	गोवा	2	2
5.	गुजरात	12	10
6.	हरियाणा	12	12
7.	हिमाचल प्रदेश	10	10
8.	जम्मू और कश्मीर	14	14
9.	केरल	12	11
10.	कर्नाटक	20	18
11.	मध्य प्रदेश	45	42
12.	महाराष्ट्र	28	24
13.	मणिपुर	8	8
14.	मेघालय	5	4
15.	मिजोरम	3	3
16.	उड़ीसा	12	12

1.	2.	3.	4.
17.	पंजाब	11	10
18.	राजस्थान	24	22
19.	सिक्किम	2	2
20.	नागालैंड	3	2
21.	त्रिपुरा	2	2
22.	उत्तर प्रदेश	44	44
23.	अंडमान और निकोबार	2	2
24.	चंडीगढ़	1	1
25.	दादर और नागर हवेली	01	01
26.	दमन और द्वीव	02	02
27.	दिल्ली	02	02
28.	लक्षद्वीप	01	01
29.	पांडिचेरी	04	04
30.	असम	04	01
		344	319

पूर्ण साक्षरता अभियान

[अनुवाद]

3866. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

श्री रामपाल सिंह :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन जिलों का पूर्ण साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है;

(ख) किन-किन जिलों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली गई है;

(ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन जिलों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान पूर्ण साक्षरता अभियान हेतु किन-किन जिलों का चयन किये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) संलग्न विवरण-I में 267 जिलों को पूर्णतया या आंशिक रूप से शामिल करने के लिए मार्च, 1994 तक स्वीकृत पूर्ण साक्षरता अभियानों की 246 परियोजनाओं की सूची है।

(ख) इन जिलों में से लगभग 83 जिलों में नवसाक्षरों की साक्षरता दक्षता को समेकित करने के उत्तर साक्षरता चरण को आरम्भ किया गया है।

"पूर्ण साक्षरता" का तत्पर्य जिले की जनसंख्या के सभी आयु-वर्गों की शत-प्रतिशत कवरेज नहीं है। तदनुसार, यह मान लेना सम्भव नहीं है कि अमुक जिले ने निर्धारित समय में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

(ग) संलग्न विवरण-II में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान पूर्ण/ उत्तर साक्षरता अभियानों के लिए जिलों को संस्वीकृत केन्द्रीय अनुदानों का राज्यवार विवरण है।

(घ) आठवीं योजना अवधि (1996-97 में समाप्त) के दौरान पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से 345 जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। सम्बद्ध राज्य सरकारों के माध्यम से जिला कलेक्टरों के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर ही वर्ष 1994-95 के दौरान शामिल किए जाने वाले जिलों की पहचान होगी। इन प्रस्तावों पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की आवधिक बैठकों में, समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में विचार किया जाएगा।

विवरण-I

31 मार्च, 1994 की यथा स्थिति के अनुसार जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान

आंध्र प्रदेश (23 जिले)

1. चित्तूर
2. कुड्डपा
3. हैदराबाद
4. नैल्लौर
5. विशाखापत्तनम
6. कुरनूल
7. महबूब नगर (आंशिक)
8. खम्माम
9. निजामाबाद
10. पश्चिमी गोदावरी
11. करीम नगर
12. नलगौण्डा

13. भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति आन्ध्र प्रदेश की परियोजना
(प्रत्येक 9 जिलों में एक-एक मंडल)
14. मेडक
15. वारंगल
16. श्री काकुलम
17. रंगारेड्डी
18. विजयनगरम
19. पूर्वी गोदावरी
20. अदीलाबाद
21. प्रकाशम
22. कृष्णा

असम (7 जिले)

23. असम विज्ञान समिति परियोजना, गुवाहाटी (5 जिलों में 8 ब्लाक)
24. जोरहाट
25. तिनसुकिया

बिहार (16 जिले)

26. मुजफ्फरपुर
27. जमशेदपुर (नगर)
28. रॉची
29. मधेपुरा (आंशिक)
30. सहरसा
31. मधुबनी (आंशिक)
32. सिवान
33. भोजपुर
34. दुमका
35. जमुई
36. खगड़िया
37. मुंगेर
38. औरंगाबाद

39. धनबाद
40. बेगूसराय
41. सुपौल

दमन और दीव (1 जिला)

42. दमन

दिल्ली (1 जिला)

43. दिल्ली साक्षरता समिति परियोजना (अम्बेडकर नगर)
44. दिल्ली एन० सी० टी० के 6 मलिन बस्तियों में दिल्ली साक्षरता अभियान समिति परियोजना
45. गोवा (2 जिले)

गुजरात (19)

46. गुजरात विद्यापीठ परियोजना, गांधी नगर (19 जिलों में 100 ताल्लुक)
47. भाव नगर
48. गांधी नगर
49. खेड़ा
50. अहमदाबाद ग्रामीण
51. डांग्स
52. भुज कच्छ
53. जूनागढ़
54. सुरेन्द्र नगर
55. सावरकांठा
56. सूरत
57. बांसकांठा
58. भरूच
59. बदोदरा
60. अमरेली
61. जामनगर
62. मेहसाना
63. पंचमहल

64. राजकोट

65. बालसाड

हरियाणा (10 जिले)

66. पानीपत

67. यमुनानगर

68. भिवानी

69. जिंद

70. रोहतक

71. अम्बाला

72. सिरसा

73. हिसार

74. कुरुक्षेत्र

75. सोनीपत

हिमाचल प्रदेश (12 जिले)

76. सिरमौर जिला

77. चम्बा जिला

78. हमीरपुर

79. किन्नौर

80. कुलू

81. मंडी

82. शिमला

83. सोलन

84. ऊना

85. कांगड़ा

86. बिलासपुर

87. लाहुल तथा स्पिति

जम्मू और कश्मीर (1 जिला)

88. जम्मू

कर्नाटक (18 जिले)

89. बीजापुर

90. दक्षिण कन्नड़
91. मंडया
92. रायचूर
93. तुमकुर
94. बिदर
95. शिमोगा
96. धारवाद
97. मैसूर
98. उत्तर कन्नड़
99. बेंगलूर ग्रामीण
100. चिकमंगलूर
101. गुले बूर्गा
102. कोडगू
103. कोलार
104. चित्रदुर्ग
105. बेल्लारी
106. बेलगाम

केरल (14 जिले)

107. एरनाकुलम
108. केरल राज्य

मध्य प्रदेश (28 जिले)

109. दुर्ग
110. नरसिंहपुर
111. इन्दौर
112. रायपुर
113. विलासपुर
114. रतलाम
115. वैतूल (आंशिक)
116. रायगढ़

117. उज्जैन (आंशिक)
118. छतरपुर
119. दतिया
120. राजनंद गांव (आंशिक)
121. सतना
122. भिन्ड (आंशिक)
123. ग्वालियर (आंशिक)
124. देवास
125. छिन्दवाड़ा
126. रीवा
127. रायसेन
128. झबुआ
129. पन्ना
130. शाजापुर
131. सीधी
132. खंडवा
133. विदिशा
134. टीकमगढ़
135. सागर
136. राजगढ़

महाराष्ट्र (16 जिले)

137. सिन्धुदुर्ग
138. वार्धा
139. पुणे जिला (ग्रामीण)
140. लातूर
141. औरंगावाद
142. रत्नागिरि
143. जालना
144. नान्देड

145. परभानी

146. सांगली

147. उस्मानाबाद

148. बीड

149. अमरावती

150. ग्रेटर बम्बई

151. कोल्हापुर

152. यावतमल

उड़ीसा (11 जिले)

153. सुंदरगढ जिला

154. राउरकेला (शहर)

155. गंजाम

156. क्योंझर

157. धेनकानल

158. कालाहांडी

159. वालंगीर

160. मल्कागिरि

161. नयागढ़

162. कोरापुट

163. संबलपुर

164. गाजापट्टी

पंजाब (6 जिले)

165. भारत ज्ञान विज्ञान समिति, पंजाब तथा चंडीगढ़ की परियोजना (6 जिलों में 7 ब्लाक)

166. होशियारपुर

167. फरीदकोट

राजस्थान (10 जिले)

168. डूंगरपुर

169. भरतपुर

170. सीकर

171. अजमेर
172. पाली
173. टोंक
174. बारन
175. अलवर
176. राजसमन्द
177. उदयपुर

तमिलनाडु (18 जिले)

178. कामराजार
179. पी० एम० टी० शिवगंगेय
180. पुदुकोट्टई
181. कन्याकुमारी
182. मदुरै
183. उत्तरी अरकोट अम्बेडकर
184. तिरूनेलवेली कोट्टाबामन
185. रामनाथपुरम
186. कोयंबटूर
187. नगापत्तिनम
188. डिन्डीगुल अन्ना
189. मेरियार
190. सलेम
191. दक्षिणी अरकोट
192. तिरूवन्नामकाई
193. धर्मपुरी
194. त्रिचुरापल्ली
195. तंजाबूर

त्रिपुरा (3 जिले)

196. उत्तरी त्रिपुरा
197. पश्चिमी त्रिपुरा

198. दक्षिणी त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश (32 जिले)

199. फतेहपुर
200. मेरठ
201. चमोली
202. देहरादून
203. अल्मोड़ा
204. आगरा
205. गाजियाबाद (आंशिक)
206. मुरादाबाद
207. बिजनौर
208. बरेली
209. कानपुर देहात
210. फैजाबाद
211. मऊ
212. आजमगढ़
213. जौनपुर
214. फर्रूखाबाद
215. जालौन
216. बहराइच
218. ललितपुर
218. लखीमपुर खीरी
219. प्रतापगढ़
220. देवरिया
221. मिर्जापुर
222. सुलतानपुर
223. गाजीपुर
224. पिथौरागढ़
225. टेहरी गढ़वाल

226. उत्तर काशी

227. हमीरपुर

228. बाराबंकी

229. रायबरेली

230. मथुरा

पश्चिम बंगाल (14 जिले)

231. मिदनापुर

232. वर्दवान

233. हुगली

234. बीरभूम

235. कूच-विहार

236. बाकुड़ा

237. उत्तरी 24 परगाना

238. हावडा

239. दक्षिणी 24 परगना

240. मुर्शिदाबाद

241. नदिया

242. पुरूलिया

243. मालदा

244. जलपाईगुडी

245. पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र (4 जिले)

246. चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र (1 जिला)

विवरण-II

पूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के लिए अनुदान

(राशि रूपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7.01.66.000	17,19,74,500

1	2	3	4
2.	असम	65.00,000	25,00,000
3.	बिहार	1,25,00,000	8,74,08,000
4.	चंडीगढ़	15,00,000	18,00,000
5.	दमन और दीव	—	1,40,000
6.	दिल्ली	18,35,000	55,43,000
7.	गोवा	—	—
8.	गुजरात	4,95,00,000	8,35,55,000
9.	हरियाणा	2,95,00,000	1,81,05,000
10.	हिमाचल प्रदेश	2,11,00,000	64,67,000
11.	जम्मू और कश्मीर	—	25,00,000
12.	कर्नाटक	6,27,90,000	14,94,83,000
13.	केरल	—	1,00,00,000
14.	मध्य प्रदेश	1,40,00,000	11,60,99,000
15.	महाराष्ट्र	6,30,00,000	6,77,27,000
16.	उड़ीसा	4,68,00,000	4,32,38,000
17.	पांडिचेरी	—	—
18.	पंजाब	—	25,00,000
19.	राजस्थान	2,20,00,000	5,01,97,000
20.	तमिलनाडु	11,46,00,000	9,26,00,000
21.	त्रिपुरा	—	2,22,45,000
22.	उत्तर प्रदेश	6,85,00,000	22,12,88,500
23.	पश्चिम बंगाल	10,69,33,000	5,38,65,000
	जोड़	69,12,24,000	120,92,35,000

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

3877. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान राशि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को व्यय वहन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्षों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सलाह भी दी गई है कि वे अपने आंतरिक संसाधनों का सृजन करें और जहां संभाव हों टालने योग्य खर्च को कम करने का भी प्रयास करें।

नारायण सरोवर अभयारण्य

3869. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : **क्या पर्यावरण और वन मंत्री** 7 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 700 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायण सरोवर अभ्यारण्य की अधिसूचना समाप्त करने से संबंधित मामले पर गुजरात सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

गेहूं, चावल और गन्ने की खेती

[हिन्दी]

3870. **श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं, चावल और गन्ने की खेती के अन्तर्गत कुल क्षेत्र पृथक-पृथक राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों की तुलना में इन फसलों के अन्तर्गत कितना क्षेत्र और लाया गया है; और

(ग) इन फसलों की पैदावार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष 1993-94 (संभावित) के दौरान गेहूं, चावल तथा गन्ने की खेती के अंतर्गत राज्यवार रकबा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) नीचे की सारणी में 1993-94 (संभावित) के दौरान इन फसलों के अंतर्गत का रकबा तथा कुल क्षेत्र में 1992-93 को समाप्त तीन वर्षों में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाई है :

(लाख हैक्टेयर)

	1993-94 (संभावित)	औसत 1992-93	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
गेहूं	244.4	239.5	(+) 2.0
चावल	414.0	423.2	(–) 2.2
गन्ना	35.1	37.2	(–) 5.6

(ग) कुल बुआई रकबों में विस्तार करने की गुंजाइश सीमित है, इसलिए सिंचित तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दोहरे तथा बहुत फसली क्षेत्र में वृद्धि करके फसलों के अंतर्गत आने वाले रकबे को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

1993-94 (संभावित) के दौरान गेहूं, चावल तथा गन्ने की खेती के अंतर्गत राज्यवार रकबा

(लाख हैक्टेयर)

राज्य	गेहूं	चावल	गन्ना
1	2	3	4
आध्र प्रदेश	—	32.7	1.8
असम	1.0	25.9	0.4
बिहार	21.2	44.1	1.3
गुजरात	5.5	5.8	1.3
हरियाणा	19.6	7.6	1.2
हिमाचल प्रदेश	3.4	0.9	—
जम्मू और कश्मीर	1.5	2.9	—
कर्नाटक	2.1	12.9	2.7
केरल	—	5.3	0.1
मध्य प्रदेश	38.2	50.0	0.5

1	2	3	4
महाराष्ट्र	7.5	15.5	3.4
उड़ीसा	0.3	45.7	0.7
पंजाब	32.8	20.6	1.0
राजस्थान	17.8	1.1	0.2
तमिलनाडु	–	22.5	2.2
उत्तर प्रदेश	89.9	53.2	18.0
पश्चिम बंगाल	3.0	57.8	0.1
अन्य	0.6	9.6	0.2
अखिल भारत	244.4	414.1	35.1

ई०एम०यू० रेलगाड़ियां

[अनुवाद]

3871. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद, साहिबाबाद और आनन्द विहार के दैनिक यात्रियों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही है कि अधिक भीड़-भाड़ वाले समय पर गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच और अधिक रेल गाड़ियां आरंभ की जाएं;

(ख) क्या रात को 9-10 बजे के बीच नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों को आनन्द विहार और साहिबाबाद के स्टेशनों पर रुकने की व्यवस्था करने की भी मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1994-95 के दौरान नयी दिल्ली/दिल्ली और गाजियाबाद के बीच दो जोड़ी अतिरिक्त ई०एम०यू० सेवाएं चलाने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

[हिन्दी]

3872. **श्री दत्ता मेघे** :

श्री अन्ना जोशी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चालू रेल परियोजनाओं और उनका कार्य पूरा होने में 31 दिसम्बर, 1993 तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार आठवीं योजनावधि के दौरान कोई नई रेल योजना शुरू करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

नई लाइनें	लक्ष्य	31-12-93 तक हुई प्रगति
परियोजनाएं		
1. अमरावती-नरखेड़	1998-99	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।
आमान परिवर्तन		
परियोजनाएं		
I. धौंड-बारामती (42 कि० मी०)	1993-94	80%
II. गोंदिया-चांदा फोर्ट (248 कि० मी०)		
गोंदिया-वाडसा (105 कि० मी०)	1993-94	80%
वाडसा-चांदा फोर्ट (143 कि० मी०)	1995-96	10%
III. शोलापुर-गदग (300 कि० मी०)	योजना आयोग की स्वीकृति मिलने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा। कार्य शुरू हो जाने के बाद लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।	
IV. मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-पर्ली वैजनाथ (354 कि० मी०)		
जालना-परभनी (116 कि० मी०)	1993-94	90%
V. परभनी-पूर्णा-मुदखेड-आदिलाबाद और पूर्णा मुदखेड (244 कि० मी०)		
परभनी-पूर्णा (29 कि० मी०)	1994-95	
आदिलाबाद-मुदखेड (162 कि० मी०)	1995-96	10%
मुदखेड-पूर्णा (53 कि० मी०)	1996-97	
VI. मिरज-लातूर (326 कि० मी०)	योजना आयोग की स्वीकृति मिलने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा। कार्य शुरू हो जाने पश्चात् लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।	
VII. मिरज-लौंडा (188 कि० मी०)	1994-95	5%

(ख) और (ग) आठवीं योजना के शेष वर्षों में शुरू की जाने वाली अन्य परियोजनाओं के बारे में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में विनिश्चय किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

[अनुवाद]

3873. **श्री राम कापसे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को रियायती दर पर रेल टिकट देने के लिये आयु सीमा 65 वर्ष के घटाकर 60 वर्ष करने तथा न्यूनतम दूरी को 500 कि० मी० से 150 कि० मी० करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की तंगी और साधन सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा रियायत के अवसर बढ़ाना संभव नहीं है।

रतलाम डिवीजन में प्लेटफार्म का विस्तार

[हिन्दी]

3874. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में प्लेटफार्म के विस्तार और विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मंडल में विश्राम कक्षों, पैदल उपरि पुलों, विस्तार कार्यों, यात्री सुविधाओं और रेलवे उपरि पुलों के निर्माण का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रतलाम मंडल के सभी स्टेशनों पर वहां के यातायात की मात्रा के अनुरूप विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इन सुविधाओं में वृद्धि/विकास तभी किया जाएगा जब यातायात की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित होगा, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

परीक्षाओं में अनियमितताएं

3875. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे, इलाहाबाद मण्डल के अन्तर्गत गाजियाबाद में 19 फरवरी, 1992 को हैल्पर खलासी के पद के लिए हुई परीक्षा में अनियमितताएं हुईं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा वनरोपण

3876. **श्री सुधीर गिरि** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के गठन के बाद से वनरोपण, वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी-विकास को बढ़ावा देने के लिए परियोजनावार वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी कितनी बंजर भूमि है;

(ख) इस उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1992-93 और 1993-94 में परियोजना वार कितनी धन राशि जारी की; और

(ग) आठवीं योजना में इस मद के लिए कुल कितनी धन-राशि का प्रावधान है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना सितम्बर, 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय में की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड, वनीकरण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की योजनाओं (स्कीम) को कार्यान्वित करता है। इन स्कीमों में समेकित वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना स्कीम, ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम, लघु धनोपज स्कीम, बीज विकास स्कीम, हवाई बीजारोपण स्कीम, स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान सहायता स्कीम शामिल हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए भी राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड नोडल एजेंसी है।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं में धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान चलाए गए वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों, जिनमें वन क्षेत्रों के आसपास की बंजर भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों एवं पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चलाए गए कार्यकलाप भी शामिल हैं, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण- I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार आवंटन और उपयोग संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान चलाए गए वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र राज्य सरकारों से अभी प्राप्त होने हैं। तथापि, वर्ष 1993-94 के आवंटनों का पूर्ण उपयोग किए जाने की आशा है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वानिकी क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 16 (वनीकरण/वृक्षारोपण) के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

हेक्टेयर क्षेत्र (लाख पौध)

क्र०	राज्य/ सं०शा०	1992-93				1993-94				
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
सं०	प्रदेश का नाम	पौध वित० (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौधे वित० (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौधे वित० (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र वित० भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वित० निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	आंध्र प्रदेश	1850.00	6345.00	1102.63	47453.00	1950.00	70000.00	1143.55	30735.00	दि० 93
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	7200.00	5.00	7200.00	5.00	7500.00	1.56	352.85	फ०94
3.	असम	25.00	25000.00	11.80	22486.60	30.00	27500.00	20.74	18144.00	फ०94
4.	बिहार	600.00	48000.00	180.00	20357.00	750.00	50000.00	190.03	45855.39	*
5.	गोवा	25.00	1500.00	27.23	1722.00	30.00	1800.00	33.46	1854.00	फ०94
6.	गुजरात	2500.00	70000.00	2281.46	64847.00	** 1500.00	68000.00	1497.50	65992.00	फ०94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	हरियाणा	300.00	37050.00	300.00	34826.00	300.00	37500.00	209.085	33395.00	फ०94
8.	हिमाचल प्रदेश	90.00	32500.00	88.59	31280.00	75.00	35000.00	23.68	27121.00	फ०94
9.	जम्मू और कश्मीर	50.00	20000.00	64.83	17010.85**	60.00	20000.00	26.27	7507.75	फ०94
10.	कर्नाटक	555.00	38500.00	374.38	36479.97	450.00	42500.00	274.19	46536.36	फ०94
11.	केरल	160.00	2500.00	173.79	17342.70**	300.00	15000.00	114.16	566.90	फ०94
12.	मध्य प्रदेश	600.00	110000.00	600.12	121394.19	400.00	125000.00	439.00	125187.19	फ०94
13.	महाराष्ट्र	1150.00	163000.00	824.97	153621.38**	1200.00	180000.00	904.52	100158.67	ज०94
14.	मणिपुर	25.00	9000.00	22.46	8600.00	30.00	9500.00	15.23	6013.00	दि०93
15.	मेघालय	125.00	18000.00	26.58	5148.00	125.00	19000.00	15.14	11771.00	सि०93
16.	मिजोरम	10.00	12000.00	5.86	14000.00	10.00	14000.00	16.32	16750.00	फ०94
17.	नागालैण्ड	110.00	5850.00	20.10	4700.00	120.00	7500.00	38.00	2797.00	दि०93
18.	उड़ीसा	500.00	60000.00	425.42	74134.85	550.00	75000.00	390.04	70819.00	ज०94
19	पंजाब	70.00	17000.00	85.90	19360.00	80.00	18000.00	40.52	17261.00	फ०94
20.	राजस्थान	350.00	65000.00	405.13	66729.00	400.00	65000.00	435.05	66445.00	ज०94
21.	सिक्किम	15.00	8000.00	9.50	8665.38	18.00	8500.00	10.85	8484.82	फ०94
22.	तमिलनाडु	875.00	65000.00	1037.36	113553.10	1000.00	114000.00	1026.07	77381.81	फ०94
23.	त्रिपुरा	50.00	16000.00	37.05	15253.00	50.00	17700.00	28.14	8603.54	फ०94

24.	उत्तर प्रदेश	3390.00	90000.00	3468.29	100139.26**	3200.00	85000.00	2868.88	81936.04 फ॰94
25.	पश्चिम बंगाल	1000.00	50000.00	802.00	50000.00	800.00	45000.00	715.00	28650.00 ज॰94
26.	अंडमान और निको॰ द्वीप समूह	5.00	3200.00	5.33	3200.00	5.00	3300.00	4.74	3488.67 ज॰94
27.	चंडीगढ़	0.00	400.00	0.28	430.20	0.00	500.00	0.05	8.00 ज॰93
28.	दादर व नगर हवेली	10.00	1000.00	7.90	518.00	12.00	1100.00	12.02	894.60 अ॰93
29.	दमन व द्वीव	1.00	100.00	1.14	83.34	1.00	150.00	0.74	54.00 फ॰94
30.	दिल्ली	50.00	2000.00	41.60	1512.70	50.00	2000.00	40.62	1624.80 फ॰94
31.	लक्षद्वीप	3.00	50.00	3.36	50.00	4.00	50.00	4.09	51.20 फ॰94
32.	पाण्डिचेरी	1.00	200.00	10.81	128.00	4.00	200.00	0.11	75.62 फ॰94
	योग	14500.00	1064000.00	12450.87	1062225.52	13509.00	1165300.00	105440.12	906517.21

** संशोधित

*अंनतिम

विवरण-II

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान वनीकरण/कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार आवंटन तथा उपयोग

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० प्र०	1992-93 आवंटन	1992-93 उपयोग	1993-94 आवंटन
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2510.52	3671.15	3324.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	434.55	429.23	511.00
3.	असम	1520.00	703.13	1217.00
4.	बिहार	2112.46	1864.70	3381.46
5.	गोवा	156.95	128.23	150.80
6.	गुजरात	6713.93	6663.94	6684.04
7.	हरियाणा	4576.57	3940.35	3777.40
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	4536.73	6063.13
9.	जम्मू और कश्मीर	1795.95	931.55	1108.02
10.	कर्नाटक	6157.87	5844.53	7548.06
11.	केरल	1215.00	1261.15	695.05
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	5884.01*	7350.68 *
13.	महाराष्ट्र	7624.11	6321.10	8936.45
14.	मणिपुर	573.65	308.55	284.49 **
15.	मेघालय	1164.07	1196.93	1084.20
16.	मिजोरम	870.00	980.55	906.09
17.	नागालैंड	122.38	प्रा० न०	134.46 (अ)
18.	उड़ीसा	4208.00	3842.85	4069.50
19.	पंजाब	1159.50	1903.22	1672.70
20.	राजस्थान	9583.00 *	9390.41 *	12550.44 *
21.	सिक्किम	383.87	436.60	364.82

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	4640.70	5111.08	5199.39
23.	त्रिपुरा	1158.04	978.15	1163.63
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9174.84	9043.33
25.	पश्चिम बंगाल	2880.00*	3618.21	2098.30**
26.	अंडमान नि० द्वीप समूह	116.25	112.97	114.85
27.	चण्डीगढ	30.00	39.00	170.00
28.	दादर व नगर हवेली	97.20	137.97	200.00
29.	दमन व द्वीव	13.00	15.00	13.00
30.	दिल्ली	281.00	193.25	197.00
31.	लक्षद्वीप	16.00	16.00	16.50
32.	पाण्डिचेरी	91.33	106.81	131.00
	योग :	79255.02	79742.19**	90161.49**

विवरण-III

राज्य वन विभागों के आठवीं योजना आवंटनों के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/सं० शा० प्र०	आवंटन
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	6842.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	४७१०.००
3.	असम	11260.00
4.	बिहार	18391.00
5.	गोवा	1030.00
6.	गुजरात	30000.00
7.	हरियाणा	11770.00
8.	हिमाचल प्रदेश	21000.00

1	2	3
9.	जम्मू एवं काश्मीर	9880.00
10.	कर्नाटक	20676.00
11.	केरल	9075.00
12.	मध्य प्रदेश	18782.00
13.	महाराष्ट्र	50221.00
14.	मणिपुर	2300.00
15.	मेघालय	5978.00
16.	मिजोरम	3105.00
17.	नागालैंड	2850.00
18.	उड़ीसा	10535.00
19.	पंजाब	5593.00
20.	राजस्थान	32655.00
21.	सिक्किम	1750.00
22.	तमिलनाडु	19500.00
23.	त्रिपुरा	2600.00
24.	उत्तर प्रदेश	36454.00
25.	पश्चिम बंगाल	13559.00
	योग-राज्य	350516.00
	योग-सं० शा० प्रदेश	5171.10
	योग-राज्य तथा सं० शा० प्रदेश	355687.10

उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों में लंबित मामले

3877. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 तक देश के उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया मामलों को निपटाने और भविष्य में ऐसे मामलों के संचयन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक संकलित ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) बकाया मामलों का मुख्य कारण उपभोक्ता न्यायालयों में दायर की जाने वाली शिकायतों की बढ़ी हुई संख्या, जिला मंचों का अंशकालिक रूप में कार्यकरण, आदि हैं।

(ग) कई राज्य सरकारें अंशकालिक जिला मंचों को बदलकर पूर्णकालिक बना रही हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में भी, जिले में कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने का प्रावधान है। तथापि, अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

विवरण

31-12-1993 की स्थिति के अनुसार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	14,435
अरुणाचल प्रदेश	13
असम	1,404
गोवा	248
गुजरात	13,403
हरियाणा	4,647
हिमाचल प्रदेश	1,838
महाराष्ट्र	14,443
मेघालय	7
पंजाब	3,939
राजस्थान	13,681
सिक्किम	3
तमिलनाडु	7,060

1	2
त्रिपुरा	112
चंडीगढ	3,262
दादरा व नगर हवेली	10
दमण व दीव	8
दिल्ली	8,691
पांडिचेरी	95

मुगलसराय में रेलगाड़ियों की भारी भीड़

3878. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय रेलवे जंक्शन में रेलगाड़ियों की भारी भीड़ से प्रायः रोज रेलगाड़ियों की सामान्य आवाजाही प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस जंक्शन पर इस भीड़ को कम करने के लिए किसी वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाबोधि महाविहार

3879. **श्री आनन्द अहिरवार** :

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बिहार के बोधगया में महाबोधि, महाविहार प्रदूषण के कारण खराब (क्षय) हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी) बोधगया (बिहार) स्थित महाबोधि महाविहार केन्द्रीय सरकार का संरक्षित स्मारक नहीं

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे स्टेशनों का विकास

[अनुवाद]

3880. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में और अधिक रेलवे स्टेशनों का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) कण्णनोर, कालीकट एवं तेल्लिचेरी में दत्तशुल्क प्रतिक्षालयों की व्यवस्था; कुडलाण्डि, त्रिचुर, मावेलिकाश, पच्चनूर, पालघाट, कांहनगढ़, कुलित्तुरै, शोरुवण्णूवर, कोल्लम, तिरुवल्ला, अल्वाय, कोट्टयम, चेंगन्नूर, वडक्कांचेरी, चालकुड़ी, इरिंजाल कुडा, अंगमालि, अलेप्पी, एर्णाकुलम जं० और एर्णाकुलम टाउन में प्लेटफार्म सायबानों का विस्तार/व्यवस्था; कुइलाण्डि, पय्यनूर, चेंगन्नूर, कट्टिपुरम, पट्टाम्बी, कांहनगढ़, चेरवत्तूर, अल्वाय, त्रिचूर, कडलुण्डि, पायंगाडि, तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल और तानूर में प्लेटफार्मों को ऊंचा करने/उनका विस्तार/सुधार और चालकुड़ी में ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

मेघालय में वन

3881. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में देवदार एवं अन्य वनों के अस्तित्व/विनाश-सीमा को निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने मेघालय के इन वनों की सुरक्षा और सुधार के लिए क्या कदम लिए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस उद्देश्य से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण मेघालय सहित पूरे देश के वन आवरण का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण की 1993 की वन स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि मेघालय में पिछले मूल्यांकन के बाद से कुल वन आवरण में 106 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है।

(ग) सरकार द्वारा मेघालय में इन वनों की सुरक्षा और सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार है :

(1) वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने को रोकने के लिए वन

(संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया था। 1988 के एक संशोधन द्वारा इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।

(2) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण पर अधिक बल दिया गया है। चराई, आग और अवैध कब्ज़ों से वनों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं।

(3) सातवीं योजना अवधि से वनरोपण कार्यों पर फिर से बल देने के लिए प्रयास किए गए हैं।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अवक्रमित वन भूमियों की सुरक्षा और उनमें पुनः वनस्पति उगाने के लिए ग्रामीण समुदायों और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करें।

(घ) "जैविक हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे का विकास" नामक स्कीम को। अप्रैल, 1993 से राज्य योजना क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

क्रम संख्या	वर्ष	मेघालय राज्य को दी गई वित्तीय सहायता (लाख रुपयों में)
1.	1990-91	शून्य
2.	1991-92	1.00
3.	1992-93	1.00

राणाघाट-बोनगांव खण्ड

3882. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के राणाघाट-बोनगांव खण्ड में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां। 33 कि०मी० लंबे राणाघाट-बोनगांव खंड, जिसकी अधिकतम खंडीय गति 65 कि०मी० प्रति घंटा है, का अनुरक्षण संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। इसके लिए रेल पथ का आवश्यक नवीनकरण किया जा रहा है ताकि गाड़ियों के सुरक्षित चालन के लिए इसको उपयुक्त बनाए रखा जा सके।

इसके अलावा, निम्नलिखित सुधार भी किए गए हैं :

(1) कर्षण की प्रणाली बदलकर डीजल कर दी गयी है।

(2) माझेरगाम स्टेशन के लिए एक और प्लेटफार्म शेड स्वीकृत किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाना-झापटेरढ़ाल के बीच दोहरी लाइन

3883. **डा० राम चन्द्र डोम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना और झापटेरढ़ाल के बीच दोहरी लाइन के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य आरंभ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में अनेक सुविधाओं वाला रेल टर्मिनल

[हिन्दी]

3884. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बहुत सुविधायुक्त रेल टर्मिनल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) हबीबगंज न्यू गोपाल में 7.70 करोड़ रुपये की लागत से एक नया बहु-सुविधायुक्त रेलवे टर्मिनल निर्माणधीन है। इस कार्य का 1994-95 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

महाराष्ट्र में नये रेल मार्ग

3885. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नये रेल मार्ग-वर्धा, यवतमाल-प्रसाद-नान्डेड़ का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी/किये जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल इस परियोजना पर विचार नहीं किया जा सकता।

दोहरीघाट से सहजनवा के बीच रेल पथ

3886. **श्री राज नारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरीघाट से सहजनवा तक एक नया रेल पथ बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना को अलाभप्रद पाया गया और संसाधनों की तंगी को देखते हुए इसके कार्यान्वयन पर विचार नहीं किया जा सका।

सवारी डिब्बों की हालत

3887. **श्री मोहन रावले** :

श्री एन०जे० राठवा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेल, मध्य रेल और हार्बर लाइन पर मुम्बई (महाराष्ट्र) में उपनगरीय रेलगाड़ियों में कितने सवारी डिब्बे और इंजन पुराने तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) क्या ऐसे सवारी डिब्बों को चरण बद्ध तरीके से बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) पश्चिम रेलवे पर 68 ई०एम०यू० सवारी डिब्बे और मध्य रेलवे पर 88 ई०एम०यू० सवारी डिब्बे (बन्दरगाह लाइन सहित) जो अपनी 25 वर्ष की सामान्य (जीवट) आयु के बाद भी कार्य कर रहें हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त गतायु सवारी डिब्बों का बदलाव सवारी डिब्बा कारखाना/मद्रास और जैसप्स-कलकत्ता द्वारा निर्मित किए जाने वाले डिब्बों में से 31-3-96 तक बदले जाने का कार्यक्रम है।

रेल पास

[अनुवाद]

3888. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की विधवायें निःशुल्क रेल पास प्राप्त करने की हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ये पास दिये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने 12 मार्च, 1987 से पूर्व सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की विधवाओं को इन पासों को देने से इनकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का रेल कर्मचारियों की सभी विधवाओं को ये पास देने और भेदभाव दूर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मौजूदा योजना के अनुसार केवल उन्हीं रेल कर्मचारियों, जो 12-3-1987 को या उसके बाद सेवा में थे अथवा सेवा में हैं और जिनकी उस तिथि के बाद मृत्यु हुई/मृत्यु होती है, की विधवाएं ही मानार्थ पासों की पात्र हैं बशर्ते/ रेल कर्मचारी ने अपनी सेवा के दौरान प्रतिवर्ष 2 सेट सुविधा टिकट आदेश (पी० टी० ओ०) अभ्यर्पित किये हों।

(ग) और (घ) चूंकि जो रेल कर्मचारी 12-3-1987 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी विधवाओं के मामले में प्रतिवर्ष 2 सेट पी० टी० ओ० अभ्यार्पित करने की शर्त पूरी नहीं की जा सकती थी, इसलिए वे मानार्थ पासों के लिए पात्र नहीं हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहायता

3889. **मेजर डी०डी० खनोरिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकारों को सीधे वित्तीय-सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट केन्द्रीय योजना नहीं है। तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन दूर करने और अनुसंधान तथा विकास के बारे में योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे तकनीकी संस्थाओं को दी जाती है। यह केन्द्रीय स्वायत्त संस्थाओं को केन्द्रीय-सरकार द्वारा दी जाने वाली 100% निधि के अलावा है।

बृहदीश्वर मंदिर में पशु चिकित्सालय

3890. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तंजावुर में विश्व प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर के परिसर में बने पशु चिकित्सालय को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तंजावुर में भगवान बृहदीश्वर के आगामी कुम्भ-अभिषेकम समारोह संपन्न करने के लिये विशेष अनुदान देने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सम्पर्क किया गया, तब तमिलनाडु राज्य सरकार पशु चिकित्सालय को इसके वर्तमान स्थान से कुछ दूर मंदिर के उत्तर-पूर्व कोने की तरफ स्थानान्तरित करने के लिए सहमत हो गई। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह क्षेत्र भी केन्द्रीय संरक्षित सीमा के अन्तर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, यह विचार करते हुए कि यह स्मारक केवल राष्ट्रीय महत्व का ही नहीं है, अपितु यह अपने अनोखे ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व के कारण यूनेस्को की "विश्वदाय सूची" में भी शामिल किया गया है, तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है कि वह पशु चिकित्सालय को केन्द्रीय संरक्षित सीमाओं के बाहर स्थानान्तरित करे और इसलिए कि परिसर के अन्दर किसी आधुनिक भवन का बनाया जाना उचित नहीं हो सकता है। राज्य सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

एक लाइन आमान परिवर्तन

3891. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों में भारी असंतोष को देखते हुए एक लाइन आमान परिवर्तन नीति की पुनरीक्षा करने हेतु कोई कदम उठाए गये हैं;

(ख) क्या अभी तक पश्चिम बंगाल की किसी परियोजना को एक लाइन आमान परिवर्तन नीति में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, इस नीति का जनता द्वारा सामान्य रूप से और उद्योगों द्वारा विशेष रूप से स्वागत किया गया है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल में पुरूलिया-कोटशिला छोटी लाइन को पहले ही बड़ी लाइन में एक-आमान परियोजना के अंतर्गत बदला जा चुका है। चरण-II में अर्थात् पुरुलिया-कोटशिला बाई-पास लाइन पर अब कार्य चल रहा है।

वैज्ञानिकों द्वारा जैव-अवयवों की तस्करी

3892. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमरीका स्थित वैज्ञानिकों के एक समूह ने बंदी बड़ी बिल्लियों की लुप्तप्रायः प्रजातियों के जैव ऊतकों, वीर्य तथा रक्त के नमूनों की तस्करी भी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) यह मामला सरकार के ध्यान में आया था तथा इसकी जांच की गई थी। मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :

जू आउटरीच आर्गेनाइजेशन द्वारा अक्तूबर, 1993 में भारत में आयोजित कार्यशालाओं में बाघ, पैंथर, शेर, मेघ-श्यामतेन्दुआ, तेन्दुआ बिल्ली और जंगली बिल्ली के रक्त, वीर्य और चर्म ऊतकों के नमूने लिए गए थे और इन नमूनों को नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ हेल्थ, मेरीलैंड में वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से निर्यात करने की अनुमति देने के लिए कहा गया था। इनके निर्यात की अनुमति नहीं दी गई। अतः इन नमूनों को जू आउटरीच संगठन द्वारा मद्रास पशु चिकित्सा कालेज और तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जमा कर दिया गया था।

मोर का मांस

3893. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नेशनल बर्ड सर्वड ऑन ऐ प्लेटर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान, विशेष रूप से झालावाड़ क्षेत्र में मांस के लिए मोर को मारे जाने में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(ङ) मोर का चोरी-छिपे शिकार करने पर रोक लगाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) राजस्थान राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले की सप्लाई

3894. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री डी० वेंकेटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई करते समय विदेशी कंपनियों को प्राथमिकता न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या रेलवे त्वरित डिलीवरी योजना के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कार्य देने पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विद्युत विभाग ने रेलवे के विचारार्थ दण्डात्मक प्रावधान सहित समझौता प्रारूप परिचालित किया था; और

(ङ) क्या रेलवे से विद्युत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर कोयले की सप्लाई पर विचार करने का फिर अनुरोध किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) ऊर्जा मंत्रालय से भारतीय रेलों, कोयला मंत्रालय और भारत में कोयले पर आधारित ताप बिजलीघर स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों के बीच संविदा का मसौदा प्राप्त हुआ है। संविदा की जांच की जा रही है।

जैव उर्वरकों का उपयोग

3895. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के वर्षों में जैव उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण अंपक्षरित भूमि के उपज संतुलन को बनाये रखने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसानों द्वारा जैव उर्वरकों को बेहतर उपयोग किये जाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसानों द्वारा जैव-उर्वरकों के उन्नत उपयोग के लिए राष्ट्रीय जैव-उर्वरक परियोजना, तिलहन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम तथा उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय जैव-उर्वरक परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम और उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव-उर्वरकों के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान आवंटित की गई निधि

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29.85	16.76	46.61
2.	कर्नाटक	14.87	9.28	24.15
3.	केरल	0.15	16.13	16.28

1	2	3	4	5
4.	तमिलनाडु	31.04	18.04	49.08
5.	गुजरात	11.67	7.61	19.28
6.	मध्य प्रदेश	13.67	29.04	42.71
7.	महाराष्ट्र	15.33	16.19	31.52
8.	राजस्थान	11.35	9.65	21.00
9.	हरियाणा	2.55	3.00	5.55
10.	पंजाब	0.33	12.03	12.36
11.	उत्तर प्रदेश	20.67	6.92	27.59
12.	हिमाचल प्रदेश	0.88	0.29	1.17
13.	जम्मू व कश्मीर	0.17	0.50	0.67
14.	बिहार	5.17	11.11	16.28
15.	उड़ीसा	12.56	8.69	21.25
16.	पश्चिम बंगाल	1.32	13.74	15.06
17.	असम	0.18	0.00	0.18
18.	त्रिपुरा	0.17	0.20	0.37
19.	मणिपुर	0.17	0.26	0.43
20.	मेघालय	0.17	0.26	0.43
21.	नागालैण्ड	0.17	0.20	0.37
22.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.07	0.07
23.	सिक्किम	1.27	0.44	1.71
24.	दिल्ली	0.18	0.20	0.38
	अखिल भारत	173.89	180.61	354.50

सह-संयुक्त अनुसंधान कार्य

3896. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 28 अप्रैल, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान करने वाले उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के गणित उच्च अध्ययन केन्द्र में गत तीन वर्षों के दौरान सह-संयुक्त कार्य के माध्यम से अनुसंधान किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन भूमि का अंतरण

3897. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-87 में उत्तरी सिक्किम की वन भूमि को, जिसे भारत के महासर्वेक्षक के स्वीकृत मानचित्र में खास भूमि के रूप में प्रलेखित किया गया है, प्रतिपूर्ति लाभ हेतु गैर-सरकारी व्यक्तियों को अतरित कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी व्यक्तियों को वन भूमि के ऐसे अंतरण के लिए राज्य सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। सिक्किम राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि उन्हें निजी व्यक्तियों के पक्ष में वन खास भूमि को अन्तरित करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सिक्किम राज्य सरकार से ऐसे मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने को कहा गया है।

लाल चन्दन की लकड़ी

3898. **श्री ए० प्रताप साय** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाल चन्दन की लकड़ी की उपलब्धता के सर्वेक्षण के संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) कहां और किस उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को अन्य देशों से लाल चन्दन की लकड़ी खरीदने के क्रयादेश मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाल चन्दन की लकड़ी के अवैध व्यापार को रोकने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम लिये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) लाल चंदन मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है और इस राज्य में प्राकृतिक रूप से उगे लाल चंदन का क्षेत्र लगभग 1,74,791 है० है।

(ख) औषधीय उपयोग के अतिरिक्त स्थानीय तौर पर इसका उपयोग खिलौने बनाने, कृषि उपकरण और निर्माण संबंधी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तथापि, वर्तमान में इसका सबसे

अधिक बाजार जापान में है जहां इसका उपयोग "शमोसिन" नामक यंत्र के निर्माण में किया जाता है। औषधीय और रसायन उद्योग के लिए इसका बाजार सिंगापुर, उत्तर और दक्षिण कोरिया, हांगकांग, फ्रांस, यू० के०, पश्चिम जर्मनी, हॉलैण्ड, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमरीका में भी है।

(ग) लाल चंदन की खरीद के लिए सरकार को अन्य देशों से कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) इस दुर्लभ प्रजाति की तस्करी को रोकने और मार्ग में इसको प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए नेल्लोर जिले के रापुर, कुडापा जिले के रायचोटी और कुडापा, चित्तूर जिले के तिरूपति और पालेरू में 5 उड़नदस्तों की स्थापना की गई है ताकि लाल चंदन के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों पर नजर रखी जा सके। इस बहुमूल्य लकड़ी की तस्करी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए इन उड़न दस्तों को पर्याप्त स्टाफ, वाहन और बेतार संचार-प्रणाली से लैसे किया गया है।

तिरुपति काटपाडि मीटर गेज लाइन

3899. **श्री एम०जी० रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति-काटपाडि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आमान परिवर्तन की कुल लागत कितनी है और वर्ष 1993-94 के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) अधिक समय लगने वाली मदों पर कार्य चल रहा है। नवीं योजनावधि में यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

(ग) कुल लागत 62 करोड़ रु० है। 1993-94 के लिए स्वीकृत राशि 51 करोड़ रु० है।

रेल मार्ग का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

3900. **श्री जंगवीर सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली-रोहतक-भिवानी रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन का विद्युतीकरण कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के "विद्युतीकरण" के लिए सापेक्ष प्राथमिकता के कारण दिल्ली-रोहतक-भिवानी खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

फलों की खपत

[अनुवाद]

3901. **श्री के०एच० मुनियप्पा :**
श्री के०जी० शिवप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति अनुमानित खपत कितनी है;

(ख) क्या भारत में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत विश्व में सबसे कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारत में फलों तथा सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 37.9 किलोग्राम तथा 78.8 किलोग्राम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रति व्यक्ति खपत को नीचे दिए गए उपायों के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है :

(i) विभिन्न कार्यक्रलापों के लिए किसानों को सहायता देकर विशेष योजनाओं के माध्यम से फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में सुधार करना।

(ii) कटाई पश्चात बेहतर प्रबंध एवं विपणन तथा समुचित बुनियादी अवसंरचना के माध्यम से उक्त जिन्सों की उपलब्धता में सुधार करना।

(iii) पौष्टिक पदार्थों के सस्ते स्रोत के रूप में जनसाधारण में इनकी खपत को बढाना।

बंगलौर और चित्रदुर्ग के बीच बड़ी लाइन

3902. **श्री सी०पी० मुदालय गिरियप्पा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुमकूर, सीरा होते हुए बंगलौर और चित्रदुर्ग के बीच एक सीधी बड़ी लाइन की भारी मांग है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने एक नई सीधी बड़ी लाइन के सर्वेक्षण का आदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल तुमकुर और चिकजाजुर के रास्ते चित्रदुर्ग और बेंगलूरू के बीच अब बड़ी लाइन सम्पर्क उपलब्ध हो गया है।

रेल संरक्षण निधि

[हिन्दी]

3903. **डा० रमेश चन्द तोमर :**
श्री बलराज पासी :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 निर्मित और 10 निर्माणाधीन पुलों के लिए रेल संरक्षण निधि से धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कब तक धनराशि दे दी जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में निर्मित किये गए तथा निर्माणाधीन ऊपरी/निचले सड़क पुलों की लागत के राज्य सरकार के हिस्से के संबंध में रेलवे संरक्षा निधि से प्रतिपूर्ति के लिए उ० प्र० राज्य सरकार से कुल 28.52 करोड़ रु० के दावे प्राप्त हुए थे। रेल संरक्षा निधि से उतनी ही रकम की प्रति पूर्ति की जाती है जितना वित्त आयोग द्वारा संस्तुत वितरण के अनुसार राज्य सरकार के खाते में उपचित होता है। तदनुसार, 31-3-1993 के अंत में राज्य सरकार के खाते में उपचित 969.47 लाख रु० की राशि में से अब तक उ० प्र० सरकार को 968.84 लाख रु० की प्रतिपूर्ति कर दी गई है। आगामी वर्षों में राज्य सरकार के खाते में उपचित धन के अनुसार आगे और प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

कोचीन में स्टेडियमों का निर्माण

[अनुवाद]

3904. **प्रो०के०वी० थामस** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार और कोचीन नगर निगम ने कोचीन में इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम और राजीव गांधी लघु स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव और परियोजनाएं प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों और परियोजनाओं पर क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) केरल सरकार ने कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण के लिए ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण का एक प्रस्ताव भेजा है। परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रंथालय में विकास कार्य

3905. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रन्थालय में विकास कार्य की गति धीमी पड़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कार्य को पुनः गति प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय ग्रंथालय की विकास योजनाओं को कुछ हद तक क्षति पहुंची है।

(ख) इसका मुख्य कारण मुख्यतः दो सेवा एसोसिएशनों के बीच परस्पर प्रतिद्धन्द्धिता के कारण उत्पन्न हुई प्रशासनिक अड़चनें हैं। सामान्य प्रशासनिक उपायों के अलावा, ग्रंथालय के कार्यकरण के सभी पहलुओं की जांच करने और इसके सुधार के उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार ने तीन-सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

दिल्ली से उदयपुर तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

3906. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के रेल बजट में दिल्ली से उदयपुर तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) दिल्ली और रेवाड़ी के बीच रेल लाइन का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है। रेवाड़ी से अजमेर तक का आमान परिवर्तन 1994-95 में पूरा कर दिया जायेगा। अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नई चीनी मिलें

3907. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम गुजरात को नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऐसी चीनी मिलों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास इन मिलों को सहायता देने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अतिरिक्त धनराशि देने का है ताकि वह इन मिलों को आर्थिक सहायता दे सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) नई सहकारी चीनी मिलों की अंश पूंजी में अंशदान देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निवेश ऋण सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय वित्त संस्थानों द्वारा परियोजना का मूल्यांकन करने और उनके द्वारा परियोजना हेतु आवधिक ऋण को मंजूरी दे दिए जाने के बाद ही यह ऋण सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा श्री रेवाखण्ड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड, आमोद, जिला भडौंच गुजरात की स्थापना हेतु वर्ष 1992-93 के दौरान 7.865 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, जो इस परियोजना के लिए "स्पिल ओवर" सहायता के रूप में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिए सहकारी चीनी मिलों की अंश पूंजी में सहभागिता, विस्तार तथा चालू सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और उनके विविधिकरण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 350.00 करोड़ रूपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी गई है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच

[अनुवाद]

3908. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के बहुत से निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता कानून में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है और अपील केवल उच्चतम न्यायालय में होती है। तथापि, कुछ मामलों में शिकायत दायर करने के पश्चात, विरोधी पक्षकार उच्च न्यायालय में मामला दायर कर देता है और कुछ उच्च न्यायालयों ने आगे कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

(ख) और (ग) इस समय, उच्च न्यायालयों को ऐसी रिट याचिकाओं को स्वीकार करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जावरा और मंदसौर स्टेशनों पर यात्री सुविधा

[हिन्दी]

3909. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत जावरा और मंदसौर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पेयजल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इन स्टेशनों पर की जा रही व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जावरा और मंदसौर रेलवे स्टेशनों पर यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था पहले ही मौजूद है।

रेलवे पुल

[अनुवाद]

3910. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 से आज तक वर्ष-वार कौन-कौन से राज्यों से किन-किन स्थानों के लिए पुलों, उपरि पुलों, रेलवे फाटकों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण तथा भीड़-भाड़ वाले रेलवे फाटकों पर उपरि पुल निर्मित करने का है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) यातायात के संचलन के लिए रेलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेल पथ पुलों का निर्माण किया जाता है। एक विवरण संलग्न है जिसमें ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा दिया गया है। समपारों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुल की व्यवस्था करने की पद्धति यह है कि राज्य सरकारें प्राथमिकताएं प्रदान करते हुए निर्माण कार्यों का प्रस्ताव करती हैं। तत्पश्चात् रेलें मामलों की जांच करती हैं और उनमें से उन कार्यों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करती हैं जिनके लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पूर्वापेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर दी गयी हों। रेलें कार्यों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करते समय इस बात को भी ध्यान में रखती हैं कि उस राज्य विशेष के लिए स्वीकृत मौजूदा कार्य कितने हैं तथा राज्य सरकार द्वारा इन कार्यों को किस गति से निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) जुलाई 1991 से अब तक राज्य सरकारों से ऊपरी सड़क पुलों के संबंध में प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य का नाम	वर्ष	संख्या और ब्यौरा	टिप्पणी
1	2	3	4
असम		17	प्रस्ताव के वर्ष और ऊपरी सड़क पुल के स्थान से संबंधित सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।
आंध्र प्रदेश	1992-93	12	
		1. अनकापल्ली-थाड़ी	
		2. थाड़ी-दुव्वाड़ा	
		3. कोव्वूरु	
		4. चिराला	
		5. नरसारावपेट	
		6. महबूबाबाद	
		7. येलामनचिल्ली	
		8. बय्यावरम	
		9. वतलूरू	
		10. एलुरू	
		11. नार्थ केबिन दुव्वाड़ा	
		12. काज़ीपेट	
	1993-94	13	
		1. अनकापल्ली-थाड़ी	
		2. थाड़ी-दुव्वाड़ा	
		3. कोव्वूर	
		4. चिराला	
		5. नरसारावपेट	
		6. महबूबाबाद	

1	2	3	4
		7. येलामनचिल्ली	
		8. बय्यावरम	
		9. वतलूरू	
		10. एलूरू	
		11. पाथापेट	
		12. कोड्डूरू	
		13. थाडीपतरी	
	1994-95	12	
		1. रामकृष्णपुरम	
		2. मधीरा	
		3. सीताफल मंडी	
		4. अहीराबाद	
		5. चिराला	
		6. महबूबाबाद	
		7. थाड़ीपतरी	
		8. हफीज़पेट	
		9. बोलारम	
		10. निज़ामाबाद	
		11. नरसारावपेट	
		12. कोड्डूरू	
बिहार		1	प्रस्ताव के वर्ष और ऊपरी सड़क पुल के स्थान से संबंधित सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।
दिल्ली		1	
		1. विकास मार्ग के निकट नई दिल्ली-साहिबाबाद	
गुजरात	1991-92	7	
		1. सिद्धपुर	

1	2	3	4
	1992-93	2. सूरत	
		3. राजकोट	
		4. सैईज-सथा	
		5. हिम्मतनगर	
		6. प्रांतिज	
		7. लाखबावल	
हरियाणा	1993-94	1	
		1. तेल शोधक कारखाने को जाने वाली सड़क पर कोंड गांव के निकट	
कर्नाटक	1992-93	2	
		1. हासपेट-कम्पिल रोड	
		2. बागलकोट-बादामी रोड (नीरलखेड़ी के निकट)	
	1993-94	10	
		1. नीरलखेड़ी के समीप	
		2. हुबली शहर के समीप	
		3. बेल्लारी के समीप	
		4. बागलपूर के समीप	
		5. बीजापुर के समीप	
		6. धारवाड़-गोवा रोड पर	
		7. –यथोक्त–	
		8. रायचूर	
		9. सुपा-हल्याल रोड	
		10. होजपेट-कम्पिल रोड	
	1994-95	2	
		1. हबली-गदग रोड	
		2. हाजपेट-कम्पिल रोड	

1	2	3	4
	1993-94	2	
		1. बेंगलूरू सिटी-तुमकूर	
		2. बेंगलूरू सिटी-मैसूर	
	1994-95	1	
		1. तुमकूर का पश्चिम केबिन	
महाराष्ट्र		3	
		1. शोलापुर-गदग	
		2. धौंड स्टेशन के समीप	
		3. धर्माबाद	
	1993-94	2	
		1. शोलापुर-गदक	
		2. धर्माबाद	
महाराष्ट्र जारी	1991-92	6	
		1. नरदाना	
		2. विलेपार्ले	
		3. बोरीविली	
		4. विरार	
		5. चलथान	
		6. गंगाधरा	
नागालैण्ड		1	प्रस्ताव के वर्ष और ऊपरी सड़क पुल के स्थान से संबंधित सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।
पंजाब	1991-92	1. धमोरिया	
	1992-93	1. पाटियाला में	
	1993-94	1. राजपुरा में	
राजस्थान	1991-92	1. रींगस	
तमिलनाडु	1991-92	3	
		1. विषुपुरम-पांडिचेरी	

1	2	3	4
		2. मनमदुरै-विरूधुनगर	
		3. मंडपम-पमबन	
	1992-93	कोई नहीं	
	1993-94	2	
		1. विषुपुरम-काटपाडी (कि० मी० 152/5-6)	
		2. विषुपुरम-काटपाडी (कि० मी० 2/2-3)	
उत्तर प्रदेश	1992-93	2	
		1. जी० टी० रोड और गाजियाबाद में राष्ट्रीय बाई पास सं० 24	
		2. चिलबिला	
पश्चिम बंगाल		1	प्रस्ताव के वर्ष और ऊपरी सड़क पुल से संबंधित सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए भर्ती बोर्ड

3911. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए प्रस्तावित भर्ती बोर्ड गठित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रचना, सदस्यता तथा सदस्यों की पृष्ठभूमि और अनुभव संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व

3912. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रेलवे ने रद्दी माल बेचकर कितना-कितना राजस्व अर्जित किया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्रोत से अर्जित होने वाले राजस्व के अनुमान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रद्दी माल के निपटान की वर्तमान प्रक्रिया क्या है और अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) 1994-95 के दौरान इस स्रोत से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने हेतु क्या विशेष कार्य योजना बनाई गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान निपटाए गए स्क्रैप का बिक्री मूल्य इस प्रकार है:

1991-92	540.18 करोड़
1992-93	678.94 करोड़
1993-94	842.73 करोड़

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में हुई वास्तविक बिक्री इस प्रकार है:

1992-93	678.94 करोड़
1993-94	842.73 करोड़

बिक्री के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं जो वास्तविक वार्षिक योजना परिव्यय तथा अन्य संबंधित कारकों पर आधारित होते हैं। 1994-95 के लिए अंतरिम लक्ष्य 900 करोड़ रुपए का है।

(ग) स्क्रैप का निपटान सार्वजनिक नीलामी और निविदाओं के माध्यम से किया जाता है। मौजूदा प्रणाली राजस्व की इष्टतम वसूली सुनिश्चित करती है और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(घ) इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होने वाले और निपटाए जाने वाले स्क्रैप पर सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

वाहन प्रदूषण

3913. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "बिफोर यू चोक्ड आन कार्बन गेट ए मास्क" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आटोमोबाइल्स से प्रदूषण की स्थिति पर एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है जिससे पता चलता है कि दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण भार सर्वेक्षित प्रमुख दस शहरों में सबसे अधिक है।

(ग) ऑटोमोबाइल्स के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों हेतु उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और ये 1990 से लागू हैं।

(ii) जल भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को इन मानकों को लागू करने के लिए कहा है।

(iii) पैट्रोल में सीसे की मात्रा को पहले ही 0.18 ग्राम/लीटर के राष्ट्रीय औसत तक नीचे लाया गया है। इससे स्तरों को और अधिक कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) वाहनों से प्रदूषण को रोकने और उसके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(v) सितंबर, 1993 में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत वाहन संबंधी उत्सर्जनों हेतु और कठोर मानक अधिसूचित किए गए हैं जो अप्रैल, 1996 से प्रभावी होंगे।

(vi) आटोमोबाइल विनिर्माताओं से कहा गया है कि वाहनों के उत्सर्जन के बारे में अधिक सख्त मानकों को पूरा करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का विकास और उसमें सुधार करें।

(vii) नगर नियोजकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी योजनाओं में नगर परिवहन की दीर्घकालिक अपेक्षाओं को शामिल करें।

पुष्पक एक्सप्रैस में सवारी डिब्बे

[हिन्दी]

3914. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई-लखनऊ पुष्पक एक्सप्रैस में चार अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बम्बई पी०टी० पर यात्रियों की भावी भीड़ को देखते हुए वहां से चलने वाली सभी अन्य रेलगाडियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाना, जिसमें बंबई वी०टी० से प्रारंभ होने वाली/वहां समाप्त होने वाली गाड़ियां शामिल हैं, एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते यह परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक हो, यातायात का औचित्य हो और सवारी डिब्बे उपलब्ध हों।

नेपाली भाषा को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

3915. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिए जाने के बाद इसके प्रोत्साहन के लिए कुछ उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में नेपाली भाषा में उच्च अध्ययन की सुविधाएं मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के कुछ पदों को सृजित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग, एन०ई०टी० परीक्षाओं, जो जूनियर शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने व लेक्चररों की पात्रता हेतु आयोजित करना है, के लिए नेपानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने पर विचार कर रहा है। नेपाली भाषा और साहित्य के क्षेत्र में लघु/मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं पर भी सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। नेपाली भाषा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय व उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में अवर स्नातक व स्नातकोत्तर स्तरों पर पढ़ाई जाती है।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि यह संबंधित विश्वविद्यालयों का कार्य है कि वह आयोग द्वारा संस्वीकृत वित्तीय सहायता की सीमा के अन्तर्गत अध्ययन के इस क्षेत्र में प्रोफेसरों के पद सृजित करने के सम्बंध में उपयुक्त निर्णय लें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं योजना अवधि के दौरान नेपाली भाषा में प्रोफेसर का एक पद सृजित करने के लिए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। आयोग ने, नेपाली भाषा

के अध्ययन हेतु एक क्रेन्द्र का सृजन करने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना स्वीकार कर लिया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा

3916. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा के गणित परीक्षा के प्रश्न पत्र कठिन और लम्बे थे जिसमें अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के थे;

(ख) क्या सी० बी० एस० ई० ने प्रश्न-पत्रों के अनेक सेट प्रणाली को अभिभावक संघों के कटु आलोचना के बावजूद भी अपनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित विषय विशेज्ञों की समिति ने इस वर्ष बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा X की परीक्षा में गणित के प्रश्न पत्र में कुछ भी गलत नहीं पाया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1992 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में पहली बार अपनी परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के अनेक सैटों का प्रयोग किया था। 1993 की परीक्षाओं के दौरान प्रश्न-पत्रों के अनेक सैटों का प्रयोग केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों में किया गया। "सार्थक शिक्षा के लिए अभिभावक मंच" नामक संस्था ने अनेक सैटों के प्रयोग की आलोचना की है। तथापि, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों तथा शिक्षा विदों और स्कूलों के संघों की राय के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय ने 12-1-94 को आयोजित अपनी बैठक में एकमत से यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा X और कक्षा XII की 1994 की परीक्षाओं में तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी अनेक सैटों का प्रयोग जारी रखा जाए।

छितौनी-बगहा रेलवे पुल

[हिन्दी]

3917. **श्री राम नगीना मिश्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में छितौनी-बगहा रेलवे पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) इसके निर्माण कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है;

(घ) इस पुल से हेतु हुए बगहा से गोरखपुर जाने वाली रेल लाइन कब तक बनकर तैयार हो जायेगी; और

(ङ) इस रेल लाइन पर रेलगाड़ियां कब तक शुरू हो जायेंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) दिसंबर, 95 तक बशर्ते कि अन्य सहभागी अर्थात् जल-संसाधन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकार समय पर अपने-अपने हिस्से की राशि उपलब्ध करा दें।

(ख) कार्य पर खर्च की गई राशि लगभग 128.0 करोड़ रुपये है। जहां तक कार्य की प्रगति का संबंध है, पुल की नींव, गाइड बांध तथा पडुंच तटबंध दोनों पूरे हो गये हैं।

(ग) 164.09 करोड़ रुपये।

(घ) दिसम्बर, 1995 ।

(ङ) लाइन पूरी हो जाने और यात्री गाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त हो जाने के बाद।

मद्रास समुद्र-तट

[अनुवाद]

3918. **डा राजागोपालन श्रीधरण** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास समुद्र-तट पर फैले प्रदूषण के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या प्रदूषण संबंधी कारकों की जांच करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठायें हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के विभिन्न स्रातों का पता लगाने के लिए तमिलनाडु तक का टोही सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण से पता चला कि भूमि से संबंधित प्रदूषण के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं:

(1) इन्नौर में स्थित उद्योग

(2) मद्रास शहर का मलजल निपटान

(3) कूम नदी के जरिये विसर्जित बहिःस्राव।

मद्रास तट पर प्रदूषण निवारण के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) प्रदूषण के उद्गम स्रोतों का पता लगाना।

(ख) तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तटीय जल गुणवत्ता की निगरानी।

(ग) उद्योगों/मद्रास नगरपालिका को एक डिफ्यूजर प्रणाली सहित मैरीन आऊट फाल्स और उपयुक्त बहिःस्राव शोधन सुविधाओं का निर्माण करने के अनुदेश जारी करना ताकि ये निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

(घ) तटीय रेखा से 500 मीटर के भीतर उद्योगों की स्थापना को निषिद्ध करने के अनुदेश जारी करना।

विश्वविद्यालय को अनुदान

3919. **डा० पी० वल्लल पेरूमान :**

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत तीन वर्षों में देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय को विभिन्न उद्देश्यों के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सातवीं योजनावधि के दौरान कितने कालेजों को विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया तथा इस अवधि में कुल कितना अनुदान उपलब्ध किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वनस्पति तथा खाद्य तेलों के डिब्बे

[हिन्दी]

3920. **डा० साक्षीजी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति और खाद्य तेलों को रंगीन प्लास्टिक की बोतलों या डिब्बों में भरने से इनका लगभग 70 प्रतिशत भाग प्रदूषित हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन द्वारा इसकी जांच कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरूद्दीन अहमद) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे पुल

3921. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान कितने पुराने रेलवे पुलों को मरम्मत के लिए चुना गया है;

(ख) उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने नए पुलों का निर्माण किया गया ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 1993-94 के दौरान मरम्मत/नवीनकरण के लिए चुने गए पुलों औ र नए निर्मित पुलों के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रेलवे	मरम्मत/नवीनकरण के लिए चुने गए पुलों की संख्या	निर्मित नए पुलों की संख्या
मध्य	77	287
पूर्व	181	–
उत्तर	31	–
पूर्वोत्तर	19	12
पूर्वोत्तर सीमा	18	2
दक्षिण	43	–
दक्षिण-मध्य	117	12
दक्षिण-पूर्व	8	1
पश्चिम	7	–
	501	314

1993-94 के दौरान पुलों की मरम्मत/नवीकरण के लिए 54.62 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

भारत-ब्राजील सहयोग

[अनुवाद]

3922. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्राजील ने दीर्घकालीन विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देश इस क्षेत्र में औपचारिक समझौता करने पर सहमत हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) ब्राज़ील के पर्यावरणं और भारत के लिए अमेज़न क्षेत्र के मंत्री के भारत दौरे के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संयुक्त वक्तव्य को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत गणराज्य के पर्यावरण और वन मंत्री

श्री कमल नाथ

और

ब्राज़ील के पर्यावरण और अमेजन क्षेत्र के मंत्री

उच्चायुक्त ग्लेन्स रिकुपेरो

का संयुक्त वक्तव्य

भारत और ब्राज़ील के पर्यावरणीय मामलों के प्रभारी मंत्रियों ने,

– 21-25 फरवरी, 1994 के दौरान दिल्ली और आगरा में मुलाकात करके;

– सतत् विकास के लिए भाग लेने वाले देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में यथा सम्मत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए;

– एजेण्डा-21 और अन्य रियो समझौतों के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को याद करते हुए;

– सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से सतत् विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए;

– इस बात को मानते हुए कि पर्यावरीण संरक्षण के जरिये सतत् विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार से भारत और ब्राजील के आर्थिक विकास और लोगों के कल्याण में मदद मिलेगी;

– इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन तथा पेयजल और स्वच्छता जैसी मौलिक ज़रूरतों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता रहे;

– पर्यावरण के क्षेत्र में आपसी हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत बनाने तथा इस दिशा में समानता और पारस्परिक लाभों के आधार पर सूचना, अनुभव, कौशलों और तकनीकों के अदान-प्रदान करने के दृढ़ संकल्प के साथ;

सतत् विकास और पर्यावरीणीय संरक्षण के क्षेत्र में भारत और ब्राजील के बीच सहयोग को बढ़ाने का इस प्रकार निर्णय लिया है;

1. दोनों पक्ष सतत् विकास से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर परामर्श करते रहेंगे, विशेष रूप से ऐसे मुददों पर जिनका संबंध सतत् विकास आयोग, जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन तथा जैवीय विविधता कन्वेशन, वानिकी, व्यापार और पर्यावरण, वित्तीय संसाधन और पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से है।

इस बात पर सहमति हुई कि सतत् विकास आयोग को एजेण्डा-21 के कार्यान्वयन में अधिक सक्रिया भूमिका निभानी चाहिए।

2. मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि निम्नलिखित अभिनिर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ब्यौरे तैयार किए जाएं :

(क) समताप मंडलीय ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मांट्रियल प्रोटोकाल का कार्यान्वयन;

(ख) पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रौद्योगिकियां;

(ग) जैव-विविधता, वानिकी तथा अन्य नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत् उपयोग;

(घ) प्रदूषण नियंत्रण;

(ङ) परिसंकटमय और विषाक्त अपशिष्टों सहित अपशिष्ट प्रबंध तथा उनका देश में और सीमा के आर-पार संचलन;

(च) अपशिष्टों का पुनश्चक्रण;

(छ) नदी बेसिनों, झीलों तथा ताजे जल संसाधनों का प्रबंध;

(ज) तटीय क्षेत्रों और समुद्री संसाधनों का प्रबंध;

(झ) मरूस्थलीकरण और सूखे का सामना करना;

(ट) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

(ठ) इको-लेबल लगाने सहित उत्पादों और प्रसंस्करणों की गुणवत्ता का नियंत्रण और पर्यावरणीय प्रबंध;

(ड) जन जागरूकता और शिक्षा;

(ढ) कानून प्रवर्तन सहित सतत् विकास और पर्यावरणीय संरक्षण पर कानून;

(ण) पारि-पर्यटन और राष्ट्रीय उद्यान तथा उनका प्रबंध;

(त) सतत् विकास के क्षेत्र में विशेष रूप से वन संरक्षण के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन गणना और मूल्यांकन विश्लेषण;

3. द्विपक्षीय सहयोग की शुरूआत अधिक दृढ़तापूर्वक करने के लिए दोनों मंत्री निम्नलिखित क्षेत्रों में परियोजनाएं प्रतिपादित करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर विचार करने के लिए सहमत हुए;

(1) वैज्ञानिकों, विद्वानों, तकनीशियनों और पर्यावरणीय प्रबन्ध विशेषज्ञों तथा कार्मिकों का आदान-प्रदान;

(2) अपर मद संख्या 2 में उल्लिखित क्षेत्रों में सूचना और अनुभव का अदान-प्रदान;

(3) पारस्परिक हित के विषयों पर सहकारी अनुसंधान;

(4) संयुक्त अथवा बहु-पक्षीय संगोष्ठियों, गोष्ठियों, व्याख्यानों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन;

(5) वैकल्पिक ईंधन के रूप में अलकोहल तथा गैसोलीन के लिए सीसे के विकल्प के बारे में ब्राजील के अनुभव की उपयोगिता;

(6) मद्य-निर्माणशालाओं और चीनी फैक्टरियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानक और तकनीकें;

(7) पौधरोपण सहित वन प्रबन्ध में सहयोग;

(8) पर्यावरणीय संपरीक्षा, पर्यावरीणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अवसर लागत विश्लेषण के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान;

4. द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए दोनों पक्ष सरकारी हस्तियों, अनुसंधान संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के विभिन्न स्तरों के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देंगे।

5. दोनों पक्ष संयुक्त रूप से द्विपक्षीय परियोजनाओं के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करेंगे तथा साथ ही पर्यावरण और सतत् विकास के क्षेत्र में अन्य विकासशील देशों का संयुक्त सहयोग भी प्राप्त करेंगे।

6. जब तक दोनों के बीच कोई व्यवस्था न कर ली जाए आदान-प्रदान और सहकारी गतिविधियों से सम्बन्धित व्यय प्रेषक पक्ष द्वारा पूरे किए जाएंगे।

7. दोनों मंत्री इस संयुक्त वक्तव्य में अंतर्निहित विचारों के आधार पर सतत् विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सहयोग के क्षेत्र में अपनी सरकारों के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं का पता लगाने पर राजी हो गए।

मध्य प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

[हिन्दी]

3923. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सिंचाई और सड़क परियोजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं के नाम क्या हैं जो वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मंत्रालय के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मध्य प्रदेश के लंबित प्रस्तावों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रस्ताव के लंबित होने की अवधि और लंबित होने के कारण बताए गये हैं।

(ग) राज्य सरकार से पूर्ण ब्यौरे प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाती है।

विवरण

स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 31-3-94 को लंबित मध्य प्रदेश के प्रस्ताव

क्र० सं०	प्रस्ताव का नाम	कब से लंबित है	लंबित होने का कारण/ वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	राजनद गांव जिले में अशोक कुमार द्वारा गेरू खनन पट्टा	फरवरी, 1994	इस प्रस्ताव पर राज्य सलाहकार दल द्वारा 30-3-94 को चर्चा की गई तथा निर्णय लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
2.	देवास ज़िले में देवानलिया से नाचनबोर तक 11 कि० वा० पारेषण लाइन	मार्च, 1994	कार्रवाई चल रही है।
3.	छत्तरपुर ज़िले में खुजराहो खनन द्वारा डिस्पोर एवं फ्रोफुलाइट का खनन	मार्च, 1994	कार्रवाई चल रही है।
4.	शहदोल ज़िले में खनन हेतु एस० ई० सी० एल० के लिए सतह अधिकार	मार्च, 1994	कार्रवाई चल रही है।
5.	बेतुल जिले में पूर्णा अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना	मार्च, 1994	इस प्रस्ताव पर राज्य सलाहकार दल द्वारा

1	2	3	4
			30-3-94 को चर्चा की गई तथा निर्णय लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
6.	बस्तर ज़िले में तारापुर सिंचाई परियोजना	मार्च, 1994	–वही–

सांस्कृतिक शिल्पकृति

[अनुवाद]

3924. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए, खरीदे गए अथवा देश से चुराए गए मुख्य सांस्कृतिक शिल्पकृतियों, उनके अनुमानित मूल्य और उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी सांस्कृतिक शिल्पकृतियों को उनके असली स्वामियों के पास लौटाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन शिल्पकृतियों को लौटाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृतिक विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जो बड़ी-बड़ी सांस्कृतिक शिल्पकृतियों और पुरावस्तुएं प्राप्त कर ली गई हैं या देश से चुरा ली गई हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार है:

(i) तमिलनाडु से भारत से बाहर चोरी से ले जाई गई चौंतीस वस्तुओं में से उन्नीस पुरावस्तुएं पीसा स्थिति इतालवी सीमा-शुल्क, प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई थीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली ने मद्रास में पार्टी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है।

(ii) भारत से बाहर चोरी से ले जाई गई दो पुरावस्तुएं अर्थात् (क) नटराज प्रतिमा विश्वनाथ स्वामी मंदिर, पाथुर, तंजावुर जिला और (ख) जिला कानपुर में भीतर गांव से पकी मिट्टी की मूर्ति क्रमशः 9-8-1991 को इंग्लैण्ड से और 26-11-1991 को अमरीका से भारत को पुनः वापस प्राप्त हुई हैं।

सामान्यतया, पुरावस्तुओं की केवल तभी कीमत आंकी जाती है, जब उन्हें अस्थायी निर्यात परमिटों पर प्रदर्शनियों के लिए बाहर भेजा जाता है। तब बीमे के लिए मूल्य-निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, पुरावस्तुओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जब तक कि विशेष रूप मे जरूरत न हो।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मूल देशों को "सांस्कृतिक सम्पदा का प्रत्यर्पण" पर 1984 में एक संकल्प स्वीकार किया था। संकल्प में इस बात पर जोर दिया गया था कि सदस्य राष्ट्र

सांस्कृति सम्पदा की सूचियां तैयार करने और उनके अवैध व्यापार को घटाने में आपस में सहयोग देने का प्रयास करें और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अपील की थी कि इस सांस्कृतिक सम्पदाओं के प्रत्यर्पण हेतु द्विपक्षीय उपाय किए जाएं। तथापित, अभी तक अनेक देशों द्वारा इस समझौते का अनुमोदन नहीं किया गया है। किन्तु भारत उपयुक्त माध्यमों से इस मामले को जारी रखेगा।

तस्करी रोकने और चुराई गई वस्तुओं, जो विदेशों में पहुंच गई हैं, को पुनः प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के समझौते "सांस्कृतिक सम्पदा के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के स्थानान्तरण का निषेध एवं निवारण" का 24-1-1977 को अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना पुरावस्तुओं और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात की अनुमति नहीं है। सीमा-शुल्क अधिकारियों के सहयोग से निकास बन्दरगाहों (हवाई और समुद्री) पर जांच-पड़ताल की व्यवस्था भी की गई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और इन्टरपोल से न केवल तस्करी का पता लगाने और उसके रोकन के लिए आवश्यक सहायता ली जाती है, अपितु, विदेशों से वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए भी सहायता ली जाती है।

रोम में पकड़े गए उन्नीस पुरावशेषों के मामले में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निर्यातक के खिलाफ और इन्टपोल की सहायता से रोम के प्राधिकारियों के पास एक केस दर्ज करवाया है ताकि पुरावशेषों को भारत में वापस लाया जा सके। रोम के भारतीय दूतावास ने इस मामले को इटली के संस्कृति और पर्यावारिक सम्पदा मंत्रालय के साथ भी उठाया है।

पाथुर नटराज को 1991 में इसी प्रक्रिया से वापस प्राप्त किया गया था।

हाकी टीम

3925. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की इन्दिरा गांधी खेल प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर बी श्रेणी की टीमों ने ही हिस्सा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार हॉकी टीमों को इस खेल प्रतियोगिता में खेलने के लिए आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) 27 फरवरी से 5 मार्च, 1994 तक लखनऊ में हुई टूर्नामेंट में भारत के अतिरिक्त जापान, कोरिया, कीनिया, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र की टीमों ने भाग लिया था। इसमें से अधिकांश टीमें एशियाई खेल 1994 में खेलेंगी।

(ख) 1995 के प्रारंभ में होने वाले अगले टूर्नामैंट में भी यूरोप की शीर्ष टीमों को आमंत्रित करने के लिए भारतीय हाकी संघ द्वारा पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

केन्द्रीय विद्यालयों का पुनरीक्षण

3926. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों की प्रशासनिक प्रणाली, शैक्षिक पहलुओं, पाठ्यक्रम आदि के अध्ययन के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने कोई सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी मिलों को बेचना

3927. **श्री गुरूदास कामत** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में चीनी मिलों को बेचने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

इन्दौर रेल गोदाम

[हिन्दी]

3928. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर के रेल गोदामों में शेडों की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में व्यापारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंदौर में ब० ला०/मी० ला० माल गोदाम की व्यवस्था यातायात के वर्तमान स्तर को संभालने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

ए०बी०बी० लोकोमोटिव

[अनुवाद]

3929. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० बी० बी० को दिए गए ठेके के कारण आगामी वर्षों में नए रेल इंजनों का निर्यात प्रभावित होगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आकलनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों ने रेल इंजनों के रख-रखाव तथा इस उद्देश्य हेतु कल-पुर्जे बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निकट भविष्य में रेल इंजनों के निर्यातक के रूप में उभरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुछ कंपनियों ने केवल पुर्जों और एसेम्बलियों के निर्माण एवं सप्लाई के लिए प्रस्ताव किया है। प्रौद्योगिकी चुनिंदा कंपनियों को हस्तांतरित की जाएगी ताकि नयी पीढ़ी के रेल इंजनों के लिए एसेम्बलियों और पुर्जों का निर्माण कर सकें।

(ङ) निकट भविष्य में निर्यात करने का विचार नहीं है क्योंकि तैयार किए गए रेल इंजन केवल भारतीय रेलों की आवश्यकता ही पूरी करेंगे।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से बिजली की खरीद

3930. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का विचार अपने उपभोग के लिए राज्य बिजली बोर्डों से बिजली की खरीद करने के बजाय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से इसकी खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि ऐसा करने से भारतीय रेलवे और यात्रा करने वाले लोगों को लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से खरीदी जाने वाली बिजली में बिजली चालित इंजनों, रेलवे स्टेशनों और रेलवे कार्यालयों तथा कालोनियों में खपत की जाने वाली बिजली शामिल होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले दस वर्षों के दौरान

राज्य बिजली बोर्डों ने उत्पादन तथा वितरण की लागत में वृद्धि की तुलना में टैरिफ में अधिक वृद्धि की है। इसके कारण विद्युतीकरण योजनाओं की अर्थक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय रेलों के विद्युतीकरण को आर्थिक दृष्टि से अर्थक्षम बनाने के लिए, सेट्रलज जनरेटिंग स्टेशनों से बिजली के अनावांटित केन्द्रीय हिस्से (15%) में से, केन्द्रीय सेक्टर की सस्ती बिजली लेने के विकल्प पर विचार किया गया था और उसे अनुमोदित किया गया था।

ऊर्जा मंत्रालय ने अब सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों से रेलों को बिजली की सीधी बिक्री की अनुमति दे दी है।

(ग) और (घ) राज्य बिजली बोर्डों की तुलना में केन्द्रीय जनरेटिंग एजेन्सियों की टैरिफ कम होगी इसलिए रेलों के बिजली बिलों में पर्याप्त बचत होगी।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम से बिजली की जो सीधी सप्लाई प्राप्त की जाएगी। उसका उपयोग बिजली रेल इंजनों और रेलवे स्टेशनों पर अन्य परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) को घाटे की प्रतिपूर्ति किया जाना

3931. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एन०डी०डी०बी द्वारा खाद्य तेलों/तिलहनों के संबंध में उसकी बाजार हस्तक्षेप प्रक्रिया के दौरान हुए समस्त घाटे की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि संबंधी संसदीय समिति ने भी इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समस्त घाटे की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) शेष घाटे की शीघ्र अदायगी करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क), (ख), (घ), (ङ), (च) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान तिलहनों/खाद्य तेलों में मण्डी हस्तक्षेप संकार्यों के अंतर्गत हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 242.82 करोड़ रुपए के दावे में से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को मार्च, 1992 में 10.56 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई थी। अधिकार प्राप्त तिलहन नीति समिति ने मामले की विस्तृत जांच करने के बाद शेष रकम की प्रतिपूर्ति करने की सिफारिश की है और वह विचाराधीन है।

(ग) कृषि समिति ने अपने 10वें प्रतिवेदन (1993-94) में विशेषतौर पर सिफारिश की है कि मण्डी हस्तक्षेप संकार्यों में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को हानि की प्रतिपूर्ति करके राष्ट्रीय डेरी विकास

बोर्ड के माध्यम से खाद्य तेलों में सरकार के मण्डी हस्तक्षेप संकार्य बिना और विलम्ब के आरंभ किए जाने चाहिए।

डीजल जेनेरेटिंग सेटों पर प्रतिबंध

3933. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ डीजल जेनेरेटिंग सेटों के प्रयोग पर पर्यावरण संबंधी कारणों से प्रतिबंध लगा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगों के लिए बिजली की भारी कमी हो गई है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दून घाटी में 50 मेगावाट बिजली की इस कमी को पूरा करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार दून घाटी में डीजल जेनेरेटिंग सेंटों के प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) औद्योगिक प्रयोजन के लिए डीजल जनरेटिंग सेटों का उपयोग दून घाटी और ताजमहल के आस-पास आगरा-मथुरा क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय महत्व की दृष्टि से निषेध किया गया है।

(ख) जी, नहीं। मौजूदा आधारभूत ढांचा सुविधाओं पर अतिरिक्त भारत और अनियोजित औद्योगिक विकास के कारण कई स्थानों पर बिजली की कमी होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पर्यावरणीय कारणों से वर्तमान नीति में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे के स्टॉफ क्वाटर

3934. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सहित दक्षिण-मध्य रेलवे में गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के श्रेणी-वार कितने स्टॉफ क्वाटरों का निर्माण किया गया है;

(ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितने स्टॉफ क्वाटरों का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) इन क्वाटरों के निर्माण पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) टाइम-I – 319

टाइम-II – 121

टाइम-III – 23

टाइम-IV – 1

(ख) और (ग) 1994-95 में दक्षिण मध्य रेलवे पर क्वाटरों के निर्माण के लिए 53.90 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इन क्वाटरों में से 24 अदद आंध्र प्रदेश में होंगे। 1995-96 में भी उपयुक्त निर्माण कार्य शुरू किए जायेंगे और समुचित आबंटन किए जायेंगे जो उस वर्ष में धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

डानकुनी पर माल भाड़ा टर्मिनल

3935. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डानकूनी में प्रस्तावित माल भाड़ा टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण कार्य का चरण-I 6.00 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है। 1993-94 के अंत तक 1.00 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तथा 1994-95 में 87 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) कार्य को 1996-97 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आसनसोल डिवीजन में यात्री सुविधाएं

3936. **श्री हाराधन राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन के अन्तर्गत कई स्टेशनों पर पेयजल की सुविधा तथा प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध नहीं करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) आसनसोल मंडल के सभी स्टेशनों पर नलें, हैंड पम्पों अथवा खुले कुओं के जरिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। स्टेशन पर बिजली लगाने के लिए निर्धारित मानदण्ड इस मंडल के 75 स्टेशनों में से केवल 55 स्टेशन ही पूरे होते हैं। 51 स्टेशनों पर पहले ही बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है और 3 स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था का कार्य शुरू किया गया है। शेष एक स्टेशन पर 1994-95 के दौरान बिजली की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

उमरोली में नया स्टेशन

3937. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर पालघाट तथा विस्तार स्टेशनों के बीच उमरोली में एक नया स्टेशन बनाए जाने की मांग बहुत समय से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो नये स्टेशन का निर्माण कब तक किया जायेगा और उसे कब से चालू किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) उमरोली में हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, लेकिन यह परिचालनिक और वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

चीनी विकास निधि के लिए मानदंड

3938. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को ऋण देने की क्या शर्तें हैं;

(ख) चीनी विकास निधि के गठन से 31 मार्च, 1994 तक इसके द्वारा कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ग) इससे राज्य-वार कितनी चीनी मिलों को लाभ पहुंचा है;

(घ) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार कितने ऋण की वसूली की गई और चीनी मिलों पर कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ङ) 31 मार्च, 1994 को कितनी धनराशि अतिदेय थी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) किसी चीनी फैक्ट्री या उसके किसी यूनिट का पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण करने अथवा उस क्षेत्र में, जहां कोई भी चीनी फैक्ट्री स्थित है, गन्ने का विकास करने के लिए किसी योजना को शुरू करने के लिए चीनी विकास निधि से ऋण दिए जाते हैं। इन ऋणों पर 9% प्रति वर्ष की रियायती दर पर साधारण ब्याज होता है। ऋण वापस करने में चूक होने के मामले में, चूक की देय राशि पर 2 $\frac{1}{2}$% प्रति वर्ष की दर पर अतिरिक्त ब्याज भी देय होता है। आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण के मामले में, ऋण और उस पर ब्याज की वापसी संस्थागत ऋण को वापस करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के बाद अथवा चीनी विकास निधि से ऋण दे दिए जाने की तारीख से 8 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, शुरू होती है, और देय धनराशि अधिकतम 5 वार्षिक किस्तों में वसूल की जानी होती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आधुनिकीरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण सामान्यतया उस चीनी प्रतिष्ठान को दिया जाता है जो अपने संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा उसकी संगत योजना के अधीन सहायता के लिए अनुमोदित होता है।

जहां तक गन्ने के विकास हेतु ऋण का संबंध है, ऋण दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष की ऋण स्थगन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऋण की वापसी शुरू होती है और ऋण बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करना होता है और ये किस्ते संख्या में चार से अधिक नहीं होती हैं। तथापि, ऋण पर ब्याज वार्षिक तौर पर अदा करना होता है।

(ख) चीनी विकास निधि की स्थापना के समय से आधुनिकीरण/पुनर्स्थापन करने और गन्ने का विकास करने के लिए मंजूर किए गए और वितरित किए गए ऋण की राशि निम्नानुसार है :

	ऋण की राशि	
	मंजूर की गई	वितरित की गई
	(करोड़ रुपये में)	
आधुनिकीकरण	434.85	366.99
गन्ने का विकास	422.49	253.07
	857.34	620.06

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, चीनी मिलों की ओर कुल 82.74 करोड़ रुपये की राशि देय हो गई थी जिसमें से 46.95 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गए हैं और 35.79 करोड़ रुपये की राशि शेष है।

विवरण

31-3-1994 की स्थिति के अनुसार, जिन चीनी उपक्रमों को चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए हैं, उनकी राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	उन चीनी उपक्रमों की संख्या जिन्हें चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए हैं	
		गन्ना विकास	आधुनिकीकरण/ पुरर्स्थापन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31	9
2.	असम	2	–
3.	बिहार	14	8
4.	गुजरात	8	5
5.	गोआ	1	–

1	2	3	4
6.	हरियाणा	14	–
7.	कर्नाटक	21	4
8.	मध्य प्रदेश	8	4
9.	महाराष्ट्र	99	37
10.	उड़ीसा	1	1
11.	पांडिचेरी	1	–
12.	पंजाब	17	5
13.	राजस्थान	1	–
14.	तमिलनाडु	27	9
15.	उत्तर प्रदेश	81	55
16.	पश्चिम बंगाल	1	–
	जोड़	327	137

हावड़ा और बर्द्धमान के बीच अतिरिक्त लाइन

3939. **श्री पूर्ण चन्द्र मल्लिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हावड़ा और बर्द्धमान के बीच दोनों तरफ मुख्य लाइन तथा कार्ड लाइन पर अतिरिक्त लाइन क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी.हां।

(ख) 23.89 करोड़ रुपए की लागत से खंडीय क्षमता बढ़ाने और स्वचल सिगनल प्रणाली की व्यवस्था करने तथा 22.57 करोड़ रुपए की लागत से बर्द्धमान यार्ड के पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। इन दोनों कार्यों को 1994-95 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

गन्ना उत्पादकों को समर्थन मूल्य

3940. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में कोआपरेटिव फैक्टरीज केन ग्रोवर्स एसोसियेशन ने गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार गन्ना उत्पादकों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर सहमत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए विभिन्न स्थानों के समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक वर्ष गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा करने से पूर्व सरकार इस संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखती है और राज्य सरकारों/उत्पादकों की एसोसिएशनों और चीनी मिलों की एसोसिएशनों के विचार भी आमंत्रित करती है। वर्तमान मौसम, 1993-94 के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 32.50 रु० प्रति क्विंटल की पेशगी घोषणा की गई थी जिसे बढ़ाकर 34.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। 1994-95 मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 37.00 रुपये प्रति क्विंटल की पेशगी घोषणा की गई है।

कोको उत्पादन

3941. **श्री रामचन्द्रन वीरप्पा :**

श्री पी०सी० थामस :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कितने क्षेत्र में कोको की खेती होती है;

(ख) कोको की प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार क्या है;

(ग) 1993-94 के दौरान राज्य-वार, कोको का कितना उत्पादन हुआ;

(घ) कोको की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाए जायेंगे; और

(ङ) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोको का वर्तमान मूल्य क्या-क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) कोको के क्षेत्र, उत्पादन और प्रति हेक्टेयर औसत उपज का राज्यवार अनुमान मोटे तौर पर इस प्रकार है :

राज्य	क्षेत्र (हे०)	उत्पादन (टन)	उत्पादकता (कि० ग्रा०/हेक्टेयर)
केरल	9956	5351	540
कर्नाटक	4150	1700	400
अन्य	50	24	480

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान कोको के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 3 करोड़ रुपये के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना चलायी जा रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :

(1) उच्च उत्पादक क्लीनों, खाद देने तथा पादप संरक्षण के वैज्ञानिक उपायों को अपनाने के लिये किसानों के खेतों में ही प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना।

(2) सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(3) क्लोनल बीज बागानों की स्थापना तथा उच्च उत्पादक कोको के पौधों का उत्पादन एवं उनका संवितरण।

(4) अनुत्पादक कोको बागानों को नया रूप देना।

(5) कोको की फलियों के विपणन एवं संसाधन की व्यवस्था करने के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(6) प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन करके प्रौद्योगिकी का अंतरण करना।

(ङ) सूखी कोको फलियों का वर्तमान घरेलू मूल्य लगभग 29,000 रुपये प्रति टन है जबकि लन्दन और न्यूयार्क के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसका मूल्य क्रमशः 42,000 रुपये और 38,000 रुपये है।

श्रमजीवी एक्सप्रेस

[हिन्दी]

3942. **श्री ललित उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 से 15 फरवरी, 1994 की अवधि के दौरान, पटना से नई दिल्ली और वापस चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस के देर से प्रस्थान करने के कारण कब-कब समय परिवर्तन किया गया;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान इस गाड़ी की प्रचालन समय-सारणी पर ध्यान नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) नई दिल्ली से 147 दिन और पटना से 253 दिन।

(ख) और (ग) जी नहीं, तथापि दुर्घटनाओं, कुहासे/खराब मौसम, आंदालनों/बंद, खतरे की जंजीर खींचने/शरारती गतिविधियों, उपकरणों की खराबी आदि जैसी जैसे विभिन्न कारणों से 2401/2402 श्रमजीवी एक्सप्रेस का समयपालन संतोषजनक नहीं रहा है। श्रमजीवी एक्सप्रेस के

कार्य-निस्पादन में सुधार करने के लिए रेलों के नियंत्रण के भीतर सभी रूकौनियों का उन्मूलन करके कड़ी नजर और निगरानी रखने सहित सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

डेयरी क्षेत्र में चीन-भारत सहयोग

[अनुवाद]

3943. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीन के सहयोग से डेयरी परियोजनाएं स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी डेरी परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

बाल कल्याण योजनाएं

[हिन्दी]

3944. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई अनियमितताएं पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) बाल कल्याण और विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के कार्य में लगी प्रमुख संस्थाओं/संगठनों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से कुछ संगठन एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा बरती गई अनियमितताओं में, संचालन संबंधी राशि का इस्तेमाल अनधिकृत प्रशासनिक व्यय तथा स्कीम के विस्तार के लिए करना शामिल है। इस प्रकार की अनधिकृत राशि कार्यान्वयन एजेंसियों से वसूल कर ली गई है।

यह बात भी सरकार के ध्यान में आई है कि शिशुगृह स्कीम का कार्यान्वयन कर रहे कुछ

स्वैच्छिक संगठनों ने सहायता-अनुदान की स्वीकृति से संबंधित शर्तों का पालन नहीं किया। ऐसे मामलों में संगठनों को अनुदान रोक दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश		स्वैच्छिक संगठनों के नाम
1	2		3
1.	आंध्र प्रदेश	(1)	रायल सीमा समिति 9-ओल्ड हजूर आफिस बिल्डिंग तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
		(2)	सैन्ट मैरी प्राइमरी एजूकेशन सोसायटी, नालगौण्डा (आंध्र प्रदेश)
		(3)	श्री वेंकटेश्वर महिला मण्डली, 6/8/1126, के० टी० रोड़, नंदी सर्किल के पास, तिरूपति, जिला चितूर (आंध्र प्रदेश)
		(4)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, मानकपुर, डाकघर-मानकपुर, जिला-आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)
		(5)	आ० प्र० स्टेट काऊंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर शिशु निकेतन, विवेकानंद नगर, जिला-सुख नगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।
2.	अरुणाचल प्रदेश	(1)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
		(2)	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ।
3.	असम	(1)	असम चाह मजदूर मल्टीपरपज सोशल एजूकेशन एसोसिएशन, रंगजन टी० ई० असम, टीटाबार (असम)।
4.	बिहार	(1)	प्राकृतिक आरोग्याश्राम, राजगीर, जिला नालन्दा (बिहार)।
		(2)	राजेन्द्र शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान, हलीमपुर, डूमरी (बिहार)।
5.	दिल्ली	(1)	वोकेशनल प्रोफेशनल एजूकेशनल सोसाइटी, जे-30, साऊथ एक्सटैंशन पार्ट-1, नई दिल्ली

1	2	3
		(2) होम इकनोमिक्स एजूकेशनल सोसाइटी, जे० ब्लाक, साऊथ एक्सटैंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली
		x(3) भारतीय बाल कल्याण परिषद, 4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
		(4) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अन्सारी नगर, नई दिल्ली
		x(5) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा० अम्बेडकर रोड, नई दिल्ली
		x(6) हरिजन सेवक संघ, क्विंवे, दिल्ली
		x(7) जिज्ञांसु ट्राइवल रिसर्च सैंटर, एक्स-17ए, हौजखास मार्किट, नई दिल्ली

ये संगठन राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं और बाल कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एक से अधिक राज्यों मे कर रहे हैं।

6.	गोवा	(1)	गोवा स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड, पणजी, गोवा।
7.	गुजरात	(1)	गुजरात राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, अहमदाबाद
		(2)	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, अहमदाबाद (गुजरात)
		(3)	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट
		(4)	भारतीय बाल कल्याण परिषद (गुजरात)
		(5)	हरिजन सेवक संघ।
8.	हरियाणा	(1)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, आश्रम, यमनानगर, जिला-अम्बाला
		(2)	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, बाल भवन, सेक्टर-23, चण्डीगढ़।
9	हिमाचल प्रदेश	(1)	हरिजन सेवक संघ

1	2		3
		(2)	भारतीय बाल कल्याण परिषद्
		(3)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।
10.	जम्मू और कश्मीर	(1)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, मनकोट, डाकघर-मेनचर, जिला-पुंज
		(2)	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट
		(3)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।
11.	कर्नाटक	(1)	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, डाकघर- रामनगर, तहसील और जिला-धारवाड़ (कर्नाटक)
		(2)	कर्नाटक समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
		(3)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कर्नाटक)
		(4)	हरिजन सेवक संघ
		(5)	नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट ।
12.	केरल	(1)	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, मयलप्पुजा, डाकघर-कांझीकुजी, जिला-इडुकी (त्रिवेन्द्रम)
		(2)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केरल ।
13.	मध्य प्रदेश	(1)	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्याय, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
		(2)	असीम ज्योति संस्कृत शिक्षा परिषद, रश्मि बाल विहार, फूल बाग, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
		(3)	बाल निकेतन संघ, 62-पगनिस, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
		(4)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, डाकघर-चन्द्रपुर, (मध्य प्रदेश)
		(5)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
		(6)	भारतीय बाल कल्याण परिषद ।

1	2		3
14.	महाराष्ट्र	(1)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, अभयंकर भवन, डाकघर-तिलकपुरा, सुभाष रोड, नागपुर
		(2)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
		(3)	हरिजन सेवक संघ
		(4)	भारतीय बाल कल्याण परिषद
		(5)	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास।
15.	मणिपुर	(1)	भारतीय बाल कल्याण परिषद
		(2)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
16.	मेघालय	(1)	केन्द्रीय समाज कल्यण बोर्ड।
17.	मिजोरम	(1)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
18.	नागालैण्ड	(1)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
		(2)	भारतीय बाल कल्याण परिषद।
		(3)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ।
19.	उड़ीसा	(1)	ज्योति महिला समिति, बदगांव, केन्द्रपाड़ा जिला कटक, उड़ीसा।
		(2)	सीतामाता युवक संघ, गांव दुरूहा डाकघर कतिसाही, वाया कार्मदा, जिला बालासौर, उड़ीसा
		(3)	यूनाइटेड आर्टिस्टि एसोसिएशन, स्थान/डाकघर/जिला गंजम (उड़ीसा)
		(4)	झांशु ट्राइब्ल रिसर्च सैंटर
		(5)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ
		(6)	भारतीय बाल कल्याण परिषद।
20.	पंजाब	(1)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
		(2)	हरिजन सेवक संघ
		(3)	भारतीय बाल कल्याण परिषद।
21.	राजस्थान	(1)	बृज बाल निकेतन समिति, कमन, जिला-भरतपुर (राजस्थान)

1	2		3
		(2)	बेला स्कूल समिति, जाट-कुमारी का पास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर (राजस्थान)
		(3)	कम्यूनिटी सेनट्र्स डिपाटमेंट, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर (राजस्थान)
		(4)	ग्रामीण विकास संस्थान, मादु कलां, जिला-सवाईमाधोपुर (राजस्थान)
		(5)	जनजागृति शिक्षा समिति, गंगापुर सिटी, जिला-सवाईमाधोपुर (राजस्थान)
		(6)	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, एल-59, हिम्मतनगर, गोपालपुर मोड़, जयपुर (राजस्थान)
		(7)	नवजागृति विद्यालय संचालन समिति, गंगापुर सिटी, राजस्थान
		(8)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ
		(9)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
		(10)	हरिजन सेवक संघ।
22.	सिक्किम	–	—
23.	तमिलनाडु	(1)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, कमजापुरा, जिला-नीलगिरी, तमिलनाडु।
		(2)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
		(3)	भारतीय बाल कल्याण परिषद, मद्रास (तमिलनाडु)।
24.	त्रिपुरा	(1)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
		(2)	हरिजन सेवक संघ
		(3)	भारतीय बाल कल्याण परिषद
		(4)	त्रिपुरा राज्य बाल कल्याण परिषद।
25.	उत्तर प्रदेश	(1)	उत्तर प्रदेश भारत स्काऊट्स एंड गाइड्स, 16-ए० पी० सैन रोड़, लखनऊ (उ० प्र०)

1	2	3
		(2) औरिया ग्राम उद्योग संस्थान, (भीखमपुर) (औरिया), इटावा उत्तर प्रदेश
		(3) आशा सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सरमा चौराहा हरदोई (उ० प्र०)
		(4) अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान सेवा सदन, सेवापुरी, भीलजनपुर रोड, देवरिया (उ० प्र०)
		(5) अखिल भारतीय विद्या परिषद, राधा निवास, मथुरा रोड, वृन्दावन (उ० प्र०)
		(6) ग्राम विकास सेवा संस्थान, जगदीशपुर, जिला-सुलतानपुर, (उ० प्र०)
		(7) इंडियन काऊंसिल फॉर चाइल्ड एंड वीमैन रिलीफ, ई-1224, राजाजीपुरम, लखनऊ (उ० प्र०)
		(8) जन कल्याण शिक्षा समिति, गांव व डाक-भटाही खुर्द, वाया-फाजीनगर जिला-देवरिया (उ० प्र०)
		(9) न्यू पब्लिक स्कूल समिति 504/63, टैगोर मार्ग, (नजदीक – बांदी माता मन्दिर) डॉलीगंज, लखनऊ (उ० प्र०)
		(10) निशात शिक्षा समिति, नई बस्ती, हल्द्वानी (उ० प्र०)
		(11) समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, गांव बलिजावा (करावनही) डाक-नकाटहन मिश्रा, जिला-देवरिया (उ० प्र०)
		(12) श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान, मोहम्मदपुर माई बिसंती, बदायूं (उ० प्र०)
		(13) श्री पी० एल० मिश्रा शिक्षा प्रसार समिति, जमुनापुर, जिला-फरूखाबाद (उ० प्र०)

1	2	3
		(14) सैंट मेरी इंटरकोंटिनैंटल चाल्ड एंड वीमेन वेलफेयर ओर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया, सी-228, तालकटोरा आवास कॉलोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ (उ० प्र०)
		(15) शहीद मैमोरियल सोसाइटी, ई-1698, राजाजीपुरम, लखनऊ
		(16) सोशल एंड इकोनॉमिक डिवेल्पमैंट इंस्टीट्यूशन, गौरव-2176, इन्दिरा नगर, लखनऊ (उ० प्र०)
		(17) श्री सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति, सिंह नगर, डाक-झांसी, जिला-फर्रूखाबाद (उ० प्र०)
		(18) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
		(19) भारतीय बाल कल्याण परिषद
		(20) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ
		(21) हरिजन सेवक संघ।
26.	पश्चिम बंगाल	(1) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, 24-परगना (पश्चिम बंगाल)
		(2) डिस्ट्रिक्ट काऊंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, डाकखाना-नंदकुमार, जिला-मिदनापुर (पश्चिम बंगाल,
		(3) हल्दिया समाज कल्याण परिषद, डाकखाना-अनन्तपुर, वाया-सुताहाटा, जिला-मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)
		(4) झारग्राम महाकुम जनशिक्षा प्रसार समिति, गांव-रघुनाथपुर, डाकखाना-झारग्राम, जिला-मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)
		(5) नंदकुमार और जगन्नाथ विद्या सागर क्लब, डाकखाना-पूरब श्रीकृष्णपुर (हल्दिया), जिला-मिदनापुर (प० बंगाल)

1	2		3
		(6)	प्रबुद्ध भारती शिशुतीरथ, प्रबुद्ध भारती भवन, खिलन्दा, पिंगला, डाकखाना-कृष्णप्रिया, जिला-मिदनापुर (उ० प्र०)
		(7)	रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद, डाकखाना-नरेन्द्रपुर, जिला-साऊथ 24 परगना (पश्चिम बंगाल)
		(8)	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट।
27.	अंडमान और निकोबार	(1)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
28.	चण्डीगढ़	(1)	भारतीय बाल कल्याण परिषद
		(2)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
29.	दादर और नगर हवेली	(1)	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ।
30.	दमन और दिव		बाल कल्याण का कोई संगठन नहीं।
31.	लक्षद्वीप	(1)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
32.	पांडिचेरी	(1)	पांडिचेरी बाल कल्याण परिषद, गिंगीसलाई (पांडिचेरी)
		(2)	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।

टिकटों की बिक्री

3945. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण खिड़की के बाहर रेल टिकटों की अधिक दामों पर बिक्री किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या देश के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों से भी इसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) रेलों को इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है कि असामाजिक तत्वों/दलालों द्वारा अधिक पैसे लेकर आरक्षित टिकटें बेची जाती हैं।

(घ) दलालों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए, आरक्षण कार्यालयों और प्लेटफार्मों पर छापे मारे गये थे। इन छापों के फलस्वरूप, वर्ष 1993 के दौरान 2197 दलाल पकड़े गए थे और उन

पर मुकदमा चलाया गया था। गाड़ियों पर भी छापे मारे गए थे जिनके परिणामस्वरूप उसी वर्ष हस्तांतरित टिकटों पर यात्रा करते हुए 7219 यात्री पकड़ गए थे।

बूंदी स्टेशन पर रेलगाड़ी को रोकना

3946. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेल के बूंदी स्टेशन पर दक्षिण एक्सप्रैस रेलगाड़ी को रोकने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वहां पर रेलगाड़ी कब से रुकने लगेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की कई परन्तु वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान

[अनुवाद]

3947. **डा० के०वी०आर० चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-वार अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में कुल कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : इस समय देश में अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में निर्धारित कुल क्षेत्र 1,42,923,77 वर्ग कि० मी० है। राज्य वार क्षेत्र नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	राज्य वर्ग	कि० मी० में क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान	वर्ग कि० मी० में क्षेत्र अभयारण्य
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	352.62	10604.98
२.	अरुणाचल प्रदेश	2307.82	2363.25
3.	असम	820.00	1173.35
4.	बिहार	548.64	4519.48
5.	गोआ	107.00	354.78
6.	गुजरात	479.68	16584.58

1	2	3	4
7.	हरियाणा	1.47	1174.99
8.	हिमाचल प्रदेश	1495.00	2518.50
9.	जम्मू और कश्मीर	4010.07	5343.67
10.	कर्नाटक	2472.18	4172.75
11.	केरल	536.51	2063.16
12.	मध्य प्रदेश	6475.09	15145.25
13.	महाराष्ट्र	956.45	14331.13
14.	मणिपुर	81.30	184.80
15.	मेघालय	288.01	29.20
16.	मिजोरम		400.00
17.	नागालैण्ड	—	222.36
18.	उड़ीसा	1212 70	16120.80
19.	पंजाब	–	260.32
20.	राजस्थान	3856.53	8937.90
21.	सिक्किम	850.00	91.44
22.	तमिलनाडु	435.84	3110.24
23.	त्रिपुरा	–	587.21
24.	उत्तर प्रदेश	5178.78	7603.42
25.	पश्चिम बंगाल	1495.59	988.04
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	315.61	460.38
27.	चण्डीगढ़	–	25.42
28.	दमन और दीव	–	2.18
29.	दिल्ली	–	13.20
30.	दादरा और नगर हवेली	—	—
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पांडिचेरी	—	–
		34276.89	108646.88

विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा

3948. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा में सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संबंधी शिक्षा समिति के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 2 मार्च, 1994 को हुई बैठक में के० पी० सिंह देव समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें मान लिया। समिति ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में आरम्भ करने की सिफारिश की है। इसने शारीरिक शिक्षा के लिए हर रोज कम से कम 40 मिनट देने की सिफारिश की है। सभी अध्यापकों को सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षा पाठ्यक्रमों के जरिए शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों और बी० एड० कालेजों के माध्यम से संचालित किए जाने चाहिए।

विश्व बैंक द्वारा ऋण

3949. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को नौ चक्रवात प्रवण समुद्र तटीय जिलों में विभिन्न बाढ़ नियंत्रण और आधारभूत परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया है;

(ख) क्या उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस राशि का उपयोग किन-किन परियोजनाओं पर किया गया है;

(घ) क्या विश्व बैंक बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को पूरा करने हेतु और ऋण देने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश चक्रवात आपात-कालीन पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 269 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है। आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जनवरी 1994 तक 260 मिलियन अमेरिकी डालर खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) इस ऋण का उपयोग केवल आंध्र प्रदेश चक्रवात आपातकालीन पुनर्निर्माण परियोजना के लिए किया गया है जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :

1. सिंचाई एवं जल निकासी व्यवस्था
2. सड़क पुल और चक्रवात कालीन शरण स्थल
3. ग्रामीण जल आपूर्ति योजनायें
4. नगर पालिकीय सेवायें
5. बिजली
6. कृषि जिसमें बागवानी मात्स्यिकी तथा पत्तन भी शामिल हैं।
7. तकनीकी सहायता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा

[हिन्दी]

3050. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) देश के सभी क्षेत्रों के लिए लागू होने वाली शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की सामान्य योजनाओं के अलावा आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल की एक योजना कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1990-91 से 1992-93 के दौरान 94 आश्रम स्कूलों का निर्माण किया गया। कम साक्षरता वाले पता लगाए गए क्षेत्रों में आदिवासी

महिलाओं के विकास के लिए शैक्षिक परिसर स्थापित करने की भी एक नई योजना 1993-94 से कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 13 गैर सरकारी संगठनों को 0.81 करोड़ रु० की राशि जारी की गई है।

कपास की खेती

[अनुवाद]

3951. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने और क्षेत्र में खेती किए जाने की संभावना है; और

(ग) और अधिक क्षेत्र में कपास की खेती करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को सरकार द्वारा दिय गये प्रोत्साहनों और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1993-94 (सम्भावित) के दौरान कपास की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र निम्नवत है :

	(लाख हेक्टेयर)
आन्ध्र प्रदेश	6.151
हरियाणा	5.54
मध्य प्रदेश	4.76
पंजाब	6.50
तमिलनाडु	2.50
गुजरात	11.00
कर्नाटक	6.04
महाराष्ट्र	24.79
राजस्थान	5.08
अन्य	0.42
अखिल भारत	73.14

(ख) और (ग) विभिन्न रज्यों में कपास के क्षेत्र में वृद्धि की क्षमता सीमित होने की वजह से इसकी उत्पादकता में सुधार करके कपास उत्पादन में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार 1993-94 के दौरान प्रमुख उत्पादक राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत प्रजनक बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों तथा पौध संरक्षण रसायनों के वितरण, अम्ल द्वारा छिलका रहित किये गये बीजों के

उपयोग के प्रवर्धन के लिये प्रदर्शन, फैरीमोन, ट्रैपस और एन० पी० वी०, छिड़काव यंत्र लगे हुये ट्रैक्टरों पौध रक्षण उपकरणों, छिड़काव यंत्रों की आपूर्ति, हवाई छिड़काव, कृषकों को प्रशिक्षण समेकित कीट प्रबन्ध प्रदर्शन, आकस्मिकताओं आदि के लिये प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

पिछले दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के दौरान गहन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को नियुक्त की कई धराशि (75 प्रतिशत केन्द्रीय शेयर) निम्नलिखित थी–

(लाख रुपये में)

राज्य	1992-93	1993-94
आन्ध्र प्रदेश	196.55	एन० आर०
गुजरात	102.56	45.65
हरियाणा	102.39	58.71
कर्नाटक	45.35	24.86
मध्य प्रदेश	55.72	20.33
महाराष्ट्र	174.47	71.58
उड़ीसा	2.95	3.48
पंजाब	109.80	151.15
राजस्थान	90.53	88.35
तमिलनाडु	73.65	200.06
उत्तर प्रदेश	7.71	1.73
योग	961.68	665.90

एन० आर० = निर्मुक्त नहीं।

बाढ़ राहत

3952. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करने और पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई अनुरोध भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई है और वास्तव में अब तक कितनी धनराशि दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) केरल सरकार से बाढ़ की स्थिति में पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए 1993-94 के दौरान कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार और उपभोक्ता सहकारी समितियां

3953. **श्री सोमजी भाई डामोर :**

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान सुपर बाजार और उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा पृथक-पृथक कुल कितनी बिक्री की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन्हें कितनी लाभ/हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने तुलनपत्र की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1993 में सुपर बाजार में पंजीकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने सप्लायरों को पंजीकृत किया गया; और

(च) सप्लायरों के पंजीकरण हेतु क्या मानदंड रखे गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सहकारिता एक राज्य का विषय है और साथ ही राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या हजारों में है और इसलिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा की गई बिक्री/अर्जित लाभ का ब्यौरा प्रस्तुत करने से प्रत्याशित परिणाम, संबंधित ब्यौरा तैयार करने में लगने वाले श्रम के अनुरूप नहीं होंगे/सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, दिल्ली ने 1992-93 के दौरान 103.03 करोड़ रुपए की बिक्री की थी और 10.83 लाख रुपए का लाभ कमाया था। वर्ष 1993-94 के दौरान जनवरी, 1994 तक सुपर बाजार ने 91.27 करोड़ रुपए की कुल बिक्री की है और लाभ/हानि का विवरण अभी तैयार नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के तुलन-पत्र की जांच की गई है और 1993-94 की अवधि के तुलन-पत्र को सुपर बाजार द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) सुपर बाजार की कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, दिल्ली ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 1993-94 के दौरान अपने पास 128 सप्लायरों को पंजीकृत किया है।

(च) सप्लायरों को सुपर बाजार के पास पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं :

(1) वह विनिर्माता/एकमात्र बिक्री अभिकर्ता/वितरक/डीलर/स्टाकिस्ट हो।

(2) बिक्री-कर विभाग के पास पंजीकृत हों।

(3) उसे वचन देना होता है कि वह सुपर बाजार से ली जाने वाली दरों से कम दर पर किसी भी पार्टी का कोई उत्पाद नहीं बेचेगा।

(4) भंडार का सहयोजित सदस्य बनने का इच्छुक हो।

(5) पेश किया जाना वाला उत्पाद बाजार में लोकप्रिय हो।

स्कूलों को मान्यता

3954. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। यह केवल ऐसे स्कूलों को सम्बद्धन प्रदान करता है जिन्हें सम्बद्ध राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के शिक्षा निदेशालय से मान्यता और अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिला हो और जो बोर्ड के अन्य सम्बद्धन उपनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों की मांगें

3955. **डा० सुधीर राय** :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री चेतन पी०एस० चौहान :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री मुही राम सैकिया :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन एसोसिएशन की संयुक्त कार्य समिति ने निर्णय लिया है कि यदि मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो 21 कार्यकर्ता आत्मदाह करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई बातचीत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) आत्म-दाह का कोई मामला नहीं था।

(ग) और (घ) उपाध्यक्ष और आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संयुक्त कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर विभिन्न कर्मचारी संघों, एवं युक्त कार्य समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की। संघों के प्रतिनिधियों को इन मांगों पर संगठन द्वारा की गई कार्रवाई/स्थिति और नीति के बारे में सूचित किया गया।

ड्रिप सिंचाई

[हिन्दी]

3956. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय चार हेक्टेयर कृषि भूमि की काश्त वाले किसानों को ही ड्रिप सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसा अनुदान उन किसानों को भी देने का है जिनके पास हेक्टेयर से भी अधिक कृषि भूमि है; और

(ग) यह लाभ ऐसे किसानों को कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुवाहाटी-लम्डिंग लाइन

[अनुवाद]

3957. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्रियों की सुविधा हेतु और मालगाड़ियों को सीधे बराक घाटी और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और उपरि असम तक चलाने के लिए गुवाहाटी से लम्बिडंग तक मीटर लाइन के बरकरार रखने के वास्ते ज्ञान प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उत्तर सीमांत रेलवे में बड़ी लाइन के साथ-साथ मीटर लाइन अभी चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर भारत के लोगों के हित में गुवाहाटी से लम्डिंग तक बड़ी लाइन के साथ-साथ मीटर लाइन को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलें

[हिन्दी]

3958. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी चीनी मिलें बंद हुई हैं;

(ख) उनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) चालू मौसम 1993-94 के दौरान दिनांक 15-4-94 तक 35 चीनी मिलों ने पेराई शुरू नहीं की थी। इनमें से 9 चीनी मिलें विभिन्न कारणों, जैसे वित्तीय समस्याएं, गन्ने का उपलब्ध न होना आदि के कारण पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी हैं। अन्य चीनी मिलें गन्ना उपलब्ध न होने के कारण बंद रहीं।

(ग) मौसम के दौरान पेराई शुरू करने की जिम्मेदारी चीनी मिल की होती है। तथापि, सरकार चीनी मिलों की अर्थक्षमता में सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अपनी चीनी नीति की घोषणा करती रही है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश संबंधी समिति

[अनुवाद]

3959. **श्री वी० श्रीनिवासन प्रसाद** :

श्री तारा सिंह :

श्री तारा चन्द खण्डेलवाल :

श्री सन्त कुमार मण्डल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन के लिए भारतीय मानक ब्यूरों को सलाह देने के लिए कोई समिति गठित की गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं और इसके कौन-कौन से सदस्य हैं;

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो बाजार में गुणवत्ता उत्पाद मुहैया कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाने पर विचार कर रहा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने 24-3-94 को हुई अपनी पिछली बैठक में, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघनों तथा साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा आई० एस० आई० चिह्न के दुरुपयोग से निपटने के लिए तौर-तरीकों के बारे में

ब्यूरो को सुझाव देने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय किया था। समिति का हाल ही में गठन किया गया है और समिति में संबंधित संगठनों से, जिन्हें समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है, नामांकन मंगाए जा रहे हैं। चूंकि समिति की पहली बैठक अभी होनी है, अतः समिति की कोई सिफारिशें इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने अनेक उत्पादों के लिए मानकों का विकास किया है। यह प्रमाणन चिह्न योजना भी चला रहा है, जिसके तहत मानकों के अनुरूप होने के बारे में वस्तुओं को प्रमाणित किया जाता है। इस योजना के प्रवर्तन में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसमें उपभोक्ता जागरूकता अभियान शामिल है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इश्तहारों की खरीद

2960. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्रीय विद्यालय के स्कूलो में प्रदर्शन हेतु "सहमत" से इश्तहारों/कैसेटों का कोई सेट खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो खरीदे गये इश्तहार किस प्रकार के हैं और केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उन पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या इन पोस्टरों/कैसेटों को खरीदने का निर्णय केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्वतंत्र रूप से लिया था अथवा सरकार के कहने पर;

(घ) क्या खर्च की जाने वाली धनराशि अन्ततः छात्रों से एकत्रित किये गये उस कोष से ली जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो छात्र कोष के धन का "सहमत" से प्रवर्द्धन हेतु खर्च किए जाने का क्या औचित्य है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। केवल पोस्टर प्राप्त किए गए थे।

(ख) ये पोस्टर धर्म निरपेक्ष मूल्यों को प्रोन्नत करने के स्वरूप के थे। इस पर व्यय की गई राशि रु० 11200 है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास इस उद्देश्य के लिए आवश्यक वित्तीय शक्तियां हैं।

(घ) और (ङ) यह व्यय नियमानुसार छात्र निधि से लिया जाता है और इसीलिए इस लेखे में निधि का कोई परिवर्तन नहीं है।

सुपर बाजार की शाखाएं

3961. **श्री एन०के० बालियान** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में स्थानवार सुपर बाजार की कितनी शाखाएं खोली गई; और

(ख) सुपर बाजार की नई शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं और इस पर कितना व्यय होता है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान सुपर बाजार के कुल 17 खुदरा बिक्री केन्द्र खोले गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) क्षेत्र विशेष की आवश्यकता और मांगों के आधार पर नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की संभाव्यता पर विचार किया जाता है। मुख्य मानदंड हैं :

(1) कम से कम 3 लाख रुपये प्रतिमाह की अनुमानित बिक्री।

(2) नाममात्र किराए/लाइसेंस शुल्क के आधार पर स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में स्थान की उपलब्धता।

एक खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने में होने वाले व्यय के विभिन्न घटक हैं। फिटिंग/जुड़नार, अपेक्षित सिविल और बिजली का कार्य, बीमा, प्रचार आदि। औसतन इन मदों पर 1.5-2 लाख रु० तक खर्च होते हैं।

विवरण

क्रम सं०	खोलने की तारीख		सुपर बाजार की शाखा का नाम और पता
1	2		3
1.	16-5-1992	सुपर बाजार	सुरजमल विहार शाखा सामुदायिक केन्द्र ब्लॉक-बी, सुरजमल विहार, दिल्ली।
2.	30-9-1992	"	जी० बी० पंत पोलीटेक्नीक कैम्पस फ्लैट नं०61, टाइप-I, ओखला, दिल्ली।
3.	17-10-1992	"	अलीपुर शाखा, खसरा नं० 837 शाखा अलीपुर, दिल्ली।
4.	16-12-1992	"	पालम गांव शाखा (आर० डी० सी० सी०) खसरा नं० 70, प्लाट नं० 13/5, दिल्ली।

1	2		3
5.	6-11-1992	"	वाटर वर्कस कालोनी, शॉप नं० 4, वजीराबाद, दिल्ली।
6.	20-11-1992	"	एन० सी० ई० आर० टी० (कैम्पस) औषध व टी० एल० टी० दुकान नं० 11, एन० सी० ई० आर० टी० सॉपिंग काम्पलैक्स, एन० सी० ई० आर० टी० कैम्पस श्री आरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली।
7.	18-1-1993	"	दीन दयाल उपाध्याय हौस्पिटल हरि नगर, दिल्ली।
8.	18-1-1993	"	–वही–
9.	1-2-1993	"	जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर, नई दिल्ली-25
10.	20-2-1993	"	एन० सी० ई० आर० टी०, दुकान नं० 12, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली।
11.	24-2-1993	"	झण्डेवालान काम्पलैक्स, दुकान नं० 4, झण्डेवालान काम्पलैक्स, वरुणालय नई दिल्ली।
12.	18-7-1993	"	नोएडा, दुकान नं० 4, 5, सैक्टर 15 ए नोएडा (उ० प्र०)
13.	28-9-1993	"	वरुण निकेतन पीतमपुरा, वाटर वर्कस कालोनी, नई दिल्ली।
14.	12-10-1993	"	पूर्वांचल शाखा, दुकान नं० 2, पूर्वांचल जे० एन० यू० काम्पलैक्स
15.	23-11-1993	"	नोएडा (औषध बिक्री केन्द्र) दुकान नं० 8, सैक्टर 15-ए, नोएडा (उ० प्र०)
16.	2-2-1994	"	आर० पी० ब्लॉक, पीतमपुरा, दुकान नं० 17, आर० पी० ब्लॉक पीतमपुरा, दिल्ली।
17.	16-12-1994	"	ईस्ट पटेल नगर, (औषध बिक्री केन्द्र) राजेन्द्र भवन, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।

शिक्षा पर व्यय

3962. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**
श्री चेतन पी०एस० चौहान :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री बलराज पासी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगभग तीन दशक पूर्व कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, जिसका बाद में अन्य आयोगों और विशेषज्ञों ने भी समर्थन किया था, शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद की छः प्रतिशत धनराशि खर्च करने हेतु निर्धारित अन्तिम समय सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों ने कितने रुपये का और सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत का शिक्षा बजट बनाया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा की कीमत पर अपने शिक्षा बजट का लगभग 25 प्रतिशत भाग उच्च शिक्षा पर खर्च करते हैं जिससे केवल कुछ प्रतिशत छात्र ही लाभान्वित होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्र और राज्यों का शिक्षा पर व्यय 1990-91 में 17,193.66 करोड़ रु०, वर्ष 1991-92 में 19009.29 करोड़ रु० (संशोधित प्राक्कलन) और वर्ष 1992-93 में 20,750.09 करोड़ रु० (बजट प्राक्कलन) था। वर्ष 1990-91 का व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3.7% था जबकि वर्ष 1965-66 में जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, यह व्यय 2.9% था। राष्ट्रीय संकल्प 6% के स्तर को प्राप्त करने का रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति संसाधनों की कुल उपलब्धता और अन्य क्षेत्रों के प्रतिस्पर्धा दावों से जुड़ी है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान सामान्य उच्च शिक्षा के लिए 2,631.98 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कुल शिक्षा बजट का 12.7% है।

राष्ट्रीय पद्धति को समग्र रूप से ध्यान में रखना अनिवार्य है। साथ ही शिक्षा के एक क्षेत्र पर व्यय अन्य क्षेत्रों की कीमत पर नहीं होता है। सरकार प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है परन्तु उच्च शिक्षा का अपना ही महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय पद्धति के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने को बन्द करना

3963. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
प्रो० के०वी० थामस :
डा० के०डी० जेस्वाणी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एस० सी० थ्रेटेन्स क्लोजर ऑफ रिफाइनरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने ताज महल के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे मथुरा तेल शोधक कारखाने से उसके संरक्षण हेतु केन्द्रीय सरकार के संवैधानिक दायित्व का उसे पुनः स्मरण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने स्मारक की पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार को आगरा मथुरा क्षेत्र में प्रदूषण समस्या के बारे में जानकारी है और वह इस क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की प्रगति की निरंतर मानीटरी कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जल भूतल परिवहन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्योग मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अनेक कार्यक्रम बनाए और कार्यान्वित किए गए हैं।

मथुरा तेल शोधक कारखाने से 1000 कि० ग्रा० प्रति घंटे के अधिकतम निर्धारित मानक की तुलना में लगभग 600 से 700 कि० ग्रा० प्रति घंटा की दर से सल्फर डाई आक्साइड का उत्सर्जन होता है। मथुरा तेल शोधक कारखाना ताजमहल से 40 कि० मी० दूर नीचे स्थित है। ताजमहल पर मथुरा तेल शोधक की सल्फर डाई आक्साइड का प्रभाव लगभग 1.0 माइक्रोग्राम/क्यू० मी० (आई० एम० डी० परिकलन के अनुसार) है। मथुरा तेल शोधक में प्रस्तावित हाइड्रो क्रैकर यूनिट लगाने से यह प्रभाव और कम हो जाएगा।

(घ) इस स्मारक की पर्यावरणीय प्रदूषण से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

1. ताजमहल के चारों ओर एक समलम्ब बनाया गया है। इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले नए उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।
2. आगरा में उद्योगों द्वारा फर्नेस ऑयल और डीजल जनरेटरों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। सर्दियों की रातों में ढलाई घरों को चालू रखने की अनुमति नहीं दी जाती है।
3. परिवेशी वायु में सल्फर डाई आक्साइड तथा नाइट्रोजन के आक्साइडों की मात्रा की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए जनवरी, 1991 से ताजमहल में एक निरन्तर चलने वाला सल्फर डाई आक्साइड निगरानी केन्द्र बनाया गया है।
4. मथुरा तेल शोधक कारखाना अपनी स्थापना के प्रारंभ में ही मथुरा और उसके आसपास के स्थानों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहा है।
5. आगरा में कोयले पर आधारित दो ताप-विद्युत संयंत्रों को 1981 में बन्द कर दिया गया था।

6. आगरा रेलवे स्टेशन मार्शेलिंग यार्ड को डीजलीकृत किया गया है।

7. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगरा में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित और संचालित किया गया है।

8. एक वायु पर्यावरण प्रबंध योजना बनाई गई है। इस योजना में अभिनिर्धारित प्रापकों, विशेषकर ताजमहल पर विभिन्न प्रदूषण स्रोतों के प्रभाव को कम से कम करना शामिल है।

9. उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने उपलब्ध सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण करके ताजमहल के चारों ओर एक हरित पट्टी बनाई है।

10. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ताजमहल के चारों ओर सल्फरडाइ आक्साइड, निलंबित धूलकणों और अन्य प्रदूषकों के साथ-साथ मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों सहित परिवेशी वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहा है।

11. उद्योगों को उनकी उत्पादन प्रणाली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रक्रम में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दहेज अपराध

3964. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की है कि दहेज संबंधी अपराधों को प्रशम्य अपराध घोषित कर दिया जाए और देश में युवतियों पर होने वाले दहेज संबंधी अपराधों को रोकने के लिए संबंधित उपाय और कानून लागू किए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासुवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किये जाने की सिफारिश की है, ताकि दहेज की प्रथा को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को अधिक कारगर बनाया जा सके। इन सिफारिशों की जांच और इन पर कार्रवाई की जा रही है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

[हिन्दी]

3965. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य खाद्यान्न सहायता पा रहे हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई और किस हद तक इसका उपयोग हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1993-94 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम ने असम, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को खाद्य सहायता दी है।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी गई और विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग की गई खाद्य सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1993-94 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी गई खाद्य सहायता (अप्रैल 1993- 1994 – मार्च, 1994)

(पिछले वर्ष के दौरान परियोजना में उपलब्ध स्टाक)

(मात्रा मी० टन में)

राज्य		जिंस				
		गेहूं/चावल	दाल	वनस्पति तेल	सोया फोर्टिफायड बलगर गेहूं/कार्नसोया ब्लैन्ड	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	400 x	50	850	871	2171
2.	बिहार	2,500	580	1150	–	4230
3.	गुजरात	–	20	–	–	20
4.	कर्नाटक	3,000	970	1363	–	5,333
5.	केरल	6,100 x	400	1588	4370 +576	13,034
6.	मध्य प्रदेश	28,515 +2,998 x	650	1663	2784	36610
7.	उड़ीसा	1,000	601	–	–	1,601

1	2	3	4	5	6	7
8.	राजस्थान	9,600	1602	1164	402	12768
9.	उत्तर प्रदेश	3,040	1502	1650	—	6,192
	कुल	47,655 + 9,498*	6375	9428	8427 + 576	81,959

*चावल

कार्नसोया ब्लैन्ड

अप्रैल, 1993-सितम्बर/दिसम्बर, 1993 तक विश्व खाद्य कार्यक्रम में प्रयुक्त खाद्य की मात्रा

(मात्रा मीटरी टन में)

राज्य	गेहूं/चावल	दलहन	वनस्पति तेल	सोर्या फार्टिफाइड बल्गार गेहूं कार्न सोया ब्लैन्ड	कुल
असम	74	5	200	1,400	1,679
बिहार	4,600	431	385		5,416
गुजरात	3,870	390	290		4,550
केरल	1,683	87	1,251	5,167 +3,886	12,074
मध्य प्रदेश	15,469	1,696	1,952	2 ,910	22,027
उड़ीसा	4,590	440	460		5,490
कर्नाटक	9,000	1,050	950		11,000
राजस्थान	6,287	620	775	1,963	9,645
उत्तर प्रदेश	5,431	540	755	2,827	9,553
कुल	51,004	5,259	7,018	14,267 + 3,886	81,43

+कार्नसोया ब्लैंड

पूरे वर्ष के लिए खाद्य सहायता के उपयोग की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे के कुली

3966. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने रेलवे कुलियों के पास स्थायी लाइसेंस है;

(ख) क्या सरकार उन्हें चिकित्सा, आवास और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन गरीब कुलियों के परिवार-जनों के हित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सुविधाओं में से कोई एक भी सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) लाइसेंस धारी कुलियों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है जिनके पास रेलों द्वारा जारी किए गए लाइसेंस हैं : आंध्र प्रदेश–2852, आसाम–974, बिहार–5426, दिल्ली–2779, गोवा–16, गुजरात–1646, हरियाणा–71, हिमाचल प्रदेश–128, जम्मू और कश्मीर–174, केरल–959, कर्नाटक–757, मध्य प्रदेश–2114, महाराष्ट्र–3622, नागालैंड–17, उड़ीसा–1008, पंजाब–1201, पांडिचेरी–2, राजस्थान–1163, तमिलनाडु–1756, त्रिपुरा–5, उत्तर प्रदेश–6713, पश्चिम बंगाल–5398, जोड़ 38,781 ।

(ख) से (ङ) लाइसेंस धारी कुली रेल कर्मचारी नहीं होते हैं। अतः उन्हें आवासीय भविष्य निधि आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टरों प्रबंधकों के प्रमाणन पर रेलवे अस्पतालों/औषधालयों में केवल स्वयं के लिए उनको बहिरंग/अंतरंग चिकित्सा सुविधा मुहैया की गयी है। इसके अतिरिक्त उनके लिए आरामगाह ट्रालियों/हथठेलों तथा वर्दियों की व्यवस्था की जाती है।

मंगलौर कोच

[हिन्दी]

3967. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बंगलौर शहर से मंगलौर कोच को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेलगाड़ी में मंगलौर कोच को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 15-4-93 से पहले बेंगलूरू और मंगलौर के बीच 6525/6526 बेंगलूरू-कन्याकुमारी एक्सप्रेस में तीन स्लिप कोच (दो शयनयान दर्जा और एक पहला एवं दूसरा दर्जा शयनयान) चलाये जाते थे। लेकिन 15-4-93 से कम लोकप्रिय होने के कारण एक दूसरा दर्जा शयनयान सवारी डिब्बा हटा लिया गया है।

अब मंगलौर और बेंगलूरू के बीच दो स्लिम कोच चलाये जा रहे हैं।

गुजरात में चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

3968. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**

श्री एन०जे० राठवा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम क्षमता वाली चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता पाने हेतु सरकार की ओर से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति दी गई है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय . राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 1993-94 के दौरान गुजरात में स्थित किसी चीनी फैक्ट्री से आधुनिकीरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस निधि की स्थापना के समय से, गुजरात में स्थित पांच चीनी मिलों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं। 15-4-1994 को स्थिति के अनुसार, आधुनिकीरण/पुनर्स्थापन के लिए गुजरात में स्थित किसी चीनी प्रतिष्ठान से ऋण के लिए कोई आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

जैव-विविधता संबंधी विधान

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : क्या **पर्यावरण और राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप आनुवंशिकी संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए और विधान बनाने की तैयारी कर रहा है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ सभी सम्बद्ध पक्षों के सुझाव मांगे गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विधान के फलस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जून, 1992 में ब्राजील के रियो-डि-जैनेरी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास पृथ्वी सम्मेलन में अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ जैविक विविधता संबंधी कन्वेंशन को भी अपनाया गया था।

जैविक विविधता कन्वेंशन पर 167 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत कन्वेंशन पर हस्ताक्षर सबसे पहले करने वाले देशों में से है। तत्पश्चात्, भारत ने 18-12-1994 को इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि कर दी है। यह कन्वेंशन 29-12-1993 से कानून लागू हो गया है।

भारत सरकार जैव-विविधता के बारे में एक व्यापक कानून बनाने के उपाय कर रही है।

कन्वेंशन के उपबंधों में शिनाख्त किए गए प्राथमिक घटक जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है, इस प्रकार है :

- सर्वेक्षण, अभिनिर्धारण, लक्षण वर्णन तथा निगरानी।
- संरक्षण उपाय।
- टिकाऊ उपयोग।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों सहित आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच।
- प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसका अन्तरण।
- जैव प्रौद्योगिकी और जैव सुरक्षा।
- जनता के हितों की रक्षा करना जिसमें परम्परागत समुदाय, स्थानीय जनता, किसान, अनुसंधानकर्ता एवं ट्रस्ट भी आते हैं।

(ख) इस कानून को तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक बैठकें की गई। इन बैठकों में विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, गैर-सरकारी संगठन तथा सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल थे। दिसम्बर, 1993 और जनवरी, 1994 में एक अन्तर मंत्रालयी ग्रुप की अनेक बैठकें आयोजित की गई थीं। पर्यावरण और वन मंत्री जी की अध्यक्षता में जनवरी, 1994 में नई दिल्ली में विख्यात गैर-सरकारी संगठनों के साथ चर्चाएं की गई थीं। संबंधित विभागों, राज्य सरकारों की एजेंसियों, विशेषज्ञों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ जनवरी, 1994 में लखनऊ और भोपाल में फरवरी, 1994 में भुवनेश्वर में तथा मार्च, 1994 में चंडीगढ़ एवं बंगलौर में क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श किया गया है।

(ग) प्रस्तावित कानून से अन्य बातों के साथ-साथ जैविक विविधित के संरक्षण, इसके घटकों के टिकाऊ उपयोग तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी के उपयुक्त अन्तरण सहित आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों की बराबर हिस्सेदारी में सहायता मिलेगी।

भोजूडीह रेलवे हाई स्कूल

3970. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों ने आद्रा मंडल के अन्तर्गत भोजूडीह रेलवे हाई स्कूल में 10+2 शिक्षा पद्धति शुरू करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस स्कूल में यह पद्धति कब से शुरू कर दी जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) भोजूडीह रेलवे हाई स्कूल में 10+2 कक्षाएं शुरू करने की मांग की दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

गाजियाबाद स्थित विद्युत लोकोशेड

[हिन्दी]

3971. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर रेलवे में गाजियाबाद स्थित विद्युत लोकोशेड के लिये 15 अप्रैल, 1991 को 80 रेल इंजनों की तस्वीरें 96,200 रुपये की लागत से खरीदी गयी थीं जबकि इनका बाजार भाव लगभग दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ग) इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) बिजली रेल इंजन शेड गाजियाबाद, उत्तर रेलवे द्वारा 99,200 रुपए की लागत पर सितंबर, 1991 में शिरोपरि उपस्करों सहित बिजली रेल इंजनों के विभिन्न किस्मों के 20" X 24" आकार में फ्रेम लगे तथा पश्त चढ़े 80 ब्लोअप रंगीन फ्रोटो-ग्राकों खरीदे गए थे।

(ग) से (ङ) उत्तर रेलवे द्वारा यह खरीद अनिवार्य समझी गई थी और इनकी आंकी गई लागत उचित है। खरीद की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। अतः, जांच के आदेश देने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

पैलेस ऑन व्हील्स

[अनुवाद]

3972. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के अन्य रेल मार्गों पर "पैलेस ऑन व्हील्स" जैसी रेल गाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितने राजस्व की प्राप्ति होगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) निम्नलिखित पर्यटन सर्किटों पर पर्यटक गाड़ी सेवाएं चलाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है :

बड़ी लाइन

(i) दिल्ली कैंट–जयपुर–जोधपुर–जैसलमेर–सवाईमाधोपुर-भरतपुर-आगरा-दिल्ली कैंट।

(ii) हावड़ा–गया–वाराणसी–गोरखपुर–भुवनेश्वर–पुरी–हवड़ा।

(iii) बम्बई–औरंगाबाद–नांदेड–सिकन्दराबाद–हैदराबाद–पुणे–बम्बई।

(iv) गोवा (मडगांव)–मंगलौर–मैसूर–हासपेट–बेंगलूरू–गोवा (मडगांव)

(v) दिल्ली–जयपुर–आगरा–ग्वालियर–झांसी–लखनऊ–वाराणसी–दिल्ली।

(vi) बेंगलूरू–मैसूर–मद्रास–कोडैकानल रोड–कन्याकुमारी–तिरुणन्नतपुरम–कोचीन मेटुपालैयम–बेंगलूरू।

मीटर लाइन

(vii) दिल्ली कैंट–जयपुर–उदयपुर–अहमदाबाद–वेरावल–पालीताणा–दिल्ली कैंट।

(vii) मद्रास एषम्बूर–पांडिचेरी–कौकाल/वेलानकिनी–तिरुचिरापल्ली–मदुरै–रामेश्वरम–तंजाऊर–चिदंबरम–मद्रास एषम्बूर।

माल डिब्बों की उपलब्धता

[हिन्दी]

3973. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए माल-डिब्बे उपलब्ध नहीं कराए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों पर इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। अनिवार्य पण्यों के परिवहन के लिए मालडिब्बों की आपूर्ति संतोषजनक रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

[अनुवाद]

3974. **डा० असीम बाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की रेल परियोजनाओं के लिए धन की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में काफी समय से लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

निर्माण कार्य		अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	1994-95 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	लक्ष्य तिथि
1		2	3	4
नयी लाइनें				
1.	लक्ष्मीकांतपु नामखाना	39.16	3.00	95-96
2.	तामलुक-दीघा	73.71	2.00	99-00
	जोड़		5.00	
आमान परिवर्तन				
1.	पुरूलिया-कोटशिला चरण-II बाई पास	5.40	5.40	94-95
	जोड़		5.40	
दोहरी लाइन बिछाना				
1.	हाबरा-बोंगाव	14.89	1.30	94-95
2.	दत्तपुकुर-हाबरा	18.17	2.47	95-96
3.	खाना-झापटेरढाल	9.00	4.00	95-96
4.	झापटेरढाल-गुसकरा	12.79	4.00	95-96
5.	अलुआबाड़ी-किशनगंज	41.62	4.80	95-96
6.	साहिबगंज-न्यू फरक्का माल्दा टाउन	45.00	2.00	94-95
	जोड़		18.57	
महानगर परिवहन परियोजना				
1.	दम दम-टालीगंज तक द्रुत परिवहन प्रणाली का अभिकल्प तथा निर्माण	1540.0	200.00	3/95
	जोड़		200.00	

1	2	3	4
	रेल विद्युतीकरण	14.30	
	कारखाने तथा उत्पादन इकाइयां	48.50	
	कुल जोड़	291.77	

(ग) ब्यौरा इस प्रकार है :

1. नयी लाइनें

1. इकलाखी-बालूरघाट

यह कार्य 1983-84 में स्वीकृत किया गया था। 1986-87 में कार्य रोक दिया गया था और उसके बाद से केवल सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की जा सकी। परियोजना पर पुनः कार्य शुरू करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

2. हवड़ा–आमता–चांपाडांगा

यह लाइन 1974-75 में स्वीकृत की गई थी। कार्य प्रगति पर था और सतशगाछि से बड़गछिया तक का खंड यातायात के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद, संसाधनों की तंगी और परिचालनिक दृष्टि से तत्काल अपेक्षित लाइनों पर कार्य रखने के आगे बढ़ाने की आवश्यकता के कारण 1987-88 में कार्य रोक दिया गया था। इसके बाद से केवल सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

इस क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में हुई गतिविधियों के कारण इस लाइन के बड़गछिया मुंशीरहाट सेक्टर में पुनः कार्य शुरू करने के बारे में विचार करने के लिए रेलवे से लागत और यातायात की संभावनाओं का पुनः मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध होने पर आगे कार्रवाई करने के बारे में विचार किया जाएगा।

3. तामलुक-दीघा

इस नयी लाइन से दीघा के साथ संपर्क बनेगा जो पश्चिम बंगाल का एक समुद्री सैरगाह है। इस लाइन पर कार्य चल रहा है। अब तक 16% प्रगति हुई है और 21.61 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रेलवे द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न करा सकने के कारण इस लाइन का कार्य धीमा चल रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में नयी लाइन परियोजनाएं चल रही हैं जिन्हें योजना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाने वाली अल्प धनराशि में से वित्त घोषित करना पड़ता है। पूरे होने जा रहे कार्यों और परिचालनिक सामरिक महत्व की लाइनों को प्रत्यक्ष कारणों से प्राथमिकता देनी होती है।

तामलुक दीघा खंड पर उपलब्ध धन से जितना भी कार्य संभव हो सकेगा किया जायेगा और इसे इस परियोजना पर ही खर्च किया जायेगा। कुछ अतिशीघ्र कार्य के पूरा होने के पश्चात् ही पर्याप्त धन उपलब्ध होने और संसाधनों की स्थिति में सुधार की संभावना है।

आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत यात्री

[हिन्दी]

3975. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**

श्री फूल चंद वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों द्वारा यात्रा करने अथवा गाड़ियों में अनुचित ढंग से आरक्षण प्राप्त करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) कुछ मामले ध्यान में आए हैं। ये आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रियों के प्रवेश करने तथा आर०ए०सी० प्राथमिकता को नजरअंदाज करके यात्रियों को स्थान देने से संबंधित हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सामान्यतः मासिक सीजन टिकट धारियों को मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। लम्बी दूरी की अनेक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में दूरी-प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि इन गाड़ियों में कम दूरी के यात्रियों को चढ़ने से रोका जा सके।

(ii) रा०रे०पु०/रे०सु०ब० और रेलवे मैजिस्ट्रेट की सहायता से औचक जांच की जाती है और आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करते पाए जाने वाले अप्राधिकृत यात्रियों को गाड़ी से उतार दिया जाता है और उन पर जुर्माना किया जाता है।

(iii) विभिन्न गाड़ियों में अतिरिक्त अनारक्षित सवारी डिब्बे लगाए गए हैं ताकि यात्री आरक्षित डिब्बों में जबरदस्ती प्रवेश न करें।

(iv) कुछ गाड़ियों में आरक्षित डिब्बे के स्थान पर अनारक्षित सवारी डिब्बे लगाए गए हैं।

(v) विनिर्दिष्ट खण्डों पर कुछ गाड़ियों में दिन के समय यात्रियों को शयनयान दर्जे में यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

(vi) दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच उपयुक्त समयों पर शटल गाड़ियां चलाई हैं। कतिपय गाड़ियों में कुछ डिब्बे अनन्यरूप से केवल उन्हीं के उपयोग के लिए अलग से भी रखे गए हैं।

(vii) यह देखने के लिए क्या आर०ए०सी० यात्रियों की प्राथमिकता रखी जा रही है या नहीं, कर्मचारियों के विरुद्ध भी औचक जांचें की जाती हैं। रेल कर्मचारियों की ड्यूटी के प्रति लापरवाही के मामले में दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

रेलवे माल गोदाम

[अनुवाद]

3976. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के चांगरचारी, कोट्टायम में रेलवे माल गोदाम पुनः खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) चंगाचेरी स्टेशन पर माल यातायात की बुकिंग सुविधा को पुनः चालू करने से संबंधित प्रस्ताव की जांच की गई है। बहरहाल, यह व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि मालडिब्बा भार में आवक फुटकर यातायात की सम्हलाई करना परिचालनिक दृष्टि से सुविधाजनक नहीं है। इसके अलावा निकटवर्ती स्टेशन तथा चिंगवनम और तिरूवल्ला उसके बहुत ही निकट हैं और ये माल यातायात के लिए विधिवत रूप से खुले हैं।

मेघालय में स्मारक

3977. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा मेघालय में कितने ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन स्मारकों के रखरखाव और परिरक्षण के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) इन स्मारकों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मेघालय राज्य के राष्ट्रीय महत्व वाले आठ स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके रखरखाव और परिरक्षण पर हुआ व्यय इस प्रकार है :

1991-92	28,000 रु०
1992-93	28,279 रु०
1993-94	24,567 रु०

(ग) इन स्थानों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आवश्यक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था की जाती है।

त्यौहारों के लिए चीनी का कोटा

3978. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :**

श्री के० मुरलीधरन :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्यौहारों के लिए राज्यों को चीनी का अतिरिक्त कोटा जारी करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कोटा समय पर जारी किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) त्यौहार कोटे के रूप में 99,950 मी० टन के अतिरिक्त आबंटन में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र का हिस्सा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने त्यौहार कोटे का हिस्सा उनके चुने हुए मास/मासों में उठाने की मंजूरी दी गई है तथा तद्नुसार ही उसकी रिलीज की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

त्यौहार कोटे के रूप में 99,950 मी० टन के अतिरिक्त आबंटन में

प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र का हिस्सा

क्र० सं०	राज्य	कोटा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7614
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	74
3.	अरूणाचल प्रदेश	94
4.	असम	2896
5.	बिहार	10078
6.	चण्डीगढ़	112
7.	दादरा तथा नगर हवेली	14
8.	दिल्ली	2316

1	2	3
9.	गोआ	150
10.	दमन व दीव	12
11.	गुजरात	4878
12.	हरियाणा	1924
13.	हिमाचल प्रदेश	608
14.	जम्मु व काश्मीर	868
15.	कर्नाटक	5350
16.	केरल	3600
17.	लक्ष्यद्वीप	22
18.	मध्य प्रदेश	7536
19.	महाराष्ट्र	9014
20.	मणीपुर	208
21.	मेघालय	200
22.	मिजोरम	78
23.	नागालैण्ड	128
24.	उड़ीसा	3730
25.	पांडिचेरी	64
26.	कैरीकल	18
27.	महे	4
28.	यमन	2
29	पंजाब	2392
30.	राजस्थान	5092
31.	सिक्कम	50
32.	तमिलनाडु	6790
33.	त्रिपुरा	302
34.	उत्तर प्रदेश	15936
35.	पश्चिमी बंगाल	7796
	कुल	99950

आपरेशन फ्लड के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में समेकित डेरी विकास

[हिन्दी]

3979. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
डा०रमेश चन्द तोमर :
श्री बलराज पासी :
श्री देवी बक्स सिंह

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आपरेशन फ्लड के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में समेकित डेरी विकास के कई प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि निहित है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेतमान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना

[अनुवाद]

3980. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए यूरोपीय समुदाय से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उक्त कार्यक्रम किन-किन जिलों में आरंभ किये जाने का विचार है; और

(ग) 1994-95 के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) भारत सरकार और यूरोपीय समुदाय के बीच एक वित्तीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे यूरोपीय समुदाय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के लिए 150 मिलियन ई०सी०यू० (585 करोड़ रुपए के लगभग) की कार्यक्रम सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अंतर्गत एक छः राज्य परियोजना (23 जिले) विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विकेन्द्रीयकृत आयोजना की कार्यनीति को संचालित करने की जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में मांग

की गई है। अब तक कुल 42 जिला परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। जिलों के चयन के लिए मानदण्ड हैं।

(क) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वे जिले जिनमें महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम हो; और/या

(ख) ऐसे जिले जहां सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (स० सा० अ०) प्रारम्भिक शिक्षा की मांग में वृद्धि करने में सफल रहे हैं।

ये जिले निम्नलिखित हैं :

1.	घुबरी	असम
2.	डेरेंज	
3.	मोरी गांव	
4.	कारबी अंगलोंग	
5.	हिसार	हरियाणा
6.	कैथल	
7.	जिंद	
8.	सिरसा	
9.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
10.	लातूर	
11.	नानडेड	
12.	ओस्मानाबाद	
13.	परभानी	
14.	रायचूर	कर्नाटक
15.	मान्ड्या	
16.	कोलार	
17.	बेलगाम	
18.	धर्मपुरी	तमिलनाडु
19.	थिरूवन्नामलाई समबूअरयूर	
20.	दक्षिण आरकोट	
21.	कसेरगोदे	केरल
22.	व्यनाद	
23.	मल्लापुरम	

24.	रायसेन	मध्य प्रदेश
25.	मंदसौर	
26.	रतलाम	
27.	टीकम गढ़	
28.	गूना	
29.	रायगढ़	
30.	धाड़	
31.	सिहोर	
33.	छत्तरपुर	
34.	सतना	
35.	पन्ना	
26.	राजनंद गांव	
37.	रीवा	
38.	बिलासपुर	
39.	राजगढ़	
40.	सिधी	
41.	शाहडोल	
42.	सरगुजा	

वर्ष 1994-95 के कार्य/कार्य कलाप योजना और परिव्यय का पता मूल्यांकन से चल सकेगा।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप द्वारा जारी निविदा

3981. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप ने रेलवे में उपयोग के लिए नोदीं एक्सहास्टर्स की खरींद हेतु निविदा जारी की थी;

(ख) कया इस बीच निविदा को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मैसर्स भारत बेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड, कलकत्ता को 106 अद्द नार्थी एक्सहास्टर्स के लिए आदेश दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीड-अहमदनगर-परकी रेलवे लाइन

[हिन्दी]

3982. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बीड-अहमदनगर-परकी रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के अलाभप्रद होने और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल इस योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है।

गन्ने का उत्पादन

[अनुवाद]

3983. **श्री मोहन रावले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष देश में गन्ने का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या गन्ने का उत्पादन प्रतिवर्ष क्रमशः कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) गन्ना उत्पादकों का रुझान अन्य फसलों की ओर न होने देने के लिए उन्हें क्या प्रोत्साहन देने का विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1993-94 (संभावित) के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91 से 1992-93 तक के दौरान गन्ने के उत्पादन का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में चीनी मिलों को ऋण उनके प्रचालन के क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिये, उष्मा उपचार संयंत्रों की स्थापना, नर्सरियों के पोषण कीट नियंत्रण उपायों, कृषकों को गन्ने की बेहतर

किस्मों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन, सिंचाई संबंधी योजनाओं आदि के उद्देश्य से चीनी विकास कोष से दिये जाते हैं।

(ङ) सरकार की नीति गन्ना उत्पादकों हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की है ताकि वे अपने संसाधनों को गन्ने के बजाय किसी अन्य फसल के लिये उपयोग में न लाये।

विवरण

1990-91 से 1992-93 और साथ ही 1993-94 (संभावित) के दौरान गन्ने का राज्यवार उत्पादन

(लाख मीटरी टन में)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (संभावित)
आन्ध्र प्रदेश	126.7	150.6	123.5	123.1
असम	15.2	14.5	15.5	17.0
बिहार	78.1	70.8	60.3	67.6
गुजरात	106.0	102.4	108.7	104.9
हरियाणा	78.0	90.0	65.5	70.0
हिमाचल प्रदेश	0.3	0.3	0.3	0.1
जम्मू और कश्मीर	0.2	0.1	0.1	0.2
कर्नाटक	209.6	241.2	216.0	228.3
केरल	5.4	5.5	5.2	5.9
मध्य प्रदेश	13.9	16.4	17.4	18.5
महाराष्ट्र	384.2	361.9	308.5	277.3
उड़ीसा	35.5	27.4	27.4	50.0
पंजाब	60.0	69.2	63.7	57.6
राजस्थान	12.1	13.6	11.3	0.1
तमिलनाडु	234.8	248.9	240.3	258.3
उत्तर प्रदेश	1035.6	1111.0	1029.4	1096.2
पश्चिम बंगाल	8.6	9.7	8.9	8.5
अन्य	6.3	6.5	6.3	7.0
अखिल भारत	2410.5	2540.0	2308.3	2398.6

रासायनिक अवशेष मुक्त फल/सब्जियां

2984. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा फलों और सब्जियों को रासायनिक अवशेष मुक्त करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : रसायन अवशेष युक्त फल और सब्जियां प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है :

1. कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित रजिस्ट्रेशन कमेटी मानव जाति की सुरक्षा संबंधी विस्तृत आंकड़े तथा कटाई के समय खाद्य जिंसों में विषाक्तता अवशेष छोड़े बिना संबंधित कृषि के प्रति इसकी प्रभाविता के आधार पर अपने आपको संतुष्ट होने के बाद किसी कीटनाशी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रदान करती है।

2. रजिस्ट्रेशन कमेटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देते समय स्वीकृत लेबेल और पर्ची का सैट भी प्रदान करती है जिसमें उचित खुराक, समय प्रयोग की पद्धति, प्रयोग किए जाने वाले उपस्कर के प्रकार, कृमिनाशी के प्रयोग और कटाई के बीच अन्तराल जैसे कृमिनाशियों के उचित उपयोग के संबंध में ब्यौरे शामिल होते हैं ताकि खाद्य जिंसों में कटाई के समय विषाक्त अवशेष न रहे।

3. सरकार कृमि नियंत्रण के लिए एकीकृत कृमि प्रबंध अप्रोच को बढ़ावा दे रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त संवर्धनात्मक तथा यांत्रिक पद्धतियों को अपनाने, वानस्पतिक और जैव कृमिनाशियों के उपयोग तथा कृमि के न्यूनतम सह्य स्तर पर आधारित रासायनिक कृमिनाशियों के उचित उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

ग्रीष्म कालीन स्पेशल रेल गाड़ियां

3985. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दिल्ली और हावड़ा के बीच सीधी तथा देश के अन्य मार्गों पर ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां। आगामी गर्मी की छुट्टियों के दौरान हावड़ा-दिल्ली-जम्मू तवी मार्ग सहित 27 मार्गों पर लगभग 780 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3986. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में ब्रह्मपुरा, जगन्नाथपुर और गंजाम रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) ब्रह्मपुरा और गंजाम स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1994-95 में अनुमानित आबंटन की राशि क्रमशः 24.04 लाख रुपए और 10.06 लाख रुपए है। तथापि, फिलहाल जगन्नाथपुर स्टेशन पर निर्माण कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं है।

असम के रेलवे स्टेशनों पर विश्राम घर

3987. **श्री प्रबीन डेका** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम के किन-किन रेलवे स्टेशनों पर विश्राम घरों का निर्माण किया गया है; और

(ख) राज्य के ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1994-95 के दौरान इनके निर्माण का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :

1991-92

(i) कोकराझार

(ii) बारपेटा रोड

(iii) फरकाटिंग

(iv) फकीरा ग्राम

1992-93

(i) मुरकोंग सेलेक

(ii) धर्मनगर

1993-94

(i) लोअर हाफलौंग

(ii) लमडिंग

iii) न्यू बोंगाईगांव

(ख) कोई नहीं।

भारत और स्वीडन के बीच समझौता

[हिन्दी]

3988. **प्रो० प्रेम धूमल :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विद्युतीकृत रेल लाइनें बिछाने के लिए भारत और स्वीडन के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ स्वीडन से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी; और

(ग) इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय द्रावीडियन अध्ययन संस्थान

[अनुवाद]

3989. **श्री एम०जी० रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश या किसी अन्य दक्षिणी राज्य में भारतीय द्रावीडियन अध्ययन संस्थान की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सरकार को आन्ध्र प्रदेश में कुप्पम में भारतीय द्रावीडियन अध्ययन संस्थान स्थापित करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारें प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए सिद्धान्ततः राजी हो गए हैं। परियोजना का ब्यौरा सभी संबंधितों के साथ परामर्श करके तैयार किया जा रहा है।

बिहार में रेल परियोजनाएं

[हिन्दी]

3990. **श्री प्रेमचन्द राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कौन-कौन सी निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं के पूरा होने में वित्तीय कठिनाइयों के कारण विलम्ब होने की संभावना है; और

(ख) किन-किन परियोजनाओं की अवधि बढ़ाई गई है जिसके फलस्वरूप इनके निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) अन्य सह-भागीदारों तथा जल संसाधन मंत्रालय और बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों से निर्धारित अनुसूची के अनुसार अंशदान प्राप्त होने के कारण छितौनी-बगहा लाइन के पुनर्स्थापना में विलम्ब हुआ है।

(ख) कुछ नहीं।

रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम

[अनुवाद]

3991. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की सुस्थापित वैगन निर्माता कम्पनियों को रेलवे से वैगन निर्माण हेतु क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के चल स्टाक कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 वैगनों का क्रयादेश तमिलनाडु स्थिति दो कम्पनियों बिन्नीज और सदर्ण स्ट्रक्चरल लि० को दिया गया है जबकि पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माता वैगन इंडिया लिमिटेड के सदस्य हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) क्रयादेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ) सरकार की आर्थिक सुधार नीति के अनुरूप प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दृष्टि से तमिलनाडु स्थित दो यूनिटों को क्रयादेश दिये गये हैं। अतः समीक्षा करना अपेक्षित नहीं है।

पर्यावरण संबंधी फीचर फिल्म

3992. **श्री सी०पी० मुदाल्ल गिरियप्पा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण और इसका संरक्षण (वन सम्पदा और वन्य जीव) संबंधी फीचर फिल्म का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सुविख्यात फिल्म निर्माताओं ने पर्यावरण संबंधी फीचर फिल्म के निर्माण के लिए वित्तीय और नैतिक समर्थन के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा

(ड) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या विदेशी फिल्म निर्माताओं को महत्वपूर्ण विषयों पर फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए सरकार से उचित सहयोग मिलता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। एक फिल्म निर्माता ने एक फीचर फिल्म के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है।

(ङ) इस फिल्म के आंशिक वित्तपोषण हेतु दस लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है।

(च) से (ज) जी, हां। सरकार भारत की सुरक्षा तथा छवि को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी प्रस्तावों पर विचार करती है।

डी०एम०यू० गाड़ियां

3993. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन-कोट्टायम, कोचीन-त्रिचूर, कोचीन-अलेप्पी के बीच तथा अन्य सैक्शनों में डीजल मल्टीपल यूनिट्स (डी० एम० यू०) गाड़ियां चलाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) केरल में रेलवे के इन खंडों तथा अन्य खंडों पर डी० एम० यू० गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली और उदयपुर के बीच एक्सप्रैस रेलगाड़ी

[हिन्दी]

3994. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और उदयपुर के बीच एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने के लिए इस साल के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में उक्त स्टेशनों के बीच एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) दिल्ली और उदयपुर के बीच

2915/2916 गरीब नवाज तथा 9615/9616 चेतक एक्सप्रैस पहले से ही उपलब्ध है। इन दो शहरों के बीच एक नयी गाड़ी चलाना न तो व्यावहारिक है और न ही औचित्यपूर्ण है।

गुंटूर और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी

[अनुवाद]

3995. **श्री एस०एम० लालजान बाशा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुंटूर और नई दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने की संभावना के बारे में सर्वेक्षण कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के०. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस समय गुंटूर पर्याप्त संख्या में गाड़ी और बस सेवाओं द्वारा विजयवाडा (गुंटूर से 33 कि०मी० दूर) से भली भांति जुड़ा है जहां से दिल्ली की ओर यात्रा करने तथा वहां से वापसी यात्रा के लिए जी०टी०, तमिलनाडु, केरल, मंगला, विशाखापतनम, निजामुद्दीन लिंक, राजधानी, हिमसागर, नवयुग और मद्रास-जम्मू तवी एक्सप्रैस गाड़ियां उपलब्ध हैं।

सांस्कृतिक संगठनों को आर्थिक सहायता

[हिन्दी]

3996. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष गुजरात के स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों, अकादमियों और परिषदों से आर्थिक सहायता के लिए प्रति वर्ष कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कितनी राशि मंजूर की गई तथा वास्तव में कितनी राशि जारी की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र

[अनुवाद]

3997. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तलचेर-अंगुल क्षेत्र में स्थित उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां,तो इस औद्योगिक प्रदूषण का ब्राह्मणी और नंदिरा नदियों के पानी तथा भूतल जल और भूमिगत जल पर तथा वायु, वनस्पति, मनुष्यों और पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या देश में अन्य अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के बारे में भी ऐसे ही अध्ययन कराये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्य-योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उड़ीसा के तलचेर-अंगुल क्षेत्र की जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता और वहां स्थित उद्योगों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का गहन अध्ययन किया गया है। नंदिरा के संगम से आगे ब्राह्मणी नदी का जल नियत श्रेणी के मानदण्ड विशेषकर कुल कॉलीफार्म और जैव-रसायन आक्सीजन मांग के अनुरूप नहीं है। इस क्षेत्र में स्थित उद्योगों से निकलने वाले मुख्य वायु प्रदूषण तत्वों में धूल कण, सल्फर डाई आक्साइड और फ्लोराइड हैं। इन प्रदूषक तत्वों के प्रभाव से तीव्र श्वसनी-शोथ, श्वसनी दमा, क्षय रोग, ध्वसनी निमोनिया, त्वचा संबंधी संक्रामक रोग, दांतों और मसूड़ों के रोग और अन्य पाचन संबंधी बीमारियां होने का पता चला है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रदूषण-भार के आधार पर भारत सरकार ने देश में बाईस क्षेत्रों को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित किया है। प्रदूषण समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए इन अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है– परवानू (हिमाचल प्रदेश), कलाम्ब (हिमाचल प्रदेश) हावड़ा (पश्चिम बंगाल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), धनबाद (बिहार), तलचर (उड़ीसा), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), कोरबा (मध्य प्रदेश), मनाली-मद्रास (तमिलनाडु) भद्रावती (कर्नाटक), सिंगरौली (उत्तर प्रदेश), पाली (राजस्थान), उत्तर आरकोट (तमिलनाडु), गोविन्दगढ़ (पंजाब), नजफगढ़ (दिल्ली), वाणी (गुजरात), चेम्बुर (महाराष्ट्र), बृहत्तर-कोचीन (केरल), डिगबोर्ड (असम), जोधपुर (राजस्थान), नागड़ा रतलाम (मध्य प्रदेश), और पत्तनचेरू बोलरम (आंध्र प्रदेश)।

(ङ) जी, हां।

(च) अब तक अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषित 22 क्षेत्रों में से चौदह क्षेत्रों के संबंध में व्यापक समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और उनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किया जा रहा है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

रतलाम के निकट दुर्घटना

3998. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री साईमन मरान्डी :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में रतलाम के निकट हाल ही में कोई रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं तथा प्राथमिक जांचों से प्राप्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है तथा इस दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम रेलवे के नागदा-रतलाम खण्ड के बांगरोद स्टेशन पर 16-2-94 को 5063 अप अवध एक्सप्रेस अप जी० आई० टी० माल गाड़ी के पिछले भाग से टकरा गई थी।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य क्षेत्र, जिन्होंने टक्कर की इस घटना की जांच की थी, अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 5063 अप एक्सप्रेस गाड़ी ब्लैंक स्थिति में आदान सिगनलों को पार कर गई थी और गलती से उस लाइन पर प्रवेश कर गई जिस पर माल गाड़ी खड़ी थी।

(घ) इस दुर्घटना में, 8 व्यक्ति मारे गए और इससे रेलों को लगभग 51 लाख रु० की क्षीत हुई थी। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 125 के उपबंधों के अनुसार, दावाकर्ताओं द्वारा दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे रेल दावा अधिकरण की संबंधित पीठ के समक्ष दायर किये जाते हैं और अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर रेलों द्वार भुगतान किया जाता है। इस दुर्घटना में, दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को अभी तक क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। बहरहाल, मृतकों के आश्रितों तथा घायल यात्रियों को अनुग्रह राशि के रूप में 40,250 रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

बिहार में रेल-मार्ग

[हिन्दी]

3999. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे कितने जिला एवं उपमंडलीय मुख्यालय हैं जो रेल मार्गों से जुड़े हुए नहीं हैं; और

(ख) सरकार का ऐसे जिला एवं उपमंडलीय मुख्यालयों को रेल मार्गों से कब तक जोड़ने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

[अनुवाद]

4000. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजनाओं सहित कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) गोवा में आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा हाल ही में भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अभी तक लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनके शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्यवाही की जाएगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) चलाई जा रही योजनाओं, जिसमें भा० कृ० अ० परिषद की योजनाएं भी शामिल हैं, की सूची और उनकी प्रगति निम्न प्रकार है :

1. काजू विकास
2. नारियल विकास
3. ड्रिप सिंचाई
4. दूसरे बागवानी विकास कार्यक्रम
5. चावल विकास के लिए समेकित कार्यक्रम
6. तटीय समुद्री मछली पालन का विकास
7. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड और मृदा सर्वेक्षण संगठन।
8. बारानी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम
9. भा० कृ० अ० परिषद का अनुंसधान काम्पलैक्स, गोवा

कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति संतोषजनक है। भा० कृ० अ० परिषद अनुसंधान काम्पलैक्स के राज्य के लिए धान, गन्ना, मूंगफली, लोबिया कंदीय फसलों काजू आदि की आशाजनक किस्मों की पहचान की है। सूअर, खरगोश, मुर्गियों और बतखों की विदेशी नस्लों की पहचान की गयी है। चारे की एन० बी०-21 और वी० डब्ल्यू०-18 किस्मों की पहचान की गयी है। अनुसंधान काम्पलैक्स में एक कृषि विज्ञान केन्द्र भी काम कर रहा है जो राज्य के किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है।

(ग) केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित राज्यों के परामर्श से तैयार की जाती हैं। उपर्युक्त योजनाओं में राज्य के प्रस्तावों का ध्यान रखा जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल सवारी-डिब्बा कारखाना कपूरथला

4001. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला स्थित रेल सवारी-डिब्बा कारखाने ने अपनी गतिविधियों में विविधता लाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल सवारी-डिब्बा कारखाने में विविधिकरण के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) कंटेनरों के विनिर्माण में विविधता लाने की योजना है।

माल डिब्बों की पूर्ति

[हिन्दी]

4002. **श्री गुणवन्त रामचाऊ सरोदे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के भुसावाल डिवीजन में नासिक रोड़, मनमाड, लासल गांव, निफाड, सावदा निम्भोरा, रावेर स्टेशनों पर मालडिब्बों की मांग और पूर्ति की स्थिति क्या है; और

(ख) मालडिब्बों की पूर्ति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान की स्थिति नीचे दी गई है :

स्टेशन	प्रस्तुत किये गये मांग पत्रों की संख्या	लादे गये माल डिब्बों की संख्या	रद्द किये गये मांग पत्रों की संख्या
1	2	3	4
नासिक रोड	2248	2061	172
मनमाड	6662	5958	704
लासलगांव	660	257	403
निफाड	2244	2240	4
सावदा	5139	4994	109
निंभोरा	2283	2208	55
रावेर	1783	1656	113

(ख) सामान्यतः माल डिब्बों की मांग को पूरा किया जाता है। तथापि, मांग और पूर्ति के बीच विशेषकर फुटकर माल डिब्बों की मांग के मामले में कुछ समय का अंतराल है। इस अंतराल को कम करने के लिए लगतार प्रयास किये जाते हैं।

पशु पालन

4003. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान के पशु-पालन और दुग्ध उत्पादन विभाग ने पशुधन की नस्ल सुधारने के लिए कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में भेड़ों और पशुओं की नस्ल में सुधार लाने के क्या परिणाम रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना को हुआ घाटा

[अनुवाद]

4004. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को 1993-94 के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को इसके प्रारंभ से ही घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस घाटे को कम करने हेतु उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना को 1993-94 के दौरान गत वर्षों की तुलना में भारी घाटा नहीं हुआ है। 1993-94 के दौरान (फरवरी, 1994 तक) 14.31 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का घाटा हुआ जबकि 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान क्रमशः 35.12 करोड़ तथा 33.18 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। घाटे का मुख्य कारण, दूध का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम नियत किया जाना है। दिल्ली के नागरिकों की गुणवत्ता वाला दूध तर्कसंगत मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए विक्रय मूल्य कम रखा जाता है।

(ग) जी, हां। 1969-70 तथा 1970-71 के वित्तीय वर्ष को छोड़कर जिस दौरान दिल्ली दुग्ध योजना ने थोड़ा बहुत लाभ अर्जित किया था, दिल्ली दुग्ध योजना को आरंभ से ही घाटा होता आया है।

(घ) संयंत्र/मशीनरी तथा श्रम के ईष्टतम उपयोग, प्रचालन व्ययों में मितव्ययता, कच्चे माल की लागत प्रभावी खरीद, दुग्ध वितरण मार्गों को युक्ति संगत बनाने, दूध इत्यादि की पैकिंग में प्रयोग किए जाने वाली पालिथीन फिल्म की मोटाई के मानकीकरण द्वारा इस घाटे को कम से कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

पादप-संरक्षण

4005. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पादप-संरक्षण हेतु कोई केन्द्रीय योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र में योजना के अन्तर्गत आरंभ किए गए कीट नियंत्रक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में 1993 के अन्त तक राज्यवार इस बारे में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां। 26 केन्द्रीय एकीकृत कृमि प्रबंध केन्द्रों के जरिए 21 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में एकीकृत कीट प्रबंध पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में इस योजना के तहत कृमि नियंत्रण उपायों के ब्यौरे और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय एकीकृत कृमि प्रबंध केन्द्रों द्वारा एकीकृत कृमि प्रबंध कार्यक्रम की राज्यवार उपलब्धियां

क्र॰सं॰	राज्य	केन्द्रीय एकीकृत कृमि प्रबन्ध केन्द्र	उपलब्धियां 1991-92 (क)	1991-92 (ख)	1992-93 (क)	1992-93 (ख)	1993-94 (क)	1993-94 (ख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	0.41	111.0	0.31	127.2	0.22	151.4
		बिजयवाड़ा	0.85	शून्य	0.75	49.0	0.30	4.7
2.	असम	गोहाटी	0.38	शून्य	0.17	0.13	0.11	21.0
3.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर	0.16	शून्य	0.01	शून्य	0.07	6.38
4.	बिहार	पटना	1.09	24.0	0.10	40.0	0.35	20.0
5.	गोवा	मडगांव	0.18	शून्य	0.06	0.26	0.10	3.74
6.	गुजरात	बड़ौदा	0.57	91.0	0.20	24.21	0.28	149.0
7.	हरियाणा	फरीदाबाद	0.65	120.0	0.43	121.9	0.55	130.0
8	हिमाचल प्रदेश	सोतन	0.18	30.0	0.17	36.5	0.21	29.8
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	0.16	46.0	0.05	21.0	0.26	67.8
		श्रीनगर	0.40	शून्य	0.05	शून्य	0.90	शून्य
10.	कर्नाटक	बंगलौर	0.47	201.0	0.05	339.2	0.34	238.3

11.	केरल	इर्नाकुलम	0.10	शून्य	0.05	शून्य	0.12	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	0.40	शून्य	0.27	0.30	0.21	7.7
		रानीपुर	0.72	120.0	0.19	67.0	0.41	101.5
13.	महाराष्ट्र	नागपुर	0.30	शून्य	0.18	शून्य	0.42	51.1
14.	मिजोरम	आइजौल	0.18	शून्य	शून्य	शून्य	0.06	शून्य
15.	नागालैण्ड	दीमापुर	0.12	शून्य	0.03	16.4	0.06	शून्य
16.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	030	140.0	0.33	100.3	0.41	134.9
17.	पंजाब	जलन्धर	0.40	शून्य	शून्य	शून्य	0.41	शून्य
18.	राजस्थान	श्री गंगानगर	0.60	102.0	0.33	57.5	0.33	33.0
19.	सिक्किम	गंगटौक	0.10	शून्य	शून्य	38.0	0.07	5.0
20.	तमिलनाडु	त्रिची	0.55	2.5	0.10	शून्य	0.24	5.25
21	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	0.45	150.0	0.35	148.0	0.45	107.0
		लखनऊ	0.22	शून्य	0.30	65	0.46	0.76
22.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	0.63	292.0	0.30	351.0	0.20	242.0
		कुल	10.69	1452.0	4.78	1821.0	6.62	1511.1

(क) क्षेत्र लाख है० में सर्वेक्षित

(ख) निर्मुक्त जैव नियंत्रण एजेंट (मिलियन में)

अतिरिक्त संसाधन

4006. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में रेलवे की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए 1800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। 1994-95 के दौरान केवल 997 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है।

(ख) यात्री यातायात से 176 करोड़ रुपये और माल यातायात से 821 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम जुटाने का प्रस्ताव है।

(ग) चूंकि नयी दरें अप्रैल, 1994 से प्रभावी हुई हैं, इसलिये इतनी जल्दी कोई आकलन करना ठीक नहीं है।

भालू के बच्चों की तस्करी

4007. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान को किसी चिड़ियाघर से भालू के बच्चों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकारों से इस मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य और कृषि संगठनों के साथ मात्स्यिकी समझौता

4008. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और खाद्य एवं कृषि संगठन के बीच मार्च 1994 के अन्तिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में तटीय मात्स्यिकी प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रदान की जाने वाली धनराशि, धनराशि प्रदान करने वाले देशों, प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : जी, हां।

(ख) परियोजना का उद्देश्य मात्स्यिकी प्रबंध की आवश्यकता, लाभ और पद्धतियों के प्रति जागरूकता और ज्ञान में वृद्धि करके उन्नत मात्स्यिकी प्रबंध पद्धतियों के माध्यम से तटवर्ती समुदायों के स्थायी विकास में सहायता पहुंचाना है। प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं के माध्यम से बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम द्वारा इस परियोजना का निष्पादन किया जाना है। 3 मिलियन अमेरिकी डालर की परियोजना की अवधि तीन वर्ष की है तथा डेनमार्क और जापान सरकार द्वारा समान आधार पर इसका वित्तपोषण किया जाएगा।

उर्वरकों का स्वास्थ्य पर प्रभाव

[हिन्दी]

4009. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में अधिक मात्रा में प्रयोग किये जा रहे रसायनिक उर्वरक मानव स्वास्थ्य के लिये अत्यधिक खतरनाक साबित हो रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि में उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार द्वारा उठाये जा रहे प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) उर्वरक की खपत के मौजूदा स्तर पर (औसत 70 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर) मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा पहुंचने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और इस संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें पोषक तत्वों के रासायनिक तथा जैव स्रोतों का उपयोग समेकित तरीके से करने का समर्थन करती हैं।

सिक्किम में नवोदय विद्यालय खोलना

[अनुवाद]

4010. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में भी नवोदय विद्यालय खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कहां-कहां पर स्थित हैं और प्रत्येक विद्यालय कब-कब खोला गया;

(ग) क्या इनमें से कुछ विद्यालय जीर्ण-शीर्ण भवनों में चल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का इन विद्यालयों के लिये नये भवनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सिक्किम में दो जवाहर नवोदय विद्यालयों को स्थापित किया गया है:

(I) पश्चिम जिला (1987-88)

(II) उत्तर सिक्किम (1992-93)

(ग) से (ङ) जी, नहीं। ये विद्यालय इस समय अस्थायी स्थानों पर स्थित हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम सिक्किम के लिए स्थायी इमारत के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जवाहर नवोदय विद्यालय, उत्तर सिक्किम के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा विद्यालय के नाम पर जमीन का स्थानांतरण होने के पश्चात् यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

रैगिंग पर प्रतिबंध

4011. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग से होने वाली दुखद घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप कुछ छात्रों की मृत्यु तथा गंभीर चोट लग जाती है, को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार कानून बनाकर रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों और कुलपतियों के दृष्टिकोण के बारे में पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित कानून कब तक बनाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के रैगिंग प्रधानाचार्यों और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों का ध्यान की घटनाओं की ओर आकर्षित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे रैगिंग को समाप्त करें और नये विद्यार्थियों को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करें, जिसमें वे आराम महसूस करें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके अनुसार सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विभागों के परिसरों में और सार्वजनिक परिवहन में रैगिंग पर सख्त रोक लगा दी गई है। जिन अन्य विश्वविद्यालयों में रैगिंग की समस्या विद्यमान है, वे भी ऐसे ही कदम उठा सकते हैं। चूंकि रैगिंग की प्रथा निंदनीय है, अतः विश्वविद्यालयों और कालेज अधिकारियों और विद्यार्थियों को स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रैगिंग न होने पाये।

मानित विश्वविद्यालय

4012. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार कितनी संस्थाओं के आवेदन पत्र मानित विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु लंबित हैं;

(ख) 1993 के दौरान इस बारे में कितने नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) 1993 के दौरान किन-किन संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और उन्हें स्वीकार किया गया;

(घ) किन-किन संस्थाओं के आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार किन-किन संस्थाओं के आवेदन पत्र लंबित पड़े थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए 17 आवेदन पत्र लंबित थे। राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :

उत्तर प्रदेश	4
आंध्र प्रदेश	2
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	2
तमिलनाडु	2
गुजरात	1
केरल	1
नई दिल्ली	1
पंजाब	1
पश्चिम बंगाल	1

(ख) 1993 के दौरान, सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग को 13 नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) निम्नलिखित संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया था उन्हें स्वीकार किया गया :

(I) श्री चन्द्र शेखरेन्द्र सरस्वती न्याय शास्त्र महाविद्यालय, कांचीपुरम;

(II) गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे (आयोग द्वारा 1990 में अनुमोदित किन्तु राज्य सरकार की सहमति, 1993 में मिलने के कारण इसकी अधिसूचना मई, 1993 में जारी की गई), तथा

(III) मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, कर्नाटक (15 अक्टूबर, 1992 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया परन्तु इसकी अधिसूचना जून, 1993 में जारी की गई।

(घ) निम्नलिखित संस्थाओं के आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए थे :

(I) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर

(II) श्री पराशक्ति महिला महाविद्यालय कोर्टालम

(III) महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, नोएडा

(IV) मांटेसरी महिला कला शाला, विजयवाड़ा

(V) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

(VI) राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, कलकत्ता

(VII) बाबा मुंगिपा मेडिकल कालेज तथा अनुसंधान केन्द्र, अगरतला

(VIII) जी० एस० प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, इन्दौर

(IX) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट

(X) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल

(XI) प्लाजमा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर, तथा

(XII) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता

(ङ) 31 दिसंबर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं के आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए थे।

(I) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली

(II) वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे;

(III) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला

(IV) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर

(V) प्रबंध प्रौद्योगिकी संस्थान, गाजियाबाद

(VI) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

(VII) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून

(VIII) अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई

(IX) राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान, कलकत्ता

(X) मद्रास समाज कार्य विद्यालय, मद्रास

(XI) नेशनल डिफेंस कालेज, नई दिल्ली

(XII) प्राच्य दर्शन संस्थान, वृन्दावन

(XIII) किडनी रोग संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद

XIV) श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज तथा अनुसंधान संस्थान, मद्रास

(XV) विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान, सलेम

(XVI) भारत उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मद्रास; और

(XVII) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर।

भारतीय खाद्य निगम

4013. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीनगर (गढवाल) में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय खोला था;

(ख) यदि हां, तो वहां पदस्थ कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस कार्यालय को पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में स्थानान्तरिक करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में जहां सड़क संचार अत्यन्त कम है, उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा निगरानी के लिए खाद्य गोदाम और कार्यालय खोलना आवश्यक है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीनगर (गढवाल) में स्थित भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय में स्टाफ का ब्यौरा निम्नानुसार है :

श्रेणी-1	–	1
श्रेणी-2	–	5
श्रेणी-3	–	9
श्रेणी-4	–	7
	जोड़	22

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, हां।

(च) भारतीय खाद्य निगम ने 1985-86 से 1993-94 तक (फरवरी, 1994 तक) उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र/जम्मू और कश्मीर/उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक लाख मीटरी टन से अधिक की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में 70,000 मीटरी टन से अधिक की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

दुधारू गायें

[हिन्दी]

4014. **श्री ललित उरांव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी, राज्य-वार कितनी दुधारू गायें, नर एवं मादा बछड़े हैं; और

(ख) अब तक की गयी प्रत्येक गणना के दौरान मवेशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1987 की पशुधन संगणना के दौरान दुधारू गायों, नर तथा मादा बछड़ों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विगत तीन पशुधन संगणनाओं के दौरान परिकलित, पशुधन की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। पहले की पशुधन संगणनाओं के ब्यौरे भी कृषि मंत्रालय, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा समय-समय पर प्रकाशित "इण्डियन लाइवस्टाक सेन्सस" नामक प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

विवरण-I

1987 में दुधारू गायों तथा नर और मादा बछड़ों की संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	दुधारू गाय	बछड़े	
		नर	मादा
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2738	487	936
अरुणाचल प्रदेश	77	24	26
असम	962	588	650
बिहार *	4067	721	1166
गोवा	26	5	9

1	2	3	4
गुजरात	941	235	423
हरियाणा	603	178	252
हिमाचल प्रदेश	622	112	170
जम्मू और कश्मीर	850	205	246
कर्नाटक	3247	488	944
केरल	1549	244	627
मध्य प्रदेश	8548	1862	1990
महाराष्ट्र	5164	1029	1134
मणिपुर	154	44	37
मेघालय	147	52	53
मिजोरम	17	4	7
नागालैण्ड	58	30	24
उड़ीसा	5925	802	1091
पंजाब	1003	190	323
राजस्थान	3997	646	1016
सिक्किम	45	16	19
तमिलनाडु	2810	471	933
त्रिपुरा	247	58	786
उत्तर प्रदेश	6159	1686	1818
पश्चिम बंगाल **	4390	1025	1156
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	14	4	6
चण्डीगढ़	3	ट	1
दादरा एवं नगर हवेली	12	2	3
दिल्ली	21	4	7
लक्षद्वीप	ट	ट	ट
पांडिचेरी	33	5	12

* अनुमानित

** 1982 की पशुधन संगणना के परिणाम

ट 500 से कम

विवरण-II

1977, 1982 तथा 1987 की पशुधन संगणना के दौरान परिकलित पशुधन की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1987	1982	1977
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	33665	35856	31472
अरुणाचल प्रदेश	813	एन० सी०	583
असम	10758	9677	9582
बिहार	एन० सी०	35580	34135
गोवा, दमण और दीव	396	278	260
गुजरात	15995	17468	14406
हरियाणा	8177	7562	6890
हिमाचल प्रदेश	5341	4991	4795
जम्मू और कश्मीर	7382	5956	4659
कर्नाटक	23183	24681	21800
केरल	5501	5643	5319
मध्य प्रदेश	45262	42744	40329
महाराष्ट्र	34239	30922	29643
मणिपुर	1374	1310	एन० सी०
मेघालय	1109	1006	813
मिजोरम	161	160	123
नागालैण्ड	617	470	375
उड़ीसा	22320	21603	18626
पंजाब	9678	एन० सी०	8997
राजस्थान	40918	49651	41359
सिक्किम	334	318	292
तमिलनाडु	24992	25144	24145

1	2	3	4
त्रिपुरा	1378	1150	852
उत्तर प्रदेश	61072	56738	52344
पश्चिम बंगाल **	31743	29716	एन० सी०
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	133	82	76
चण्डीगढ़	31	31	19
दादरा एवं नगर हवेली	69	63	55
दिल्ली	407	275	206
लक्षद्वीप	18	13	6
पांडिचेरी	136	167	148

**एन० सी गणना नहीं की गई

रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा

4015. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रेलवे की कुल कितनी भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) पट्टे पर दी गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष अप्रयुक्त भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ऐसी भूमि का उपयोग किस प्रकार करेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुलाबगंज स्टेशन पर दादर-अमृतसर एक्सप्रेस का ठहराव

4016. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गुलाबगंज स्टेशन पर दादर-अमृतसर एक्सप्रेस को ठहराने की व्यवस्था करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों का दुरुपयोग

[अनुवाद]

4017. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ती दर पर दिए जाने वाले उर्वरकों के दुरुपयोग तथा उनकी कालाबाजारी के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामले जानकारी में आए; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान उर्वरकों के दुरुपयोग के किसी मामले की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकारों से उर्वरकों की कालाबाजारी के 25 (पच्चीस) मामलों की रिपोर्ट मिली है, जो निम्नवत हैं :

1.	गुजरात	2
2.	हरियाणा	5
3.	महाराष्ट्र	5
4.	पंजाब	2
5.	राजस्थान	1
6.	उत्तर प्रदेश :	10

(ग) नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के मूल्य का विनियमन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किये गये उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत किया जाता है और राज्य सरकारों को अधिकतम निर्धारित सांविधिक या घोषित मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री के मामले में कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है। राज्य सरकारों द्वारा समय पर अचानक छापे मारे जाते हैं/जांच की जाती है। स्टाक जब्त करना/डीलर शिप लाइसेंस का निलम्बन/निरस्तीकरण अपराधिक मामलों पर कार्यवाही शुरू करना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जो अपराधियों के खिलाफ किये जाते हैं विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति को समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

4018. **श्री नाम नाईक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) उसे महाराष्ट्र राज्य में कब तक लागू किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (ख) सभी राज्य समाज कल्याण बोर्डों के कर्मचारियों के लिए 1-4-1979 को प्रारम्भ की गई केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पेंशनरी लाभ स्कीम को किसी राज्य में लागू करने की यह शर्त है कि संबंधित राज्य इस प्रयोजन हेतु व्यय का 50% हिस्सा वहन करने के लिए सहमत हो। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने व्यय का 50% हिस्सा वहन करने की सहमति अब तक नहीं दी है। महाराष्ट्र राज्य सलाहकार बोर्ड में पेंशन स्कीम तभी लागू होगी जब राज्य सरकार व्यय का 50% हिस्सा वहन करने के लिए सहमति देगी।

फ्रीलाडगंज में रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

[हिन्दी]

4019. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पश्चिम रेलवे के अंतर्गत दोहोद रेलवे स्टेशन में फ्रीलाडगंज रेलवे कालोनी में कितने टाइप-एक के रेल कर्मचारी के क्वार्टरों का निर्माण घटिया पाया गया;

(ख) क्या दोहोद रेलवे स्टेशन ने इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट दी है;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच करायी गयी है; और

(घ) इन क्वार्टरों के निर्माण में सुधार लाने के लिए कया कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) 826 ।

(ख) से (घ) ये क्वार्टर पुराने क्वार्टर हैं। जब इनकी तुलना आजकल दिये जाने वाले आवास के मानक से की जाये तो इन्हें "अवमानक" कहा जा सकता है। इन क्वार्टरों की कमियों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है और इन क्वार्टरों को मानक क्वार्टरों के समान लाने के लिए इनमें विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। इस संबंध में कार्य चरणों में किया जा रहा है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

मितव्ययता अभियान

[अनुवाद]

4020. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने मितव्ययता अभियान में आत्म-अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी बचत हुई है;

(ग) खर्च में कितने प्रतिशत कमी हुई है;

(घ) क्या अपव्यय रोकना भी मितव्ययता अभियान का हिस्सा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) रेलों पर 1993-94 में एक कार्य योजना शुरू की गई थी, ताकि आमदनी बढ़ाकर तथा संचालन व्यय नियंत्रित करके परिचालन अनुपात में सुधार लाया जा सके। जिन मुख्य क्षेत्रों में खर्च में किफायत बरती जानी थी, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) ऊर्जा नियंत्रण

(ii) परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग

(iii) अनावश्यक कार्यकलाप/अपव्यय समाप्त करना जैसे :

(क) भाप रेल इंजनों, भाप क्रेनों, भाप शेडों आदि को शीघ्र नकारा करना।

(ख) अनावश्यक यार्डों को बन्द करना।

(ग) सड़क वाहनों, टेलीफोनों आदि पर गहन नियंत्रण।

(iv) सभी आन-लाइन तथा आफ-लाइन कार्यकलापों में लागत को नियंत्रित करना, लागत में कटौती करना तथा लागत कारगरता बरतना।

(V) शून्य आधार समीक्षाएं करके भण्डार संबंधी सभी कार्यकलापों की समीक्षा करना तथा उन पर नियंत्रण रखना।

(ख) और (ग) साधारण संचालन व्यय के 1993-94 के संशोधित अनुमानों में 200 करोड़ रु० की बचत का अनुमान लगाया गया है, जिसे लगभग 200 करोड़ रु० के बजटोपरान्त पड़ने वाले अनेक प्रभावों को समाहित करने के बाद बजट अनुमान 1993-94 से 1.70% कम पर निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। संक्षिप्त ब्यौरा प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता कल्याण कोष

4021. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों/एजेंसियों को उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता के लिये आवेदन करने हेतु पात्र बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धनराशि का उपयोग करने हेतु क्या शर्त निर्धारित की गयी है; और

(ग) इस कोष से प्रत्येक राज्य को गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। उपभोक्ता कल्याण निधि नियमों के अनुसार विभिन्न संगठन/अभिकरण जो तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगे हुए हैं तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हैं, ग्राम स्तर की सहकारी समितियों, उद्योग तथा राज्य सरकारें उपभोक्ता कल्याण निधि से सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यह सहायता, परियोजना के आधार पर मुहैया कराई जाएगी तथा मुख्य तौर पर प्रचार सामग्री के प्रकाशन तथा वितरण करने, उपभोक्ता शिक्षा में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं स्थापित करने, समुदाय आधारित ग्रामीण जागरूकता परियोजनाओं, उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने आदि के लिए दी जाएगी। निधि के उपयोग के लिए निबंधन और शर्तें मंजूरी के समय निर्धारित कर दी जाएंगी।

उपभोक्ता कल्याण निधि 27-1-1994 से प्रचालन में आई है तथा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जो 31-5-1994 से पहले मंत्रालय में पहुंचने अपेक्षित हैं।

योग शिक्षक

4022. **डा० सुधीर राय :**
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कुछ समय पूर्व नियुक्त योग शिक्षकों की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं की सेवा/ग्रेडों में बाद में स्थायी करने के प्रयोजन हेतु जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) प्रारम्भ में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में योग शिक्षकों की नियुक्ति प्रयोगात्मक आधार पर की गई थी जिसमें प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती थी। वर्ष 1981-82 में प्रारम्भिक भर्ती के समय जिन योग्यताओं (अर्हताओं) पर विचार किया गया था, वे पूर्णतया तदर्थ थी। बाद में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने योग शिक्षण योजना को नियमित योजना बनाने का निर्णय किया। तदनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने योग शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए निम्नलिखित योग्यताओं को अपनाया :

(i) किसी भी विषय में स्नातक डिग्री।

(II) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम नौ मास का प्रशिक्षण।

संस्थागत विकास

[हिन्दी]

4023. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में संस्थागत विकास के संबंध में कोई योजना राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना अभी किस स्थिति में है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुवाहाटी लामडिंग बड़ी रेल लाइन

[अनुवाद]

4024. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी से लामडिंग के लिए जाने वाली बड़ी लाइन जनवरी 1994 से यात्रियों और माल को ढोने के लिए सफल सिद्ध नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार माल और यात्री गाड़ियों के नियमित रूप से सुचारू आवागमन हेतु तत्काल उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) यह लाइन माल यातायात के लिए 7-1-1994 को और यात्री यातायात के लिए 1-4-1994 को खाली गई थी।

फर्रूखाबाद बाईपास पर रेल फाटक

[हिन्दी]

4025. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फर्रूखाबाद बाईपास रेल लाइन पर कोई रेल फाटक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे ने राज्य के लोक निर्माण विभाग से फर्रूखाबाद-शिकोहाबाद खंड पर कि० मी० संख्या 1315/13-16 पर एक नये चौकीदार वाले समपार के लिए अनुमानित पूंजी लागत और वार्षिक अनुरक्षण/परिचालन लागत स्वीकार करने के

लिए कहा है जो नियमानुसार निक्षेप कार्य होगा। फरवरी 1994 में अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

कार्य निष्पादित करने के लिए आगे की कार्रवाई लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्वापेक्षाएं पूरी करने तथा अनुमानित लागत की राशि जमा कराने के पश्चात् ही शुरू की जा सकती है।

रेलगाड़ियों में मोबाइल पुलिस पोस्ट

[अनुवाद]

4026. **श्री वी० श्री निवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कुछ लम्बी दूरी की गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा हेतु मोबाइल पुलिस पोस्ट शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार सभी गाड़ियों में ऐसी सुविधा शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान जिन गाड़ियों में यह सुविधा शुरू की जाएगी उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) मोबाइल पुलिस पोस्ट की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों को राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाती है।

(ख) जिन गाड़ियों में मोबाइल पुलिस पोस्ट कार्य कर रही हैं, उनकी रेलवेवार संख्या नीचे दी गई है :

रेलवे	गाड़ियां की संख्या
मध्य	106
पूर्व	—
उत्तर	268
पूर्वोत्तर	36
पूर्वोत्तर सीमा	—
दक्षिण	10
दक्षिण मध्य	—
दक्षिण पूर्व	6
पश्चिम	185

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, दक्षिण रेलवे पर कुछ गाड़ियों में मोबाइल पुलिस पोस्ट की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(घ) गाड़ियों में मोबाइल पुलिस पोस्ट की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है। दक्षिण रेलवे पर मोबाइल पुलिस पोस्ट की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित गाड़ियों को चुना गया है :

(i) गाड़ी सं०6005/6006 — नीलगिरि एक्सप्रेस (मद्रास सेन्ट्रल से मेटुपालैयम) और वापसी

(ii) गाड़ी सं०6673/6674 — चरण एक्सप्रेस (मद्रास सेन्ट्रल से कोयम्बटूर) और वापसी

(iii) गाड़ी सं०6069/6070 — येरकाड एक्सप्रेस (मद्रास सेन्ट्रल से इरोड) और वापसी

(iv) गाड़ी सं०2627 — कर्नाटक एक्सप्रेस (बेंगलूरू सिटी से नई दिल्ली)

(v) गाड़ी सं०6530 — उद्यान एक्सप्रेस (बेंगलूरू से बम्बई वी०टी०)

कृषि ऋण के लिए सहायता

[हिन्दी]

4027. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य को किसानों तथा जनजातीय किसानों की कृषि ऋणों हेतु कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्यों को इस उद्देश्य हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) अल्पकालिक ऋण राज्य सरकारों को हर वर्ष खरीफ तथा रबी मौसमों के लिये अलग-अलग दिये जाते हैं जिसका उद्देश्य सरकारों को कृषि आदानों जैसे उर्वरक बीज कीटनाशियों की खरीद करने में मदद देना और इन्हें जनजातीय किसानों सहित सभी किसानों को समय पर उपलब्ध कराना है। 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को स्वीकृत किये गये अल्पकालिक ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिये अल्पकालिक ऋणों के लिये कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।

विवरण

1991-92, 92-93 और 93-94 के दौरान राज्यों को संस्वीकृत किए गए अल्पकालिक ऋण

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	राज्य	1991-92	1992-93 (खरीफ के लिए केवल 93)	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32.65	30.10	15.55
2.	कर्नाटक	15.35	12.80	6.50
3.	केरल	3.25	2.65	0.93
4.	तमिलनाडु	19.30	18.20	7.61
5.	गुजरात	14.65	12.70	6.85
6.	मध्य प्रदेश	18.25	20.55	10.77
7.	महाराष्ट्र	28.05	23.80	18.32
8	राजस्थान	22.30	24.60	10.51
9.	हरियाणा	11.70	12.60	5.45
10.	पंजाब	16.30	16.25	8.45
11.	उत्तर प्रदेश	38.60	42.55	17.60
12.	हिमाचल प्रदेश	2.75	2.40	1.08
13.	जम्मू व कश्मीर	1.90	3.15	—
14.	बिहार	28.90	31.60	19.10
15.	उड़ीसा	12.15	11.15	7.85
16.	पश्चिम बंगाल	42.20	38.00	12.81
17.	असम	—	4.70	—
18.	त्रिपुरा	0.50	0.80	0.51
19.	मणिपुर	0.75	1.15	—
20.	मेघालय	0.30	0.20	0.10
21.	गोवा	0.10	—	—

1	2	3	4	5
22.	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.05	–
	कुल	310.00	310.00	149.99

बंगलौर में रेलवे टर्मिनल

[अनुवाद]

4028. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर छावनी क्षेत्र में बहु-सुविधा युक्त रेलवे टर्मिनल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस पर कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : जी, हां।

(ख) से (ग) नये टर्मिनल का कार्य इस स्टेशन पर सम्पत्ति को विकसित करने से संबंधित रेलवे के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए नक्शों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लागत के अनुमान तथा कार्य को शुरू करने की समय-सीमा के बारे में इस चरण पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

गंगा तथा यमुना के किनारे प्रदूषणकारी उद्योग

4029. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा, यमुना तथा हिण्डन नदियों के पास लगाये गये उद्योग इन नदियों में अशोधित अपशिष्टों को फेंक रहे हैं और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इन नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। कुछ उद्योग इन नदियों में अशोधित बहिःस्राव छोड़ रहे हैं।

(ख) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली अभिनिर्धारित उद्योगों की 17 श्रेणियों के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

राज्य/संघ क्षेत्र	इकाइयों की कुल संख्या	मानकों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाली इकाइयों की संख्या	उन इकाइयों की सं० जिनमें मानकों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है
बिहार	62	37	25
पश्चिम बंगाल	58	21	37
उत्तर प्रदेश	224	165	59
हरियाणा	43	22	21
दिल्ली	05	02	03

(ग) गंगा नदी की जल गुणवत्ता की बहाली के लिए, गंगा कार्य योजना का चरण-I पूरा कर लिया गया है। हिण्डन सहित यमुना नदी के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 15 कस्बों के लिए प्रदूषण अपशमन कार्य कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। कार्यक्रम के तहत मंजूर की गई स्कीम के लिए पूर्वा-पेक्षा रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी करने के लिए कदम उठाए गये हैं। सभी दोषी इकाइयों को निश्चित समय दिया गया है जिसके भीतर उन्हें निर्धारित मानकों को अनुपालन करना है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से समय-सीमा के भीतर मानकों का अनुपालन न कर रही दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

विश्व खेल प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन

4030. **श्री राम कापसे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड/ओलम्पिक विश्व खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी सफल नहीं हो सके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने असफलता के कारणों की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) यह सत्य है कि 1980 के बाद ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तथापि, भारतीय खिलाडियों ने अपने प्रदर्शन द्वारा विश्व चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप खेलों तथा एशियाई चैम्पियनशिप/ खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पधाओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन उपयुक्त स्तर का न होने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) खेलो को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग बनाने में असफलता।

(2) कार्यरत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव।

(3) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा खेलों और खेलों के संवर्धन में निवेश का अभाव।

(4) विभिन्न स्तरों पर खेल निकायों की आर्थिक तौर पर निर्बल और खराब प्रबंध संरचना।

(5) अच्छी गुणवता और उपयुक्त समूल्य खेल सामग्री की उपलब्धता का अभाव।

(6) घरेलू प्रतिस्पधाओं की दुर्बल संरचना।

(7) शारीरिक शिक्षा और खेल के संवर्धन के लिए अपर्याप्त मीडिया प्रदर्शन।

(8) बुनियादी खेल सुविधाओं का अभाव और उनका नगण्य प्रयोग।

(घ) भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की गई है :

(1) शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल और कालेज स्तर के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग बनाया जा रहा है चूंकि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी० ए० वी० ई०) की उप समिति की सिफारिशों को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी० ए० बी० ई०) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(2) संबंधित संघ के साथ विचार विमर्श से प्रत्येक खेल विधा के लिए दीर्घकालीन विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें वार्षिक कलेंडर तैयार करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाना, विशिष्ठ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण आदि शामिल है।

(3) खेलो की बुनियादी सुविधाएं सृजित करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी विभिन्न योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा (एन० एस० टी० सी०) योजना, खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस० पी० डी० ए०) विशेष क्षेत्र खेल योजना (एन० ए० जी०), आर्मी बाल खेल कम्पनियां (ए० बी० एस० सी०) योजना तथा खेल छात्रावास योजना के तहत प्रतिभाशालियों की पहचान और पोषण शुरू कर दिया है।

(5) सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु खेलों में उच्च प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नकद पुरस्कार योजना तथा पेंशन योजना जैसे कई प्रोत्साहन शुरू किए हैं।

(6) दूरदर्शन तथा आकाशवाणी खेल प्रतियोगिताओं को प्रसारण में अत्यन्त महत्व दे रहे हैं।

(7) खेलो के संर्वधन में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कारपोरेट करदाताओं द्वारा पात्र परियोजनाओं में अंशदान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35 ए० सी० के प्रावधान के तहत कर में छूट दी गई है।

(8) विशिष्ठ खेल निकायों/एजेंसियों द्वारा खेल सामग्री के आयात को उदार बनाया गया है।

प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज

[हिन्दी]

4031. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो छात्रों से प्रतिव्यक्ति शुल्क की वसूली कर रहे हैं; और

(ख) ऐसे कालेजों के प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) गैर सरकारी व्यावसायिक कालेजों में दाखिलों तथा शिक्षा शुल्कों को नियंत्रित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन के मामले में 4-2-1993 के अपने निर्णय में एक योजना निर्धारित की है ताकि छात्रों से कैपिटेशन शुल्क लिए जाने संबंधी पद्धति पर अंकुश लगाया जा सके।

किन्हीं गैर सरकारी कालेजों द्वारा अब भी कैपिटेशन शुल्क लिए जाने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

प्रतिबन्धित कीटनाशक

[अनुवाद]

4032. **डा० आर० मल्लू** :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौ कीटनाशकों के प्रयोग पर किस तारीख से प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) किस तारीख से 18 अन्य कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में भी पुनरीक्षा शुरू की गयी है और यह पुनरीक्षा कब पूरी कर ली जायेगी;

(ग) क्या प्रतिबन्ध के बावजूद भी अनेक कीटनाशकों की बिक्री अभी भी देश में की जा रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के अवैध उत्पादन और बिक्री पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) नौ कीटनाशियों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की तारीख नीचे प्रत्येक कीटनाशी के सामने दी गई है :

1.	डी० डी० टी०	26-5-1989
2.	क्लोरोबेन्जाइलेट	25-7-1989
3.	सोडियम सायनाइड	25-7-1989
4.	कैप्टाफोल	25-7-1989
5.	डिएल्ड्रिन	15-5-1990
6.	ई० डी० बी०	15-5-1990
7.	बी० एच० सी०	3-10-1990
8.	लिडेन	4-9-1992
9.	मिथाइल पैराथिओन	4-9-1992

(ख) सत्रह कीटनाशियों की पुनरीक्षा 28 सितम्बर, 1992 से तथा एक कीटनाशी की 5 मई, 1993 से शुरू की गई थी। पंजीकरण समिति ने अब सभी 18 कीटनाशियों की रिपोर्ट सरकार के अन्तिम निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ) देश में प्रतिबन्धित कृमिनाशियों तथा कीटनाशियों का उत्पादन करने तथा बिक्री करने की अनुमति नहीं है। कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के तहत अधिसूचित राज्य के अधिकारी, या सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से मानिटरिंग करते हैं कि प्रतिबन्धित कीटनाशियों का उत्पादन तथा बिक्री न की जाए।

झारखंड क्षेत्र में रेल कोच फैक्ट्री

[हिन्दी]

4033. **श्री साईमन मरांडी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के झारखंड क्षेत्र में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन स्थानों से बिहार राज्य को माल-डिब्बे उपलब्ध कराए जाते हैं; और

(घ) 1994-95 में माल डिब्बों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलों पर सभी माल डिब्बे पूल में हैं और विभिन्न उद्योगों तथा स्टेशनों को इनकी सप्लाई मांग और परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। माल डिब्बों की सप्लाई राज्य-वार नहीं की जाती है।

(घ) 1994-95 के लिए निर्धारित माल यातायात का लदान लक्ष्य पूरा करने के लिए क्षेत्रीय मांग और विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर चल स्टॉक की आवश्यकता तथा परिचालन नीतियों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

पूर्व रेलवे का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

4034. **डा० असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार पूर्व रेलवे में राजाबाट को सियालदह डिवीजन की गेडे लाइन के साथ जोड़ने का तथा इसका विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि यंत्र प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान

4035. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अनेक भागों में कृषि यंत्र प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर उक्त केन्द्रों की स्थापना की जायेगी; और

(ग) ये संस्थान कब से कार्य करने लगेंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) एक कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सोकार जिले (राजस्थान) में

तथा एक तिरूचिरापल्ली जिले (तमिलनाडु) में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इन संस्थानों के आठवीं योजना अवधि के दौरान क्रियाशील हो जाने की संभावना है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

4036. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को "आपरेशन फ्लड" में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में शामिल करने पर, प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को सरकार से लाभ का कुछ अंश तथा अन्य प्रोत्साहन मिलेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में पंजीकृत ऐसी समितियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) आपरेशन फ्लड के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को एक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश की सभी सहकारी डेरी समितियां संबंधित राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं और उनका पंजीकरण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास नहीं होता है। तथापि दिसम्बर, 1993 तक विभिन्न राज्यों में आपरेशन फ्लड के अंतर्गत संगठित ग्रामीण स्तर की सहकारी डेरी समितियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

दिसम्बर, 1993 तक विभिन्न राज्यों की ग्राम स्तरीय सहकारी डेरी समितियों की संख्या

	राज्य	समितियों की संख्या
1	2	3
1.	गुजरात	10772
2.	महाराष्ट्र	5057
3.	मध्य प्रदेश	3981
4.	गोवा	147
5.	तमिलनाडु	7875
6.	कर्नाटक	6450

1	2	3
7.	आंध्र पद्रेश	5167
8.	केरल	1287
9.	पाण्डिचेरी	74
10.	पंजाब	5857
11.	राजस्थान	4829
12.	उत्तर प्रदेश	8045
13.	हरियाणा	2170
14.	हिमाचल प्रदेश	162
15.	जम्मू तथा कश्मीर	105
16.	बिहार	2287
17.	पश्चिम बंगाल	1279
18.	उड़ीसा	883
19.	सिक्किम	104
20.	त्रिपुरा	74
21.	असम	122
22.	नागालैण्ड	22
	कुल	66749

मेघालय में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

4037. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में प्रौढ़ शिक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों की प्रगति सन्तोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 1600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) से (घ) लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्नानुसार है :

	लक्ष्य	उपलब्धि
	भिक्षु	भिक्षु
1991-92	42500	29995
1992-93	20000	16297
1993-94	40000	31054

चन्दनपुर से शक्तिगढ़ के बीच तीसरी रेल लाइन

4038. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने चन्दनपुर से शक्तिगढ़ के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) 25.29 करोड़ रु० की लागत पर चंदनपुर तथा गुड़ाप के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के कार्य को 1994-95 के बजट में चंदनपुर-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन के प्रथम चरण के रूप में शामिल किया गया है। 1994-95 में प्रारंभिक निधि के रूप में। करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण और वानिकी परियोजनाएं

4039. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** :

श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल वन विभाग ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कई पर्यावरण और वन परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) 1993-94 के दौरान केरल में आरम्भ की गई केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना-वार क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ राज्य को परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) (ग) और (ङ) केरल राज्य वन विभाग से प्राप्त परियोजनाओं, जिनमें केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं भी शामिल हैं, तथा इन प्रयोजन के लिए केरल राज्य को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) ये परियोजनाएं निरन्तर चलने वाली हैं और इनकी प्रगति संतोषजनक है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजन का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधियन की मात्रा	स्थिति/टिप्पणी	रिलीज की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	पर्यावरण वाहिनी	पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना और सक्रियं भागीदारी के जरिए लोगों को शामिल करना	100%	जारी रहेगी	₹.70
2.	मालापुरम जिले के लिए समेकित परती भूमि विकास (सूक्ष्म प्लान परियोजना)	सूक्ष्म स्तरीय आयोजन	100%	जारी रहेगी	25.00
3.	बीज विकास	क्लाविटी बीजों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास	100%	जारी रहेगी	106.0 (1992-93 की बची राशि)
4.	ओषधीय पौधों समेत लघु वन उपज	औषधीय पौधों सहित लघु वन उपज उगाना	100%	यह प्रस्ताव 1993-94 के आखिरी दिनों में प्राप्त हुआ था। इस पर 1994-1995 में कार्रवाई की जायेगी।	
5.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से वन अग्नि नियंत्रण	100%	जारी रहेगी	8.00

6. राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारणय	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारणयों का विकास	100%		जारी रहेगा	42.45
7. राष्ट्रीय उद्यानों के चारों और पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के हिस्सों में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका मुहैया करना	100%		जारी रहेगी	42.22
8. हाथी परियोजना	हाथियों की लम्बी आयु सुनिश्चित करना	100%	अनावर्ती		
		50%	आवर्ती	जारी रहेगी	8.75
9. बाघ परियोजना	भारत में बाघों की सक्षम आबादी का रख-रखाव सुनिश्चित करना	50%	अनावर्ती		
		100%	अनावर्ती	जारी रहेगी	46.73
10. पेरियार बाघ रिजर्व में पारि-विकास	बाघ रिजर्व के हिस्सों में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100%	अनावर्ती	जारी रहेगी	7.14
		50%	आवर्ती		
11. उष्णकटिबंधी वानस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान	वानस्पति उद्यानों का दर्जा बढ़ाना	100%		मार्च, 1994 में मंजूर की गई थी।	25.30
12. नीलगिरी के लिए जीवमंडल रिजर्व	जीवमंडल के लिए प्रबंध कार्य योजना का कार्यान्वयन	100%		जारी रहेगी	45.92
नई परियोजना					
13. तिरूवंथपुरम और पथनामिथिट्टा जिलों के लिए समेकित वनरोपण और पारि-विकास	वनरोपण और पारि-विकास को बढ़ावा	100%		परियोजना प्रस्ताव 1993-94 के आखिरी दिनों में प्राप्त हुआ था और यह 1994-95 में स्वीकृति के लिए विचाराधीन है।	

बरेली जंक्शन पर सुविधायें

[हिन्दी]

4040. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे के अंतर्गत बरेली जंक्शन पर यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बरेली जंक्शन स्टेशन पर निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :

1. प्लास्टिक की कुर्सियों सहित ऊंचा दर्जा प्रतीक्षालय।
2. दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की ओर से नया प्रवेश द्वार।
3. बैटरी चार्ज करने की सुविधायें (110 वोल्ट)
4. दूसरा दर्जा प्रतीक्षालय में पंखे।
5. विश्रामालय में कूलर।
6. परिचलन क्षेत्र की रोशनी की बेहतर व्यवस्था।
7. प्लेटफार्म सं०2 पर जलशीतक।

उचित दर दुकानें

[अनुवाद]

4041. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन की दुकानों के मालिकों ने उचित दर दुकानों द्वारा बेची जाने वाली चीनी और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर कमीशन न बढ़ाए जाने पर हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में उचित दर दुकान धारियों ने गेहूं तथा चावलों की बिक्री के लिए वर्तमान 4 प्रतिशत और 5 प्रतिशत तथा चीनी की बिक्री पर 2.05 रु० प्रति क्विंटल की दरों के मुकाबले गेहूं तथा चावलों की बिक्री पर 10 प्रतिशत तथा चीनी की बिक्री पर 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं तथा चावलों की बिक्री पर खुदरा व्यापारियों के कमीशन का मामला राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है। लेवी

चीनी के मामले में केंद्रीय सरकार का खाद्य मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अंतिम खुदरा मूल्य निर्धारित करता है। चूंकि सारे देश के लिए एक समान अन्तिम खुदरा मूल्य नियत किया जाता है, अतः अलग से किसी विशेष राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिए चीनी के बारे में खुदरा व्यापारियों के कमीशन में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

बाढ़ क्षेत्र मात्स्यकी

4042. **डा० सुधीर राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्षा काल में कई स्थानों पर पानी जमा हो जाने को देखते हुए बाढ़ मात्स्यकी विकसित करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जलरोध-क्षेत्रों का देश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की संभावना को देखते हुए सहकारी विकास संभव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) जी हां। सरकार द्वारा इन राज्यों के जल भराव वाले क्षेत्रों में मात्स्यिकी का विकास करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। 1992-93 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई परियोजना अन्तर्देशीय मात्स्यिकी घटक के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के 55 ऐसे जल निकायों का जिनका कुल क्षेत्रफल 5350 हे० है, विकास किया जाना है जिस पर कुल 1500 लाख रुपये की लागत आयेगी।

असम में बोल का विकास करने के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से ऐसे 16 जल निकायों का विकास करने के लिए एक योजना को अगस्त, 1992 में पूरा कर लिया गया है और इसी राज्य के अन्य 102 बोलों का विकास कराने के लिए इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) ऐसी जानकारी मिली है कि इन जल निकायों का सहकारी विकास संभव है। मछुआरा सहकारी समितियों के माध्यम से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत सर्वाधिक उपयुक्त जल निकायों का पता लगाने के लिए असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के 50 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के 105 बाढ़ प्रवण झीलों के उपग्रह चित्र तैयार किये गये हैं। इन जलाशयों के निकट मत्स्य डिंब पालन तालाबों का निर्माण करने के लिए राज्यों को सलाह दी गयी है।

भारतीय जैव-विविधिता का अंतर्राष्ट्रीयकरण

4043. **श्री संदीपान भगवान थोरात** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1994 के "पायोनियर" में प्रकाशित समाचार "फारेन फर्म्स स्टीलिंग इंडियन बायो-डावर्सिटी" शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) भारतीय जैव-विविधिता को अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से बचाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार को पर्यावरण विद संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी फर्मों द्वारा विदेश में पेटेन्ट किए गए सूक्ष्म जीवों की संख्या के बारे में भारत सरकार द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) जून, 1992 में ब्राजील के रियो-डि-जैनेरी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास पृथ्वी सम्मेलन में अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ जैविक विविधता संबंधी कन्वेंशन को भी अपनाया गया था।

जैविक विविधता कन्वेंशन पर 167 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत कन्वेंशन पर हस्ताक्षर सबसे पहले करने वाले देशों में से है। तत्पश्चात्, भारत ने 18-2-1994 को इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि कर दी है। यह कन्वेंशन 29-12-1993 से कानून लागू हो रहा है।

भारत सरकार जैव-विविधता के बारे में एक व्यापक कानून बनाने के उपाय कर रही है। कन्वेंशन के उपबंधों में शिनाख्त किए गए प्राथमिक घटक जिन्हें कानून सहायता की जरूरत है, इस प्रकार है :

- सर्वेक्षण, अभिनिर्धारण, लक्षण वर्णन तथा निगरानी।
- संरक्षण उपाय।
- टिकाऊ उपयोग।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों सहित आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच।
- प्रौद्योगिकी पहुंच और उसका अन्तरण।
- जैव प्रौद्योगिकी और जैव सुरक्षा।
- जनता के हितों की रक्षा करना जिसमें परम्परागत समुदाय, स्थानीय जनता, किसान, अनुसंधानकर्ता एवं ट्रस्ट भी आते हैं।

इस कानून को तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक बैठकें की गई। इन बैठकों में विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, गैर-सरकारी संगठन तथा सभी संबंधित मंत्रालयों विभागों के अधिकारी शामिल थे। दिसम्बर, 1993 और जनवरी, 1994 में एक अन्तर मंत्रालयी ग्रुप की अनेक बैठकें आयोजित की गई थीं। पर्यावरण और वन मंत्री जी की अध्यक्षता में जनवरी, 1994 में नई दिल्ली में विख्यात गैर-सरकारी संगठनों के साथ चर्चाएं की गई थीं। संबंधित विभागों, राज्य सरकारों की एजेंसियों, विशेषज्ञों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ जनवरी, 1994 में लखनऊ और भोपाल में

फरवरी, 1994 में भुवनेश्वर में तथा मार्च, 1994 में चंडीगढ़ एवं बंगलौर में क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श किया गया।

प्रस्तावित कानून से अन्य बातों के साथ-साथ जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के टिकाऊ उपयोग तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी के उपयुक्त अन्तरण सहित आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों की बराबर हिस्सेदारी में सहायता मिलेगी।

(घ) और (ङ) पर्यावरणीय संगठनों से प्राप्त सुझाव मुख्यतया संरक्षण उपायों, टिकाऊ उपयोग आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और प्रौद्योगिकी, बायोटैक्नोलॉजी तथा जैव-सुरक्षा के अन्तरण तथा जैव विविधता के संरक्षण के होने वाले लाभों की बराबर की हिस्सेदारी से संबंधित है। पर्यावरणीय संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों पर विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई है जिनमें कुछ को भाग (ग) में उद्धृत किया गया है। प्रस्तावित कानून के तत्वों तथा उसके विवरण का अभिनिर्धारण करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

मुम्बई में प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड के कार्यालय में भर्ती

4044. **श्री मोहन रावले** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड के मुम्बई स्थित कार्यालयों में भर्ती नियोजनालय (नियुक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अंतर्गत की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय ने प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड के निदेशक को प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड के कार्यालय में विभिन्न पदों के लिय भर्ती करने में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की अनदेखी करने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण सीधी भर्ती का सहारा लिया गया है। तथापि, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई को अब नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 का पालन करने का निदेश दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

12.09 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 21 अप्रैल, 1994/1 वैशाख, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।